खण्ड-132, अंक-2
मंगलवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1876
(23 मार्च, 1954 ई0)

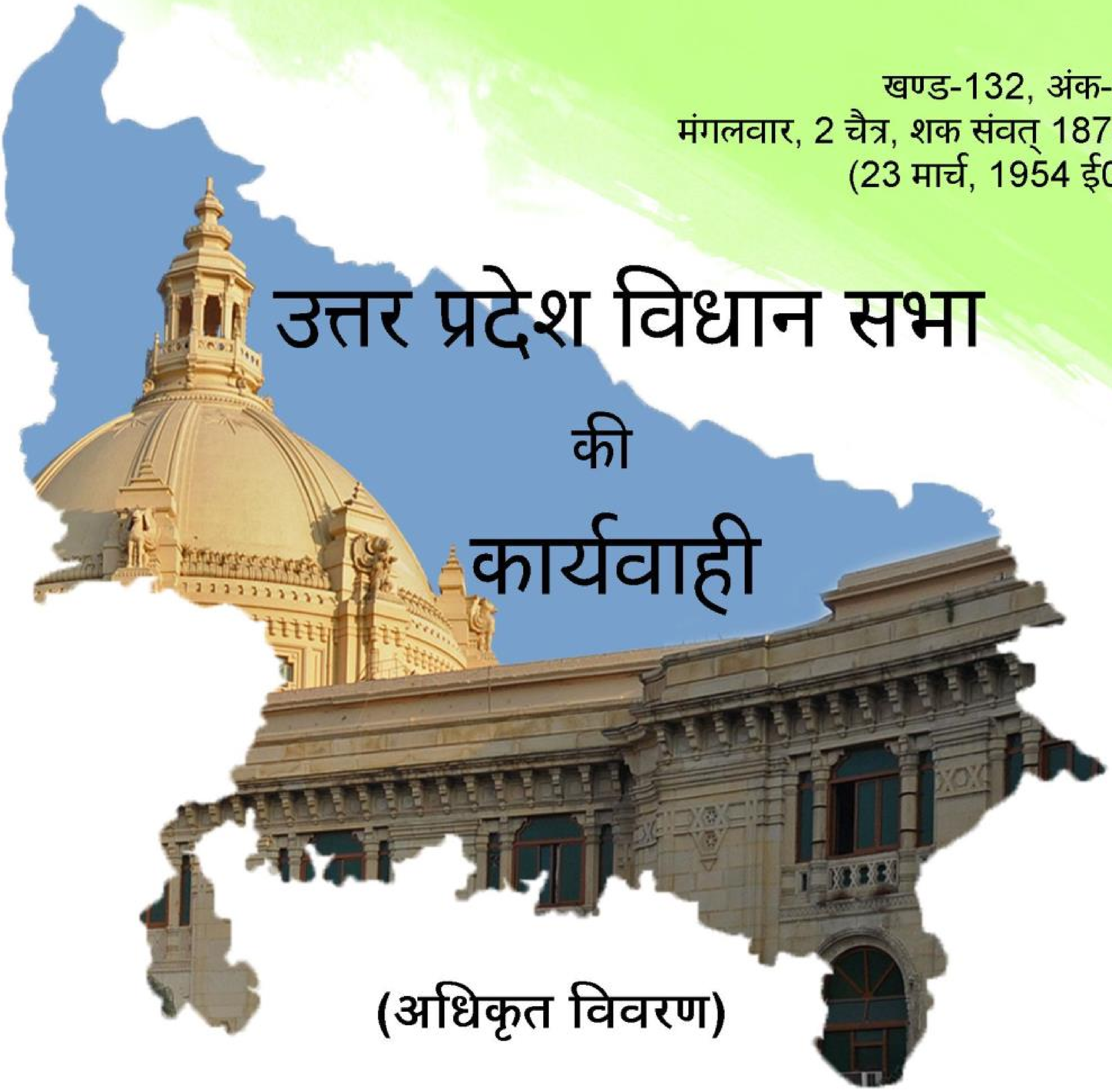

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 132 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

रामपुर जिले में जमींदारी तथा मुस्ताजिरी उन्मूलन

*१--**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगा कि रामपुर जिले में जमींदारी तथा मुस्ताजिरी उन्मूलन १ जुलाई, १९५४ को हो सकेगा ?

मालमंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--यदि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक पर प्रेसीडेन्ट महोदय की स्वीकृति जून सन् १९५४ तक प्राप्त हो जावेगी तो रामपुर जिले में जमींदारी तथा मुस्ताजिरी उन्मूलन १ जुलाई, सन् १९५४ से हो सकेगा।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह सही है कि रामपुर मुस्ताजिरी उन्मूलन के सम्बन्ध में एक शिष्ट मंडल जो कि पिछले महीने की ९ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री से मिला था उसको यह आश्वासन दिया गया था कि एक साल तक वहां पर मुस्ताजिरी उन्मूलन नहीं होगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सरकार बहुत जल्द वहां जमींदारी का उन्मूलन करना चाहती है और केवल प्रेसीडेंट के दस्तखत की देर है। पहली जुलाई से सरकार की इच्छा है कि वहां पर मुस्ताजिरी उन्मूलन करके जमींदारी विनाश कानून को लागू किया जाय।

मंत्रियों उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के लिए नये बंगलों का निर्माण

*२--**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि सरकार ने मंत्रियों, उप-मंत्रियों अथवा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के रहने के लिये कुछ नये बंगलों का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कितने और उनकी लागत क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--सरकार ने उपमंत्रियों (Deputy Ministers) तथा सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) के रहने के लिये ४ नये बंगलों का निर्माण किया है। हर एक बंगले की लागत २३,००० रुपया है।

*३--**श्री रामेश्वर लाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ में पूर्ण हुये इन बंगलों को किन-किन मंत्रियों या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को रहने के लिये दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इन चार बंगलों में से एक बंगला श्री कृपाशंकर, सभासचिव को दिया गया है। बाकी तीन में से दो अभी किसी को नहीं दिये गये हैं और एक बन रहा है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उपमंत्री तथा सभासचिव विधायक निवास में रहते हैं उनके लिये क्या निकट भविष्य में बंगले बनाने की कोई योजना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किनके लिये बनाये जायेंगे यह कहना तो इस वक्त ठीक नहीं है, फिलहाल ८ बंगले बनाने की तजवीज हुई थी उनमें से ४ के लिये जमीन मिल गयी है और उनमें यह बन गये हैं बाकी चार बंगलों के लिये और जमीन तजवीज हुई है वह उसमें बनाये जायेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन बंगलों के रखरखाव पर क्या व्यय होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मैंने अर्ज किया कि २३ हजार हर एक बंगले पर खर्च हुआ और सालाना खर्चा जो होगा उसका अन्दाजा इस वक्त नहीं दे सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडे (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन बंगलों से मासिक किराया कितना सरकार वसूल करती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किराया तो अभी तक वसूल नहीं हुआ है और अगर आपका यह मकसद है कि उनका किराया क्या होगा तो इसका जवाब यह है कि उन बंगलों का किराया करीब १०० रुपया होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कितने सभासचिव अथवा उपमंत्री दारुलशफा अथवा पुरानी रेजीडेंसी में रहते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जहां तक मुझे याद है इस वक्त ३ रहते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—इन तीन सज्जनों ने कितने कमरों को आकुपाई कर रखा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे अलग अलग तो मालूम है नहीं मगर हरएक के पास १, १ या २, २ कमरे होंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो एक बंगला बनने को बाकी है वह कब तक बन जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह शायद इस महीने में खत्म हो जायगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टरों से कितना किराया लिया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किराये का तकर्रुर आदमी के लिहाज से नहीं बल्कि इमारत के ऊपर लागत के हिसाब से होता है। ये जो बंगले बने हैं इनका करीबन १०० रुपये होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि माननीय मौर्य जी, माननीय नेगी जी और डाक्टर सीताराम दारुलशफा में ही रहेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार का कोई फैसला नहीं है। लेकिन इन तीन में से शायद डाक्टर सीताराम तो अभी वहां से उठने वाले हैं और उस मकान में आने वाले हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बंगलों का शुरू का तखमीना क्या था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ओरीजनल एस्टीमेट गालिबन २६, २७ हजार रुपये का था और उसे कटवाकर २३ हजार का हुआ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उपमंत्रियों और सभासचिवों में जिनके लिये मकान की व्यवस्था नहीं है क्या उनके लिये कोई मकान बनवाने की व्यवस्था की जायगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—४ तो और बनाने की तजवीज है और वह बनने वाले हैं।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीजिएट एजुकेशन के सदस्यों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*४—**श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन में जो मेम्बर रक्खे गये हैं उनके क्या नाम हैं और वह कौन कौन से Interests को represent करते हैं ?

शिक्षामंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—माननीया सदस्या का ध्यान १२ जुलाई, १९५२ के सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या क—३९५७/१५-२१-४९, दिनांक जून २८, १९५२ की ओर आकर्षित किया जाता है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मेम्बर साहबान का चुनाव होता है इस बोर्ड के लिये वह किसी इन्टरेस्ट की बेसिस पर होता है ?

शिक्षामंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी नहीं, किसी इन्टेरेस्ट की बेसिस पर नहीं होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय उस बोर्ड में कितने सदस्य हैं ?

डाक्टर सीताराम—३७ हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि इन मेम्बरों में से इस विधान सभा के कितने मेम्बर हैं और कौन कौन हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस विधान सभा के दो मेम्बर हैं जिनके नाम श्री परिपूर्णानन्द वर्मा तथा श्री कैलाश प्रकाश हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि यह बोर्ड तोड़ दिया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। ऐसा तो कोई विचार नहीं है। इसका रूप परिवर्तन हो जाय यह बात है, अगर इसी को आप तोड़ना समझते हैं तो हो सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ३७ सदस्यों में से हरिजन सदस्य कितने हैं ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री नवलकिशोर ने पूछा।

डाक्टर सीताराम--एक है।

श्री शिवनारायण--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी में वार्षिक कितना खर्च होता है ?

श्री अध्यक्ष--अब यह तो आप बहुत आगे जा रहे हैं, ब्योरा पूछ रहे हैं ।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपया करेंगे कि इस कमेटी में किसी वर्ग के लिये कुछ सीट्स रिजर्व हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी हाँ। इसमें तीन जगहें ऐसे वर्गों के लिये सुरक्षित हैं कि उसमें जिनका प्रतिनिधित्व न हो।

तारांकित प्रश्न

सरगाखेत-पहाड़पानी मोटर मार्ग (जिला नैनीताल) के निर्माण की आवश्यकता

*१--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास सरगाखेत-पहाड़पानी मोटर मार्ग (जिला नैनीताल) के निर्माण के संबंध में जनता की ओर से माँग है ? अगर हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हाँ। उस सड़क के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि के लिये केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की जा रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि की लिखा-पढ़ी हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसका ऐस्टीमेट ११.६८ लाख का बना था। श्रमदान में अगर लेबर न मिला तो कुछ बढ़ जायगा। इस ऐस्टीमेट को पूरा करने के लिये ही माँग की गयी थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के निर्माण में प्रांतीय सरकार कितना अनुदान देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें प्रांतीय सरकार का अनुदान नहीं है । यह केन्द्रीय सरकार से ही मूव हुआ था, इसलिये यह उन्हीं की सहायता पर निर्भर है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सड़क पर निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो रुपया मिलने पर तय होगा कि कब से शुरू किया जायगा।

उत्तर प्रदेशीय पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों की मांगें

*२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेशीय पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी यूनियन की कुछ मांगें आई हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। मांगें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी गयी तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४०-१४१ पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की मांग नम्बर ३ के अनुसार उनका महंगाई भत्ता कितना बढ़ गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह टैम्पोरेरी वर्क चार्ज पर रखे जाने वालों की मांगें थीं वे सारी चीजें इस नोट में दी हुई हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैंने प्रश्न पूछा था कि मांग नम्बर ३ के अनुसार जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह कितना बढ़ाया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ठीक-ठीक तो नहीं मालूम है, लेकिन जितना रूल्स के अनुसार मिल सकता था उतना बढ़ाया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मांग नंबर २ के अनुसार बाजार भाव के अनुसार कितनी मजूरी उनको दी जाती है और बाजार भाव कितना माना जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बाजार भाव हमेशा बदलता रहता है, जहां जितनी मजदूरी मिलती है वहां वही बाजार भाव होता है ।

श्री शिवनारायण--क्या पी० डब्ल्यू० डी० यूनियन रजिस्टर्ड है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी इत्तला नहीं है, सूचना मिलने पर बतला दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १० दिन के त्योहारों की जो छुट्टियां मिलती हैं वे कौन कौन त्योहारों की मिलती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--लिस्ट में तो मेरे पास नहीं हैं, होली, दिवाली आदि खास खास त्योहारों की छुट्टियां दी जाती हैं ।

पी० डब्ल्यू० डी० में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय

*३--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार ने पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के हेतु कुछ नये नियम बनाये हैं ? अगर हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार ने पी० डब्ल्यू० डी० में एक भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी बनाई है । इस कमेटी में तीन सदस्य हैं जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पद के हैं । भ्रष्टाचार संबंधी सभी शिकायतों की जांच इस कमेटी द्वारा होती है । इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकने के हेतु जो आदेश आम तौर से अन्य विभागों में लागू होते हैं वे पी० डब्ल्यू० डी० में भी लागू होते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी ने कितनी शिकायतों की जांच की है और कितनों को दंड दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत है, लेकिन मैं पहले की इत्तिला के अनुसार यह कहता हूं कि ६८ के करीब केसेज उसके पास गये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं विरोध करता हूं इस बात का कि माननीय मंत्री जी बिलकुल तैयार होकर नहीं आते । इसलिये मैं विरोध स्वरूप प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो कमेटी बनायी गयी है उसमें गैर सरकारी आदमी भी रखे जायेंगे ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--जी नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भ्रष्टाचार जो है वह गजटेड आफिसर्स में भी है या नान-गजटेड आफिसर में ही है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है यह तो सभी में हो सकता है । इसमें गजटेड और नान-गजटेड का कोई सवाल नहीं है ।

श्री बलवन्त सिंह--जब सरकार यह मानती है कि गजटेड आफिसर्स में भी भ्रष्टाचार है तो फिर वह गजटेड आफिसर्स की ही कमेटी बनाने का विचार क्यों कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उन गजटेड आफिसर्स की कमेटी बनायी गयी है जिनके बारे में कोई शुबहा नहीं था कि उनमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार है और जिनकी इंटेगरिटी बिलकुल ठीक ठीक है उन्हीं को उसमें रखा गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गैर-सरकारी सदस्यों को इस कमेटी में क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस बात पर गौर किया गया लेकिन आखिर में यही समझा गया कि इसका ठीक ठीक इन्तजाम डिपार्टमेंट वाले ही कर सकते हैं, उन्हीं की सही वर्किंग होगी । इसलिये डिपार्टमेंट के हाई आफिसर ही उसमें रखे गये हैं ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किसी अन्य डिपार्टमेंट के गजटेड आफिसर को भी उस कमेटी में रखा गया है या केवल पी० डब्ल्यू० डी० के ही लोग हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--और डिपार्टमेंट का कोई गजटेड आफिसर नहीं रखा गया है ।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या सरकार ने इस भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी को कोई ऐसा आदेश दिया है कि हर एक केस को अधिक से अधिक कितनी अवधि में तय कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, आमतौर से ६ हफ्ते में उन्हें तय कर लेना चाहिये ।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भ्रष्टाचार कमेटी कब से बनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सन् १९४९ ई० से ।

अकरौली, जिला मुरादाबाद में शराब की दुकान खोलने पर आपत्ति

*४--श्री श्रीचन्द--क्या सरकार को ज्ञात है कि अकरौली (मुरादाबाद) में शराब की दूकान खोल दी गई है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां, जरगांव की दूकान बदल कर पहली अप्रैल, १९५० ई० से अकरौली में कर दी गई है।

*५--श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री के पास इस दूकान को खोलने के विरुद्ध शिकायतें पहुंची हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सैयद अली जहीर--अभी हाल में गांव सभा की ओर से जिलाधीश के पास ऐसी दरख्वास्त पहुंची है। यह दरख्वास्त जिला आबकारी सलाहकार समिति की अगली मीटिंग में पेश की जायगी और उनकी सलाह पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जरगांव से अकरौली को किन वजूहात से यह शराब की दूकान भेजी गयी है?

श्री सैयद अली जहीर--यह जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऐडवायजरी कमेटी है उसी के मशविरे से पहली अप्रैल सन् ५० से जरगांव से अकरौली को यह दूकान भेज दी गयी है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अकरौली के सब निवासी इसके विरोध में थे?

श्री सैयद अली जहीर--वहां की कोई मरदुमशुमारी तो नहीं की गयी है कि ५० फीसदी थे या ६० फीसदी थे या १०० फीसदी थे जो विरोध में थे। लेकिन जो दो एक दरख्वास्तें आई हैं उनके ऊपर गौर किया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह दूकान पुरानी है या नयी? और अगर नई है तो क्या सरकार अब भी नई शराब की दूकानों को खोलने की इजाजत देती है?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो मैंने बता दिया कि यह नई दूकान नहीं है। जो पहले जरगांव में थी वही अकरौली में मुन्तकिल कर दी गई है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--इस डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कमेटी के मेम्बरान कौन-कौन हैं?

श्री सैयद अली जहीर--यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--जिलाधीश के पास इस गांव के लोगों का प्रस्ताव किस तारीख को पहुंचा था?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी भी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री श्रीचन्द--क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि कितनी दरख्वास्तें इस गांव वालों की सरकार के पास पहुंची?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मुझे इल्म है यहां हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं है लेकिन वहां के कलेक्टर के पास जरूर गई होंगी।

आजमगढ़ जिले में सलोनाताल से नहर निर्माण की योजना

*६--श्री झारखंडेराय (जिला आजमतगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ ताल से जो पम्प नहर निकाली जा रही है उसमें कितना व्यय होने का अनुमान है तथा उसके कब तक पूरा होकर चालू हो जाने की आशा है?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)---आजमगढ़ जिले में अजमतगढ़ ताल नाम का कोई ताल नहीं है। लेकिन अजमतगढ़ में स्थित सलोना ताल से १५ क्यूसेक्स की ७ मील लम्बी नहर निर्माण करने की योजना सन् १९५० में बनाई गई थी जिसका अनुमानित व्यय ३ लाख रुपया था। आशा है यह योजना आगामी वर्ष पूर्ण हो जायगी। फिलहाल एक ५ क्यूसेक्स की ढाई मील लम्बी छोटी नहर इस वर्ष रबी सींचने के हेतु अस्थायी रूप से बना दी गई है। इस पर अनुमानतः १ लाख रुपया व्यय है और इससे लगभग ५०० एकड़ रबी की सिंचाई हो चुकी है।

*७---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त अजमतगढ़ ताल पम्प नहर से कितनी जमीन सींची जायेगी?

श्री राममूर्ति---१५ क्यूसेक्स की योजना पूर्ण होने पर १,३७० एकड़ भूमि प्रतिवर्ष सिंचित होगी, तथा वह ६,८६० एकड़ भूमि के लिये पर्याप्त होगी।

*८---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि इसी प्रकार की कोई पम्प नहर आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पकड़ी ताल से भी निकालने की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री राममूर्ति---यह योजना विचाराधीन है। इसका सर्वे हो रहा है। सर्वे समाप्त होने पर उसको कार्यान्वित करने का निर्णय किया जायगा।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो १५ क्यूजेक्स की नहर बनने वाली है उसका कार्य आरम्भ हुआ या नहीं?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि इस साल के अन्दर वह काम पूरा हो जायगा। उसका काम शुरू कर दिया गया है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर से सगड़ी तहसील में ही सिंचाई होगी या घोसी तहसील में भी?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---१,३७० एकड़ के करीब सिंचाई इससे होगी। मैं समझता हूं कि वह घोसी में ज्यादा नहीं पहुंचेगी, सगड़ी में ही होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री---इस ताल का क्या रकबा है?

श्री राममूर्ति---इसकी सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं, है लेकिन मैंने यह बताया है कि इससे १५ सौ क्यूजेक्स पानी लिया जा सकता है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे समाप्ति और निर्णय की आशा कब तक है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसका सर्वे बहुत जल्दी समाप्त हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि अजमतगढ़ ताल से जो पम्प नहर निकाली गई है उसकी सिंचाई की योजना तैयार की है?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतलाया कि अजमतगढ़ ताल कोई नहीं है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

देवरिया जिले में सरजू नदी की बाढ़ को रोकने के उपाय

*९—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वह देवरिया जिला में सरजू नदी में बाढ़ को रोकने के लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री राममूर्ति—देवरिया जिले में सरजू नदी की बाढ़ को रोकने के लिये अभी तक तो कोई योजना नहीं बनाई गई है। परन्तु इस जिले और उत्तर प्रदेश के दूसरे पूर्वी जिलों के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के निरीक्षण (Survey) के लिये सरकार की ओर से आदेश दिया जा चुका है। सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाढ़ रोकने की योजनाएं बनाई जायेंगी।

*१०—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार को पता है कि बिहार प्रान्तीय सरकार ने बिहार की तरफ छोटी गंडक नदी में बांध बना दिया है जिससे तहसील सलेमपुर के पूर्व का भाग हर वर्ष बाढ़ से डूब जाता है ?

श्री राममूर्ति—बिहार राज्य में छोटी गंडक नदी के बायें किनारे पर जहां वह घाघरा नदी में मिलती है उसके समीप एक बांध है। सामान्य बाढ़ में तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया की लगभग १,५०० एकड़ भूमि जो छोटी गंडक के दाहिने किनारे पर है बाढ़ के पानी से जलमग्न हो जाती है।

*११—श्री बद्रीनारायण मिश्र—यदि हां, तो उसके रोकने के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में छोटी गंडक के दाहिने किनारे पर ३ मील लम्बा चुरिया नामक बांध मौजूद है। १९५२ में उसकी मरम्मत कराई गई थी। प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में जिस निरीक्षण (Survey) का वर्णन किया गया है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर चुरिया बंध के दोनों सिरों को बढ़ाये जाने की योजना पर विचार किया जायेगा।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरजू नदी की बाढ़ के कारण ही मुख्यतः वहां पर गरीबी है ?

श्री राममूर्ति—हां, गरीबी का एक कारण यह भी हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या सिर्फ छोटी गंडक का ही सर्वे हो रहा है या सारी नदियों का सर्वे हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि जहां-जहां भी पूर्वी जिलों में बाढ़ आती है उन तमाम का सर्वे होना आरम्भ हो गया है।

श्री गेंदासिंह—यदि सर्वे होना आरम्भ हो गया है तो माननीय सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करें कि सर्वे कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—कोई एग्जैक्ट डेट बताना तो मुश्किल है लेकिन जल्दी कराने की है।

तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में कृषि उन्नति के लिये कुओं का निर्माण

*१२—श्री राम चन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्द शहर में कितने कुयें साल ५२-५३ में कृषि उन्नति के लिये बनवाये गये ?

श्री राममूर्ति—तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में १९५२-५३ में सरकारी योजना के अन्तर्गत १३० कुयें सिंचाई के लिये बनवाये गये।

*१३--श्री राम चन्द्र विकल--इन कुओं में कितने ऐसे हैं जिन पर पूर्ण छूट दी गयी और कितने ऐसे हैं जिनपर आधी छूट दी गयी ?

श्री राममूर्ति--इन कुओं में से २ पर ५०० रुपये प्रति कुयें के हिसाब से और ६४ पर २५० रुपये प्रति कुयें के हिसाब से छूट दी गई। शेष ६४ में से २४ छूट पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे एक वर्ष के निर्धारित काल के अन्दर पूर्ण नहीं हो सके। बाकी ४० कुओं की जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि २४ कुयें जो उन्होंने बतलाया कि एक वर्ष में नहीं बने, उनमें अधिकांश कुयें ऐसे हैं जो साल भर के अन्दर बन गये हैं ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास जो रिपोर्ट है वह तो यही है, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है इसलिये हम फिर जांच करवालेंगे।

नलकूप विभाग, अलीगढ़ से सीमेंट की बोरियों का गायब होना

*१४--श्री महीलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लगभग तीन वर्ष हुये नलकूप विभाग अलीगढ़ में हजारों सीमेंट की बोरियों के गबन का केस पकड़ा गया था ?

श्री राममूर्ति--सीमेंट की बोरियों की कमी का एक केस अलीगढ़ नलकूप डिवीजन में सामने आया।

*१५--श्री महीलाल--यदि हां, तो उससे संबंधित अपराधी अफसरों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां हुईं।

श्री राममूर्ति--इस मामले की जांच एक विभागीय कमेटी द्वारा की गई तथा मुख्य इंजीनियर से विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

श्री महीलाल--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी बोरियों की कमी पकड़ी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो रिपोर्ट आने पर ही मालूम होगा।

श्री महीलाल--क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि तीन साल पहले यह बोरियां चोरी गयी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने कहा कि सारा मामला विचाराधीन है। चोरी गयीं, अथवा काम में आयीं, गबन हुआ अथवा नहीं हुआ यह सारा मामला विचाराधीन है और रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार गबन की जांच पुलिस द्वारा कराने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, आवश्यक होता है, तो वह कार्यवाही भी की जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो बोरियों का गबन हुआ उसकी सूचना सरकार को कब मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई तारीख तो मैं नहीं बता सकता लेकिन काफी पहले मिल चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस जांच करने वाली विभागीय समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक तो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर थे और एक आध आफिसर थे, जिन्होंने जांच कर ली है, और रिपोर्ट दे दी है। अब उस पर चीफ इन्जीनियर के रिमार्क मांगे गये हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जांच किस तारीख से हो रही है और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे आशा है कि बहुत जल्दी समाप्त हो जायगी और जांच तो काफी पुरानी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर यह बताने का करम फरमायेंगे कि यह जो बोरियां चोरी गयी, हैं, उनकी मालियत क्या थी ?

श्री राममूर्ति—यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जब तक पूरी रिपोर्ट सामने न आजाय यह बतलाना जरा मुश्किल है।

अर्जुन बांध, हमीरपुर में जलमग्न गांवों के पुनर्वास का प्रबन्ध

*१६—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अर्जुन बांध (हमीरपुर) में कौन-कौन से गांव डूब रहे हैं, और इनके पुनर्वास का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—अर्जुन बांध में निम्नलिखित ग्रामों की आबादी जलमग्न हो रही है—

(१) अस्थौन,
(२) सेला खालसा,
(३) भटेवरा,
(४) रमपुरा कदीम।

१—अस्थौन ग्राम के निवासियों को इसी ग्राम की सीमा में पुनर्वास कराया जा रहा है जो चरखारी से एक मील दूर पर है। इसके लिए वांछित भूमि प्राप्त कर ली गयी है, और इस ग्राम निवासियों ने इस नये स्थान में मकान बनाना भी प्रारम्भ कर दिया है।

२—सेला खालसा ग्राम निवासियों के पुनर्वास के लिए इमिलिया के जंगल में भूमि प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

३—ग्राम भटेवरा को बसाने का प्रबन्ध इसी ग्राम की परती भूमि में किया जा रहा है, जो सरलतापूर्वक मिल सकती है, ग्रामीणों को कह दिया गया है कि वे अपने-अपने घर नयी भूमि में बनावें।

४—ग्राम रमपुरा कदीम एक उजाड़ ग्राम है जिसमें केवल एक परिवार रहता है, वह उसी ग्राम की ऊंची परती भूमि में निवास स्थान बना रहे हैं।

*१७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि इमिलिया और सालट में बहुत सी भूमि कृषि योग्य है ? क्या सरकार इन स्थानों पर बन न लगाकर उपर्युक्त लोगों को बसाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—पहिले प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है कि सेला खालसा के लोगों को इमिलिया में बसाये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। सालट बन में कृषि योग्य कोई भूमि नहीं अतः किसी भी ग्रामीण ने इस बन में पुनर्वास या कृषि के लिए भूमि नहीं मांगी है। इन दोनों बनों में गत वर्ष से ही वहां के लोगों के जलौनी तथा अनेक प्रकार की लकड़ी और चराई की मांग पूरी करने के हेतु बन लगाया जा रहा है।

*१८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इस बांध में जो जमीन डूब रही है, उसका मुआविजा (कम्पेन्सेशन) किस हिसाब से दिया जा रहा है और वह कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—जलमग्न भूमि का मुआविजा लगभग २२ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। विशेष ग्रामों का मुआविजा तो बांटा जा चुका है। बचा हुआ मुआविजा भी अप्रैल के प्रारम्भ तक बांट दिया जायेगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चार गांव दिये हुए हैं, उनके अतिरिक्त और ऐसे कितने गांव हैं, जिनकी भूमि इस बांध में डूब रही है ?

श्री राममूर्ति—कुल १० गांव हैं, जिनमें ४ का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं और ६ और हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी के पास कोई शिकायत आयी है कि जो मुआविजा बंट चुका है, उसका १० प्रतिशत जो अधिकारी मुआविजा बांट रहे हैं, उन्होंने पहले से ही काट लिया था ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन बांध के कारण जो डूबे हुए गांव दूसरी जगह बसाये जा रहे हैं, उनको सरकार कुछ सहायता दे रही है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि कुछ तो मुआविजा जमीन का दिया जा रहा है, बाकी उनके मकान बनाने के लिए सरकार भी तैयार है और जो लोग अपने आप बनाना चाहते हैं उनको रुपया दिया जा रहा है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने एकड़ भूमि डूब चुकी है, या डूबने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—४४२१.०५ एकड़ जमीन।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कुल कितना मुआविजा दिया गया या दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—जहां तक जमीन का ताल्लुक है, ९० हजार रुपये के करीब बैठेगा।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों को दूसरे स्थान पर बसाया गया, उन्हें कुछ खेती की भूमि भी दी गयी ?

श्री राममूर्ति--सब को जमीन दी गयी है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चारों गांवों के काश्तकारों को कितनी भूमि दी गयी है ?

श्री राममूर्ति--इसकी मेरे पास एक्जैक्ट फीगर्स नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं मालूम करके उनको बता सकता हूं।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चारों गांवों के रह वालों के मकानों का तखमीना सरकार ने लगाया था ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि जमीन का तो २२ रुपये एकड़ के हिसाब से लगाया गया था, लेकिन जहां तक मकानों का ताल्लुक है, जिसका मकान जिस हैसियत का है, वैसा ही मकान बनाने की कोशिश की जाती है। मेरे पास रुपयों की एक्जैक्ट फीगर्स इस वक्त नहीं हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेलाखालसा को कब तक इमिलिया में बसाने का प्रबन्ध किर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति--प्रबन्ध कर दिया गया है, और मैंने अर्ज किया कि मकान बनने शुरू हो गये हैं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मुआविजा दिया गया है, वह कितना बंट चुका है, और कितना बाकी है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसके कोई एग्जैक्ट फीगर्स नहीं हैं।

मैनपुरी जिले में १९५२ में सेशन केसों में असेसरों की राय के बहुमत पर फैसले

*१९--**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५२ ई० में सेशन के केसों में असेसरों की राय के बहुमत पर कितने फैसले हुए हैं, और १९५२ ई० में असेसरों को बुलाने में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--मैनपुरी जिले में सन् १९५२ ई० में सेशन केसों में असेसरों की राय के बहुमत पर कुल ७३ फैसले निम्नलिखित सेशन अदालतों में हुए :--

(१)	सेशन जज	४६
(२)	एडीशनल सेशन जज	१०
(३)	असिस्टेंट सेशन जज	१७
	कुल	७३

मैनपुरी जिले में सन् १९५२ ई० में असेसरों को बुलाने में कुल ३, २४३ रु० १० आने खर्च हुए।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जज के लिए यह लाजिमी है कि असेसरों की बहुमत राय पर ही अपना फैसला दे ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो कानून का मामला है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई लाजिमी नहीं है।

श्री गणेश चन्द्र काछी—तब क्या सरकार यह समझा सकेगी कि जब लाजिमी नहीं है, तब उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—फिर आप कानूनी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन असेसरों में से जिला मैनपुरी की तहसील भोगांव के कितने असेसर हैं ?

श्री अध्यक्ष—इससे भोगांव उत्पन्न नहीं होता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब असेसरों की राय नहीं मानी जाती है, तो उनको अलग कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सुझाव दे रहे हैं, यह प्रश्न नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

*२०-२१—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

लखनऊ की सरकारी कोठियों में उच्च अधिकारियों का निवास

*२२—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में ऐसी कितनी सरकारी कोठियां हैं जिनमें उच्च सरकारी अधिकारी निवास करते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—८५ (पच्चासी)।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो लोग इन ८५ कोठियों में रहते हैं, उनसे किसी से किराया भी लिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह समझा कि यह पूछ रहे हैं कि उनसे किराया नहीं लिया जाता। किराया लिया जाता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक कोठी का ज्यादा से ज्यादा और कम से कम क्या किराया लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह तो गणित का सवाल पूछते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मन्त्री जी इन कोठियों में उन कोठियों की संख्या बतलायेंगे जिनका सरकार ज्यादा किराया देती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से कम लेती है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २२ श्री बलवन्त सिंह ने पूछा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार उन कोठियों में से किसी कोठी का किराया नहीं देती है। सवाल जो था, वह यह था कि सरकारी इमारतें कितनी हैं सरकारी मुलाजिमों के कब्जे में जो हैं। उसका जवाब दिया गया है। सरकार जब कभी भी किसी गैर आदमी की कोठी को किराये पर लेकर के किसी सरकारी मुलाजिम को रखती है, तो किराया तो वही देना होता है, जो मालिक से ठहरता है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम रहता है, वह १० फीसदी अपनी तनख्वाह का किराये की शक्ल में देता है कायदे के एतबार से।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन सरकारी कोठियों में से कोई कोठी ऐडवोकेट जनरल के लिए भी सुरक्षित है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--नहीं तो। ऐडवोकेट जनरल साहब तो एक किराये के मकान में रहते हैं जो मेरी कोठी के करीब है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन कोठियों का सालाना मेन्टिनेंस का खर्चा कितना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसका टोटल इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*२३--**श्री शुकदेव प्रसाद** (जिला गोरखपुर)--[१३ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*२४--**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)--[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*२५--**श्री काशी प्रसाद पाण्डेय** (जिला सुल्तानपुर)--[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*२६-२७--**श्री गुरु प्रसाद सिंह** (जिला सुल्तानपुर)--[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में नलकूप की योजना

*२८--**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बनवाने का उसका विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत ४ नलकूप व वैयक्तिक नलकूप योजना के अन्तर्गत २ नलकूप पीलीभीत जिले के लिए निर्धारित किये गये हैं। यदि पूरनपुर तहसील के किसान व उनकी सहकारी समितियां, नलकूप बनवाना चाहें, तो वे जिलाधीश पीलीभीत को विचारार्थ आवेदन-पत्र दें। इस तहसील में राजकीय नलकूप बनवाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन दो नलकूपों के अलावा जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता है, वहां पर नलकूप बनवाने का विचार कर रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न २८ श्री हरि प्रसाद ने पूछा।

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि जहां पानी की कमी है, वहां के लोग जिलाधीश को दरख्वास्तें दें, तो शायद और नलकूप उनके लिए रख ... सकते हैं। लेकिन वह सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत ही होगा।

राज्य के सब-रजिस्ट्रारों को सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट की शक्ति

*२९--श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के कुछ सब-रजिस्ट्रारों को मैजिस्ट्रेट सेकेन्ड क्लास की पावर दे रखी है, जिसकी अवधि ३१ मार्च, सन् १९५४ को समाप्त हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

*३०--श्री रामेश्वर प्रसाद (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पावर को ३१ मार्च के बाद भी बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--उनकी अवधि को एक साल के लिए और बढ़ाने का निश्चय सरकार कर चुकी है।

*३१-३३--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)--[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३४-३५--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३६-३७--श्री काशी प्रसाद पाण्डेय--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३८-३९--श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में करनलगंज-नवाबगंज सड़क को पक्का करने की आवश्यकता

*४०--श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जिला बोर्ड गोंडा से वह सड़क जो करनेलगंज से नवाबगंज जाती है, सम्पूर्ण वापस ली है, या कि आंशिक रूप में ? यदि आंशिक रूप में, तो कहां से कहां तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--केवल करनलगंज से परसपुर तक का भाग जिला बोर्ड, गोंडा से वापस लिया गया है।

*४१--श्री रघुराज सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त सड़क को पुख्ता करने का कार्य कब से आरम्भ होने जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस समय निश्चित रूप से यह बताना कि उपरोक्त कार्य कब से आरम्भ होने जा रहा है, सम्भव नहीं है।

श्री रघुराज सिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि सड़क के अभाव में बाढ़ग्रस्त लोगों को समय पर सहायता प्राप्त नहीं हो पाती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, पब्लिक को दिक्कत है, यह मालूम है।

श्री रघुराज सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि करनलगंज से परसपुर तक सड़क चालू पंचवर्षीय योजना में बन जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं। इस योजना में नहीं। इसके बाद इसको लिया जायगा।

लकसर-हरिद्वार सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता

*४२---**श्री दीन दयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार लकसर से हरद्वार पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हाँ। यह कार्य सरकार के विचाराधीन है। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि कार्य कब तक किया जा सकेगा।

हरिद्वार में सब-ट्रेजरी खोलने की मांग

*४३---**श्री दीन दयालु शास्त्री**---क्या यह सच है कि हरद्वार नगरपालिका तथा अन्य अधिकारियों ने हरद्वार शहर में सब-ट्रेजरी खोलने की सरकार से माँग की थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हाँ।

*४४---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---क्या सरकार का विचार हरद्वार में सब-ट्रेजरी खोलने का है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं।
यह प्रश्न नहीं उठता।

इस मामले की पूरी तरह से छानबीन की गयी है, लेकिन हरद्वार में सब-ट्रेजरी कायम करना मुमकिन नहीं मालूम होता है। सब-ट्रेजरी आम तौर पर सिर्फ तहसील हेडक्वार्टर्स पर ही खोली जाती है, और हरद्वार में तहसील के लिए जितना काम होने की सम्भावना है, उसे देखते हुए वहाँ एक तहसील कायम करना उचित न होगा। खर्चे के खयाल से भी हरद्वार में एक नयी तहसील खोलने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर नहीं किया था।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि कुछ दिन पहले सरकार ने हरद्वार में तहसील खोलने का विचार किया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विचार करके मंजूर नहीं किया, इसकी जवाब में लिखा गया है।

*४५-४६---**श्री सत्यसिंह राणा** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये]

*४७---**श्री रमेश चन्द्र शर्मा**---[३१ मार्च, १९५४ को प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*४८---**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)---क्या राय बरेली जिले में नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--पन्द्रह वर्षीय योजना के अन्तर्गत राय बरेली जिले में सरकारी नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ में एक नलकूप रायबरेली जिले के लिए स्वीकृत किया गया है।

श्री दल बहादुर सिंह--क्या सरकार यह कृपा करके बतायेगी कि वह एक सहकारी नलकूप कहाँ पर लगाया गया और उसके लिए कुछ रुपया जमा है ?

श्री राममूर्ति--नलकूप लगाने का कायदा यह है कि लोग अपनी दरख्वास्त जिलाधीश को दिया करते हैं और प्लानिंग कमेटी के जरिये से तय हो जाता है जहाँ पर वह लगाया जाय। हमारे यहाँ से रुपया उनको दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद कुआं बन जाता है।

श्री दल बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि इस सहकारी नलकूप के लिए डेढ़ वर्ष से ज्यादा हो गये और उसको पाँच हजार रुपया जमा हो गया और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री राममूर्ति--हमें इस बात का अफसोस है कि वहाँ की प्लानिंग कमेटी इतनी नाकिस है कि अभी तक उसको बना नहीं पायी।

श्री दल बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि १० महीने से ज्यादा हो गये, प्लानिंग कमेटी का प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास आ गया ?

श्री राममूर्ति--हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

*४९-५०--**श्री दलबहादुर सिंह**--[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*५१-५२--**श्री धर्मसिंह**--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*५३-५५--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--[स्थानान्तरित किये गये।]

*५६-५७--**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।

*५८--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*५९-६०--**श्री राजाराम शर्मा**--[२० अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*६१-६२--**श्री प्रतिपाल सिंह** (जिला शाहजहाँपुर)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में नलकूप लगाने की मांग

*६३--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजनानुसार मथुरा जिला, तहसील छाता में ट्यूबवेल लगाने के लिए जानकारी (सर्वे) की गयी है ?

नोट--ताराँकित प्रश्न ६३ व ६४ श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

श्री राममूर्ति--जो नहीं ।

श्री रामहेतसिंह (अनुपस्थित)--यदि हाँ, तो उनके बनने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न ही नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में गंगा व रामगंगा पर पुल की व्यवस्था

*६५--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार फर्रुखाबाद जिले में गंगा राम गंगा का पुल बनवाने की व्यवस्था करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वह किस प्रकार और कब तक उसे प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद के गंगापार क्षेत्र मे पन बिजली पहुंचाने की आवश्यकता

*६६--**श्री पाती राम**--क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद के गंगापार क्षेत्र में हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कोई योजना सन् १९३९ में बनायी गयी थी ? यदि हाँ, तो किन किन कारणों से उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका और वह योजना कब तक पूरी हो सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--फर्रुखाबाद के गंगा पार क्षेत्र में हाईड्रो एलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कोई योजना नहीं बनायी गयी ।

श्री पाती राम--क्या सरकार अब इस योजना को बनाने का कोई विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस ऐवान में पहले इस बात की बहुत चर्चा आ चुकी है कि मैनपुरी में बिजली बनाने का इन्तजाम हो रहा है, और वहाँ से वह बिजली एटा और फर्रुखाबाद जायगी और ट्यूब वेल्स उसमें लगेंगे ।

*६७--**श्री पाती राम**--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

*६८-७०--**श्री द्वारिका प्रसाद पांडे** (जिला गोरखपुर)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*७१-७३--**श्री अमरेश चन्द्र पांडेय** (जिला मिर्जापुर)--[६ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज तहसील में कर्मनाशा नदी पर पुल की आवश्यकता

*७४--**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज तहसील के पूर्व की ओर पकरहट गांव के पास करमनासा नदी पर जसोली, विजयगढ़ व नोगढ़ जाने के लिए नदी पर पुल न होने तथा नाव का प्रबन्ध न होने के कारण बरसात के दिनों में प्रायः प्रतिवर्ष आदमियों व पशुओं के बह जाने व मर जाने की दुर्घटनायें हुआ करती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं आयी है ।

*७५--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार उक्त घाट पर शीघ्र ही कोई पुल या खड़ंजा बनाने की आवश्यकता पर विचार करेगी और जब तक यह नहीं बन जाता तब तक के लिए सरकारी नाव का ऐसा समुचित प्रबन्ध करेगी कि ऐसी दुर्घटनायें न हों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी तक इस प्रकार की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई जाँच करायी है ? यदि हाँ, तो कब और किस से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब इसकी सूचना नहीं आयी, तो जाँच किस बात की करायें ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि सन् १९५२ में ७ आदमी बहकर मर गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार के पास रिपोर्ट लिखित देने पर सरकार शीघ्र उसकी जाँच करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ, जरूर करायेगी ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार कोई योजना अब फिर बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसका जवाब दे दिया गया है कि इस वक्त तो कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई खास इसकी अहमियत समझते हों तो लिख भेजें । उस पर फिर विचार कर लिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार माननीय सदस्य की इसी सूचना को पर्याप्त समझ कर इन सारी घटनाओं की--मरने-जीने की--जाँच करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ, जरूर जाँच करायेगी ।

'प्रश्न नहीं उठता' पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--अभी कई सवालों के जवाब में आनरेबिल मिनिस्टर ने यह कहा कि यह सवाल इस से पैदा ही नहीं होता । आया इसके तय करने का हक आनरेबिल स्पीकर को है या माननीय मन्त्री जी को है कि किसी सवाल से यह सवाल पैदा होता है या नहीं होता है । इसकी तौजीह चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न उठता है या नहीं उठता है यह तो फैसला मैं करता हूं । लेकिन अगर वह यह जवाब देना चाहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है, तो जवाब में शामिल हो सकता है । ऐसा जवाब वह दे सकते हैं । यह उनकी राय है । अब अगर आपको जवाब पसन्द न हो तो इसमें नियम दिया हुआ है कि अगर आप किसी जवाब को अनुचित समझें, तो उस प्रश्न के ऊपर आप बहस की मांग करें, और उसके लिए मुझ से दरख्वास्त करें ।

१९५४ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का द्वितीय पूरक) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ फरवरी, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २४ फरवरी, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

१९५३ का उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूब वेल्स (संशोधन) विधेयक

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूब वेल्स (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ दिसम्बर १९५३, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २७ फरवरी, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मागों पर मतदान---अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--वित्तीय वर्ष १९५४-५५ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिए समय निर्धारित करना है। उसके लिये आप कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---मेरा सुझाव है कि अनुदान संख्या ८ और ११ के लिए तीस तीस मिनट निर्धारित किये जायं और अनुदान संख्या २४ और २५ के लिये जो समय बाकी बचता है वह रख दिया जाय।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---बिजली से सम्बन्धित जो अनुदान हैं २४, २५ और ४६ ये एक साथ ले लो जायं और आज के लिये अनुदान संख्या ८,११,३६, ४८ और ५० रख दी जायं। अनुदान संख्या ८ के लिये ४५ मिनट, अनुदान संख्या ११ के लिए एक घंटा तीस मिनट, अनुदान संख्या ३६ और ४८ के लिये तीस मिनट और बाकी समय अनुदान संख्या ५० के लिये रख दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं। आज सिर्फ अनुदान संख्या ८,११,२४ और २५ ले लो जायं। अनुदान संख्या ८ के लिये ४५ मिनट का समय रख दिया जाय उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी अनुदान कल ले लो जांय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मेरा अनुरोध है कि सुविधा के लिये बिजली की अनुदानें आज ले ली जायं और बाकी ८,११,३६ और ४६ कल ले ली जायं। इसमें माननीय सदस्यों को बहस करने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से यह निवेदन करूंगा कि बिजली के सम्बन्ध में एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट आयी है, वह कल ही मिली है। इसलिये मैं चाहता हूं कि बिजली के सम्बन्ध में अनुदानों को कल ही रक्खा जाय क्योंकि जो रिपोर्ट आयी है उसे समझ बूझ कर माननीय सदस्य इन अनुदानों पर विचार कर सकेंगे और जैसा श्री राम नारायण जी ने रक्खा है वैसा ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--श्री रामनारायण जी बिजली के अनुदान ४६ को आज ही लेना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--यदि ४६ भी उसमें जोड़ दिया जायगा तो उस सम्बन्ध में समुचित विचारों का उद्घाटन नहीं हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष--तो आज ४ अनुदान ले लिये जायं यही ठीक रहा। इसमें समय का बटवारा इस प्रकार होगा। अनुदान संख्या ८ के लिये ४५ मनट। अनुदान संख्या ११ के लिये ४५ मिनट और बाकी दो अनुदानों के लिये जो समय बचा वह उनके लिये रहेगा।

अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**--जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८--अन्यकर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १३--अन्यकर और शुल्क) के अन्तर्गत २७,७३,२०० रुपये की मांग मंजूर की जाय। इस मांग का जो यह रुपया है यह इन टैक्सों की वसूली पर खर्च होने वाला है। इन्टरटेंनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स, मोटर स्प्रिट टैक्स, सेल्स टैक्स, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स, शुगर केन सेस वगैरह इन टैक्सों की वसूलयाबी में जो रुपया खर्च होता है उस रुपये की यह मिकदार है और अगले साल के लिये इतना रुपया इसकी वसूली पर खर्च करने के लिये मांगा गया है। इसमें मेरे नजदीक कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं अपनी तरफ से कहूं। जो बात होगी तो मैं उसको बाद में अर्ज कर दूंगा लेकिन शुरू में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इसके मुताल्लिक कहूं सिवाय इसके कि यह खर्चा इस किस्म का है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ८ के अन्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव भवन के समक्ष रखता हूं।

इसमें जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एन्टरटेन्मेंट टैक्स, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स, शुगर केन सेस वगैरह यह सब टैक्स आते हैं। सब से पहले मैं इस सम्बन्ध में यह कहना मुनासिब समझूंगा कि आजकल इस प्रदेश के अन्दर सिनेमा घर रोजाना बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको बजट के देखने से पता चलेगा कि ५३-५४ में जो आमदनी ८० लाख थी वह ५४-५५ के बजट में ७१ लाख रह गयी है। इसमें ९ लाख कम हो गयी है। तो यह समझ में नहीं आता कि जहाँ इन्टरटेंन्मेंट के साधन सिनेमा वगैरा बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं और उधर इंसपैक्टर भी बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि आमदनी की कमी का कारण शासन का ठीक-ठीक न चलना ही हो सकता है, इन्सपैक्टरों को ठीक-ठीक देखभाल न करना ही हो सकता है जिसकी वजह से यह कमी यहाँ पर मालूम हो रही है। इस कारण मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में यह सुझाव रखता हूं कि जो इन्सपैक्टर वगैरा रखे गये हैं उनके ऊपर और उनके कार्य के ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है जिससे कि इस मद में आमदनी कम न हो।

इसके बाद एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आती है जिस पर ड्यूटी लगाने से सरकार को ८० लाख रुपये का फायदा होता है जैसा कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में है जिसे माननीय आचार्य जुगलकिशोर जी ने पेश किया था, इस महकमे में बिजली पैदा करने में १२ लाख की बचत हो सकती है अगर ठीक से इन्तजाम किया जाय। अकेले अलीगढ़ पावर हाउस में जो कस्बा कासिमपुर पावर हाउस है उसके बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि कागजात मंत्री जी के पास भी पहुंच गये हैं और वहाँ का मस्टर रोल १ हजार रुपया माहवारी बढ़ाकर दिखाया जाता है। वहाँ ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खुद जाकर जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माहवारी तनख्वाह बांटी तो ९५५ रुपये की बचत निकली। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ३०, ३० और ४०, ४० आदमी वहां के अफसरों के घरों पर काम करते हैं जिनके नाम मस्टर रोल में दिखाये जाते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इस मांग से कासिमपुर के पावर हाउस का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मलखान सिंह—माननीय मंत्री जी ने शायद मेरी बात पर पूर्णरूप से ध्यान नहीं दिया है। जब बिजली पैदा करने का खर्चा कम हो सकता है तो फिर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। यह जो ८० लाख रुपया की आमदनी आप करना चाहते हैं उसे खत्म करना चाहिये। २५ फीसदी टैक्स बढ़ाये बिना भी आपका खर्चा चल सकता है। शुरू में शुगरकेन सेस इसलिये लगाया गया था कि वह डेवलपमेंट पर खर्च किया जायगा लेकिन हम यह देखते है कि ३ १/२ करोड़ रुपये में से केवल १७ लाख रुपया माननीय माल मंत्री जी के बयान के अनुसार, डेवलपमेंट पर खर्च किया गया है। बाकी रुपया राजस्व मद में ले लिया गया। यह रकम जो किसान के मत्थे पर पड़ती है उसी के काम में न खर्च करके दूसरी मदों में ले ली जाय तो यह मुनासिब नहीं है।

सेल्स टैक्स के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि इसकी आमदनी सन् १९५२-५३ में ४ करोड़ ५४ लाख थी, ५३-५४ में ५ करोड़ २५ लाख थी और ५४-५५ में ५ करोड़ ३३ लाख हो गयी है। यानी ७९ लाख की बढ़ोतरी हुयी है। यह टैक्स यह कहकर लगाया गया था कि मद्यनिषेध से कमी पड़ेगी। लेकिन अब मैं यह देखता हूं कि छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धंधों में भी सेल्स टैक्स नहीं छोड़ा जाता। अलीगढ़ में तालों का व्यापार सेल्स टैक्स की बदौलत बिलकुल चौपट हो गया। जैसा कि उन्होंने खुद एक-एक घर में जाकर अलीगढ़ में देखा है, वह भी एक घरेलू उद्योग-धंधा है और इस पर सेल्स टैक्स माफ होना चाहिये और हाथरस शहर में कसेरे लोग बरतन बनाते हैं वहां पर भी सेल्स टैक्स ज्यादा तादाद में लिया जाता है जिसको ठठेरे लोग दे नहीं पाते हैं। वे तो दूकानदारों से तांबा लेते हैं और गढ़ कर बरतन बनाते हैं और उनको दे आते हैं, उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप इन छोटी-छोटी मजदूरी के कामों पर सेल्स टैक्स माफ करा दें तो आपकी आमदनी में ज्यादा कमी नहीं होगी।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहूंगा कि आप मद्रास के अनुसार टैक्स के हिसाब रखने का तरीका (Book adjustment system) रखें जिसमें कि एक दिन में ५० बट्टी साबुन बिक गया यह नहीं कि १ बट्टी बिकी, १० बजे दूसरी बिकी, ११ बजे तीसरी बिकी, ३ बजे इस तरह का हिसाब रखना नामुमकिन है। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो मद्रास का सिस्टम है वही सिस्टम यहां पर रखा जाय। आपकी आमदनी बढ़कर १०,५६,३५० रुपया हो गयी है। १,८४ लाख के लगभग आपकी आमदनी बढ़ गयी है। मैं आपसे कहूंगा कि यह आमदनी केवल गरीब लोगों के मत्थे पर बोझ डाल कर बढ़ाई गयी है। इसलिये इतनी बात आप मेरी मानें कि जो छोटे उद्योग धंधे हैं जैसे अलीगढ़ के ताले और हाथरस के कसेरों का काम, उनको घरेलू उद्योगों में शामिल करके उन पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय। इससे सिर्फ १०-१२ हजार रुपये की ही आपकी आमदनी में कमी होगी। इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहूंगा कि शहरों में आजकल एक रिवाज सा फैल गया है कि जगह जगह नृत्यकला मंदिर खोल दिये गये हैं। इनके कारण सिनेमा घरों की आमदनी कम हो गयी है और लोग नाचघरों में जाने लगे हैं। इन नृत्य कला मंदिरों से लोगों के आचार विचार संभलते नहीं हैं बल्कि बिगड़ते हैं। अगर इन घरों पर भी सरकार टैक्स लगाये तो बहुत अच्छा है और इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ जायगी।

श्री बलवन्त सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के अन्दर विशेषतया दो तीन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह कि जैसा कि माननीय मलखान सिंह जी ने बतलाया कि हमारे प्रान्त में कला नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कला मंदिरों के नाम से नाच गाने के अड्डे बना लिये हैं। उन लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि शिक्षा संस्थाओं के नाम पर उन चीजों को रक्खें ताकि वे सरकारी टैक्स से बरी हो जायँ। मैं समझता हूं कि नृत्यकला के सम्बन्ध में किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। चीज तो बड़ी अच्छी है लेकिन इस चीज पर नियंत्रण भी उतना ही ज्यादा होना चाहिये। गाने बजाने की कला पिछले दिनों ऐसे लोगों के हाथों में चली गयी और उस चीज का इतना बड़ा दुरुपयोग किया गया कि भले आदमियों ने तो गाने-बजाने का नाम तक लेना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह नाचने की जो कला है उसको उसी रूप में न चलाया जाय जो रूप कि पिछले जमाने में अब से पहले गाने की कला का हो गया था। तो जहाँ पर इस प्रकार की संस्थायें खोली जाती हैं, सरकार खासतौर से कानून बना करके ध्यान रखे और जो सिखाने वाले हों या जिन संस्थाओं के मातहत यह चीज चले वह चीज बहुत ही गौर करके और देखभाल करके उनके हाथ में रखनी चाहिये। क्योंकि हमने यह देखा है कि विधवाश्रम के नाम पर हमारे यहाँ कुछ इल्लिसिट ट्रेड लोगों ने जारी कर रखे हैं और अभी विधवाश्रम के सम्बन्ध में हमारी सरकार एक कानून बनाने जा रही है। तो मैं अपनी सरकार का ध्यान खासतौर से इस तरफ दिलाऊंगा कि इस चीज पर सरकार खासतौर से ध्यान रखे।

दूसरी बात जिसपर मुझे सरकार का ध्यान दिलाना है वह शुगर केन सेस के सम्बन्ध में है। हमारे प्रांत की जितनी उन्नति इस शुगर केन इंडस्ट्रीज से हुयी, वह बात किसी से छिपी हुयी नहीं है। करीब २०, २५ वर्ष इस इंडस्ट्री को कायम हुए हो गये मगर मैं यह देखता हूं कि हमारी शुगर केन इंडस्ट्रीज नीचे को गिरती जा रही है और उसका खास कारण यह है कि सरकार सेस के रूप में काफी मात्रा में उनसे रुपया लेती है। वह किसानों से ले चाहे मिल मालिकों से ले लेकिन मैं समझता हूं कि उसका अधिकतर भाग किसानों से आता है। ३ करोड़ ५० लाख रुपये की रकम इस समय सरकार किसानों से सेस के रूप में लेती है और इसमें ९० लाख रुपये की रकम ऐसी है जो पावर अल्कोहल से मिलती है जो इसी गन्ने से बनता है। मगर आजकल हम यह देखते हैं कि हमारे यहाँ गन्ने की काश्त चाहे रकबे में बढ़ती जा रही हो लेकिन उसके साथ साथ शुगर कंटेंट बहुत कम होता जा रहा है। और हमारे पूर्वी इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर मैं समझता हूं कि गन्ने की मात्रा भी घटती जाती है और इसी कारण मिलमालिक उधर से मिल को शिफ्ट करके दूसरे इलाके या दक्षिण में ले जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को खासतौर से इस ओर ध्यान देना चाहिये और जितनी रकम सरकार लेती है कम से कम उतनी रकम तो इस गन्ने की तरक्की देने में खर्च हो ही जाना चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान खासतौर से इसी इंडस्ट्री की एक दूसरी बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार ने इस बात का विचार बहुत कम किया है कि हमारे यहाँ जो फैक्टरीज हैं उनके पार्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है यानी जो पुर्जे उनके घिसते जाते हैं उनकी तरफ मिल मालिक बहुत कम ध्यान देते हैं और सरकार तो उसे बिलकुल ही छोड़ बैठी है। आजकल हम यह देखते हैं कि हमारी मिलों ने काफी मुनाफा कमा लिया है लेकिन कितना पैसा उस पर वे लोग खर्च करते हैं, मैंने तो बहुत सी मिलों का तजुर्बा किया और मैं यह देखता हूं कि उनके पार्टस का रिप्लेसमेंट बहुत कम होता है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उनको यह देखना चाहिये कि जो यह सेस के रूप में या पावर अल्कोहल के रूप में जितना लाभ उनको मिलता है उतना दोनों तरफ खासतौर से ध्यान रखें। तीसरी बात तो है ही कि मजदूरों की तरफ विशेषतया ध्यान रखना है। तो इस इंडस्ट्री के सम्बन्ध में मैं इन तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गन्ने की तरक्की दी जाय, उसके साथ साथ जो मिल के पार्ट्स हैं वे

ठीक ठीक रखे जायं जिससे यह इंडस्ट्रीज और ये मिलें हमारे यहां बनी रहें और मजदूरों का भी विशेषतया ध्यान रखा जाय ।

एक बात और है जिसकी तरफ हमें सरकार का ध्यान दिलाना है। हमने एलेक्शन के मौके पर देखा कि बिक्री कर के विरुद्ध शहरी जनता तथा व्यापारियों में बड़ा भारी असन्तोष है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे यह असन्तोष कम हो जाय और सरकार की आमदनी भी कम न हो। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि यह जो तरीका रखा गया है कि १५ हजार की सीमा निर्धारित कर दी गयी है, इससे मैं समझता हूं कि लोगों का काफी नुकसान होता है।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या ८ प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में कुछ बुनियादी बातों को उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, जब कि बजट भाषण पर सामान्य विवाद हो रहा था तो उस समय भी हमने इधर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि मनोरंजन कर से आमदनी घटती जाती है। यह समाज की बिगड़ी हुयी आर्थिक स्थिति का द्योतक है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो वक्ता महोदय बोले उन सब ने कहा था कि मनोरंजन कर से आमदनी के घटने से यह सिद्ध नहीं होता कि आर्थिक स्थिति खराब हुयी। मुझे मालूम नहीं है कि किस अर्थनीति के सिद्धांत को सामने रखते हुए इस तरह की बात सदन में प्रस्तुत की गयी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार की जानकारी में ही मनोरंजन कर से आमदनी कम हो रही है तो उस पर खर्चा कैसे बढ़ता चला जाता है? गतवर्ष जहां पर २ लाख ४ हजार था इस वर्ष वहां २ लाख १२ हजार का अनुदान मांगा जा रहा है। यह ८ हजार रुपया अधिक माननीय मंत्री जी क्यों ले रहे हैं इस पर सदन में विचार होना चाहिये।

बिजली के इंस्पेक्टरेट के कर्मचारिवर्ग के लिये १६ हजार की रकम माननीय मंत्री ज्यादा इस वर्ष लेना चाहते हैं। रेटिंग कमेटी पर जहां कि गतवर्ष दोहराया हुआ तखमीना ५ हजार था वहां इस समय २४ हजार ५ सौ रुपया माननीय मंत्री जी ले रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सरकार की किस नीति का द्योतक है। इससे सरकार जिन आधारभूत सिद्धांतों को लेकर समाज का निर्माण करना चाहती है उन पर कैसी रोशनी पड़ती है? बाजीकरण का अर्थ जुआ होता है। सरकार बराबर कहती है कि वह जुये को बन्द करना चाहती है, उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। परन्तु सरकार उससे भी एक न एक आमदनी का जरिया निकाला ही करती है। सरकार को चाहिये कि जिस तरह वह समाज का निर्माण करना चाहती है उसी तरीके से उसको कहना भी चाहिये, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। इससे बहुत बुद्धिविभ्रम होता है, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं कि कहे कुछ और करे कुछ। श्रीमन्, इस सरकार की आदत सी होती चली जा रही है कि कथन में तो वह बड़े बड़े सिद्धांतों की बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कहती है लेकिन जब उसको कार्यरूप में परिणत करना होता है तो अंग्रेजी जमाने से जो तरीके चले आते हैं उनसे भी अधिक घृणित तरीकों को यह सरकार अख्तियार करती है।

यद्यपि मुझसे पूर्व दो सम्मानित वक्ताओं ने शुगरकेन सेस के बारे में मत प्रकट किया है। मैं भी उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में संविधान की अवहेलना कर रही है। हमने कई बार इस सदन में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उठाये परन्तु सरकार ने उनका उत्तर नहीं दिया और हमने इस सम्बन्ध में दो बार शिकायतें भी सदन में की कि यह सरकार जिस विषय पर जो कर लाती जा रही है उस कर को उस विषय पर खर्च नहीं किया जाता है और यह भारतीय संविधान की अवहेलना है। आज सरकार स्वयं उन सिद्धांतों को, संविधान को, कानून की अवहेलना करे और फिर वही सरकार डंडे और पुलिस के जोर से जनता से कहे कि तुम हमारे कानूनों को मानो तो अब यह

[श्री राजनारायण]

नहीं हो सकती है। सरकार स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है जिससे सरकार द्वारा बनाये हुए कानून टूटें। श्रीमन्, साढ़े तीन करोड़ रुपया आज शुगरकेन सेस से लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया विषय पर ही बोलें और उनकी तरफ से जो उनके मत को प्रतिपादित करने के लिये बोलें वे भी सदन में वाग्जाल रचकर किसी भी वस्तु को जो उलटी है या टेढ़ी है उसको सीधी कहने की कृपा न करें। इसलिए श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन सेस का क्या औचित्य है? केन सेस क्यों लिया जा रहा है और क्यों इस पर हमसे कुछ रुपया खर्च करने के लिये मांगा जा रहा है जबकि साढ़े तीन करोड़ रुपया शुगरकेन के डेवलपमेंट करने के लिये सरकार लेती है और वह साढ़े तीन करोड़ रुपया गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिये नहीं खर्च किया जा रहा है? यह एक साल से नहीं लगातार कई सालों से सरकार शुगरकेन सेस के जरिये आमदनी बढ़ाती चली जा रही है और उसे गन्ने की अच्छाई पर और उसकी खूबी पर नहीं खर्च कर रही है। श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट पढ़े होंगे तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि टैरिफ बोर्ड ने भी सिफारिश की है कि यह शुगरकेन सेस जिससे कि कई करोड़ रुपया सरकार के खजाने में गया है और लगातार आता जाता है वह रुपया जिस तरीके से सरकार खर्च करती है अपने रेवेन्यू का एक सोर्स (जरिया) बना करके वह सरकार के लिये अशोभनीय है। टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के बाद भी सरकार उसी पुराने तरीके पर चली जा रही है और जब जब सरकार से कहा जाता है कि शुगरकेन सेस के रुपये को दूसरे तरीके से खर्च किया जाना चाहिये उसकी उन्नति में, तब सरकार उस पर चुप्पी साध लेती है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों सरकार ऐसा करती है? आखिर सरकार के दिमाग में और विचार में क्या है?

श्रीमान्, सरकार अगर ठीक तरीके से चले तो बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनसे बाई प्राडक्ट करके आमदनी बढ़ायी जा सकती है। आज पूर्वी जिलों को ले लीजिए वहां पर जितनी चीनी की मिलें हैं उनको उनकी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थिति में यदि चीनी की मिलों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक गन्ना न मिले और सरकार शुगरकेन सेस के रुपये को दूसरी मदों में खर्च करे तो यह सरकार के बौद्धिक दिवालियेपन का सबूत है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। यह सरकार की अर्थनीति के दिवालियेपन का सबूत है। इसलिये श्रीमन्, लाल बत्ती हो गयी है, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी जिस बात के लिये जो टैक्स ले रहे हैं उस टैक्स के रुपये को उसी पर खर्च करें तो उनके गलत लिये जाने वाले टैक्स का भी औचित्य साबित हो जायगा वरना नहीं।

यूं तो सेल्स टैक्स के बारे में बहुत सी बातें हुईं। सेल्स टैक्स में पारसाल वृद्धि की गयी लेकिन उससे सरकार की जो आमदनी बढ़ी है वह नगण्य सी मालूम होती है। श्रीमन्, जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर अधिक रुपये की कमी नहीं होगी और हमको जो रुपया मिलने वाला है उसमें बाधा नहीं पड़ेगी तभी हम इसको भेज सकते हैं। हम माननीय मन्त्री जी से जानना चाहते हैं कि जबकि ५,४० लाख रुपये का तखमीना ५३–५४ का था आज क्यों ५,३३ लाख रक्खा गया है। माननीय मंत्री जी जरा इस पर विचार करेंगे और सदन को इसकी जानकारी करायेंगे। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से भी कहूंगा, क्योंकि वह उत्सुक हैं बोलने को कि वह इस पर ध्यान देंगे और संयत भाषा के साथ वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालेंगे वाग्जाल में नहीं फसेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मान्यवर, श्रीमन् यह तो जानते ही होंगे कि जहां तक संयत भाषा का प्रश्न है इसके पक्ष में मेरे विषय में लोग अधिकतर कहने के लिये तैयार हो जायेंगे। हम लोग जरूर वाग्जाल करते होंगे लेकिन उस वाग्जाल पर भी हमारा दिमाग साफ है। अभी

माननीय मलखान सिंह जी ने कहा कि इन्टरटेनमेंट टैक्स की कमी का कारण यह हो सकता है कि प्रबंध में खराबी हो और माननीय राजनारायण जी का यह ख्याल है कि सम्भवतः जनता का जीवन स्तर नीचे गिर गया है, इस वजह से आमदनी कम हो गयी है। श्रीमन्, मैंने बजट के समय यह निवेदन कर दिया था कि फिल्म इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से ही यह सिद्ध होता है कि सिनेमा शोवर्स या खेल तमाशा में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सार्वजनिक कामों के लिये चैरिटी में काफी छूट दी जिसके कारण आमदनी कम हो गयी है। शायद माननीय राजनारायण जी ने मेरे भाषण के उस हिस्से को सुना नहीं होगा।

दूसरी बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं सेल्सटैक्स के सम्बन्ध में वाग्जाल तो हम करना नहीं जानते बल्कि केवल आंकड़ों को समझना और जानना जरूर ही चाहते हैं। उसी कारण से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोगों को ऐसा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स का बोझ बहुत अधिक है,वे और प्रदेशों के आंकड़े भी उठा करके देखें। सेल्स टैक्स से हमारे प्रदेश की आमदनी ५ करोड़ रुपया है। वेस्ट बंगाल की साढ़े पांच करोड़ रुपया है,मद्रास की १५ करोड़ रुपया है और बम्बई की १३ करोड़ रुपया है। यदि सेल्स टैक्स की आमदनी से और आमदनी का औसत बैठाया जाय तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी टैक्सवाही समस्त आमदनी का ७.८ फीसदी सेल्स टैक्स के जरिये वसूल करती है जब कि बम्बई की सरकार २१.६ फीसदी वसूल करती है, मद्रास की सरकार २३.५ फीसदी वसूल करती है और वेस्ट बंगाल की सरकार १५.३ फ़ीसदी वसूल करती है। ऐसी हालत में एक चीज और माननीय राजनारायण जी को, यदि वे जानने की चेष्टा करें, तो मालूम पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्जेम्प्शन्स की लिस्ट में ६१ चीजों के नाम रखे हैं जब कि बम्बई में ४७ चीजों के नाम हैं और वेस्ट बंगाल में ३४ चीजों के नाम हैं। तो श्रीमन्, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स का बोझ कितना अधिक है या कितना कम है या कितनी ज्यादती की जाती है। माननीय राजनारायण जी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की आमदनी कम क्यों आंकी जा रही है, इस विषय में माननीय वित्त मंत्री जी अधिक जानते होंगे, लेकिन मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सी छूट भी इस साल दी है और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री जी कुछ और भी छूट देने वाले हों और सम्भवतः यह चीज माननीय वित्त मंत्री जी के दिमाग में आमदनी निकालने के समय रही हो। ये चीजें माननीय वित्त मंत्री जी मुझसे अधिक जानते हैं। यदि हमारे प्रदेश का कोई नागरिक हमारे सेल्स टैक्स के वर्तमान नियमों को देखे तो वह निश्चय ही यह कह देगा कि और प्रदेशों की तुलना में हमारा प्रदेश न केवल अच्छा है बल्कि हमारे यहां बहुत उदारता का व्यवहार किया जाता है और साथ ही साथ व्यापार की कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा भी की जाती है। इसके साथ-साथ श्रीमन्, मद्रास में दस हजार रुपये पर सेल्स टैक्स लिया जाता है, बम्बई में कुछ चीजों पर ५ हजार पर टैक्स लिया जाता है, वेस्ट बंगाल में १० हजार पर टैक्स लिया जाता है जबकि उत्तर प्रदेश में १२ हजार पर टैक्स लिया जाता है। यहां यह भी है कि हम १२ हजार पर असेसमेंट नहीं करते हैं बल्कि १५ हजार पर करते हैं जबकि और जगह १० हजार रुपये पर असेसमेंट होता है। तो यह कह देना कि यहां टैक्स का भार बहुत है, मैं नहीं जानता कि किन आंकड़ों के आधार पर माननीय राजनारायण जी ने इसको साबित किया होगा। ऐसी दशा में वाग्जाल के दोषी और असंगत भाषा के दोषी हम नहीं हो सकते। हमारे विरोधी हैं।

एक सदस्य--बिहार का औसत क्या है?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--बिहार का ९.६ परसेंट है।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने जनाबवाला, यह महसूस किया कि कोई खास जवाब तलब बात कही नहीं गयी है। एक तो मेरे दोस्त बलवन्त सिंह ने सजेश्च दिया है जो कि गौर करने के काबिल है। उसका कोई जवाब मैं देना नहीं चाहता हूं। एक बात जो उसमें थी वह दूसरे सिलसिले में जवाब में आ रही है कि यह सेस जो शुगरकेन पर लिया जाता है, कहते हैं कि क्यों लिया जाता है, उधर से शायद कहा गया था कि जिस खर्चे पर उसको खर्च होना चाहिये उस खर्चे पर वह खर्च नहीं होता है, तो यह बात एक गलत-फहमी पर मबनी है। शुगर केन सेस को किसी ने यह कह करके नहीं लगाया कि इसका रुपया फलां काम पर खर्च किया जायगा। वह ईयर मार्क्ड नहीं है किसी मकसद के लिये, वह रुपया जब वसूल होता है तो वह जनरल रेवेन्यूज में जाता है। लेकिन शुगर केन सेस एक खास क्लास से आता है, यह सही है। शुगर केन सेस देने वाले जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर कितना रुपया खर्च हो रहा है उनके डेवलपमेंट पर और शुगर केन के डेवलपमेंट पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, इसको आप जोड़ करके निकालें। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं था नहीं तो मैं जोड़ करके बतला देता कि उस एरिया में इतनी सड़कें बनीं, इतने ट्यूबवेल लगे और शुगर केन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिये जितनी कार्यवाही ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने की और उसके ऊपर जो रुपया खर्च हुआ वह कहां से आया? शुगरकेन सेस को समझ लीजिये कि वह खर्च हुआ। एक बात गारन्टी करता हूं मैं कि बैठ कर हिसाब को जोड़ लें और १०,२० लाख के फर्क को छोड़ कर उतना ही रुपया न हो गया हो तो मुझे कह दें कि गलत है। बात जहां है वहां से टल नहीं सकती। यह नहीं कहा गया कि शूगरकेन सेस का रुपया केन डेवलपमेंट के काम पर खर्च हो रहा है लेकिन उन एरियाज को इतना रुपया मुख्तलिफ डेवलपमेंट के लिये दे दिया जो उसके लिये जरूरी थे। उस रुपये को जोड़ लिया जाय। इससे ज्यादा और मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

मुगालता हो गया, याद नहीं रहा पहले सुना हुआ कि सेल्स टैक्स में कमी हो रही है, इंटरटेनमेंट टैक्स में कमी हो रही है इसकी फलां फलां वजहें हैं। लेकिन इस वक्त इंटरटेनमेंट टैक्स का जहां तक ताल्लुक है वह यह है कि इंटरटेनमेंट टैक्स की आमदनी में तो कमी हो रही है और उसके लिये खर्च ज्यादा रखा जा रहा है। तो जो आदमी उसमें मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहों का जो स्केल मुकर्रर है, जो हर साल उनको इन्क्रीमेंट मिलता है उसको रोक दिया जाय। आखिर स्टाफ जो रखा गया है उनकी तनख्वाहों में जो सालाना इन्क्रीमेंट मिलता है उसकी वजह से कुछ न कुछ रकम तो बढ़ेगी ही। फिर पहले रामपुर स्टेट में कुछ इन्तजाम ही नहीं था, वह तो अभी मर्ज हुयी, वहां पहले कोई स्टाफ ही नहीं था और कम से कम ३—४ सिनेमा वहां हैं और सिनेमा देखने वालों की तादाद की जो हालत वहां है उसको मेरे एक दोस्त ने अभी बतलाया। तो आखिर वहां पर इन्तजाम करने के लिये किसी स्टाफ की जरूरत है या नहीं है? वहां जब स्टाफ रखा जायगा तो कुछ न कुछ खर्चा बढ़ेगा या नहीं? इन खर्चों के बढ़ाने के माने यह तो नहीं हैं कि जो मेरे दोस्त ने लगा लिये कि आमदनी घटती जा रही है और खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। जनरल डिस्कशन के दौरान में मैं इस ऐवान में अर्ज कर चुका हूं कि इसकी क्या वजह है। उसको दोहराने की कोई खास जरूरत इस वक्त नहीं है।

सेल्स टैक्स की आमदनी भी घटी है और उसको कहते हैं कि पर्चेजिंग पावर कम होने की वजह से घटी है। इसका भी जवाब दो दफा दिया जा चुका है, एक दफा मैंने दिया और एक दफा पंत जी ने दिया। उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेल्स टैक्स की बाबत मैंने कुछ बातें इस ऐवान में ऐसी सुनीं जो अपने अन्दर कुछ बल रखती हैं और मैंने उस हकीकत को मान कर अपनी बजट स्पीच में यहां अर्ज कर दिया था कि गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनमें से किस-किस इंडस्ट्री को इस टैक्स से मुस्तसना कर दिया जाय। एक मेरे दोस्त पानों के बारे में फरमा रहे थे। वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में कोई १०–१५ केसेज होंगे जिनके बारे में सोच रहा हूं कि एकुम अप्रैल से मुस्तसना करा दें। तो उन सब केसेज को जांच रहा हूं और जो केसेज इस किस्म के हैं जिनको वाकई मुस्तसना हो जाना चाहिये उनको गवर्नमेंट खुद ही मुस्तसना कर देने वाली है। मैं तो वैलकम करूंगा अगर मेम्बरान इस मामले में वक्त के अन्दर, यहां तो नहीं मगर वहां पर मेरे कमरे में मुझे मश्विरा दें, किसी केस को बतलायें तो मैं उस केस के ऊपर भी इस सिलसिले में गौर करने के लिये तैयार हूं। हां, फलां केस को इसमें लेना चाहिये या नहीं। यहां कह देना ज्यादा ठीक न नहीं होगा, इसलिये कि इसमें ज्यादा बातचीत करने की जरूरत होगी मुझे और आप सबको।

एक बात यह कही गयी थी कि इस १५ हजार की लिमिट से कुछ दिक्कत पैदा हो रही है। मैं उससे भी ज्यादा बढ़ाते हुए अर्ज करता हूं कि इस १५ हजार की लिमिट को बढ़ा कर २० हजार कर लिया जाय तो वह अपनी पिक्यूलियर डिफीकल्टीज को पैदा करने वाली चीज है। अगर १५ हजार से घटा कर इसको १० हजार कर दिया जाय तो दूसरे किस्म की डिफीकल्टीज पैदा होंगी। इसलिये किनको बरदाश्त किया जाय और किनको न किया जाय, यह ऐसी बात है जिसको आदमी अपने सौबर जजमेंट से फैसला कर सकता है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि यह जो १५ हजार की लिमिट है बिल्कुल माकूल है। इस लिये कि १५ हजार की लिमिट होने से हमारी आमदनी ४–५ करोड़ के दरमियान होती है। इससे ज्यादा नहीं होती है। इसमें हमने ६१,६२ चीजों को एक्जेम्पटशन दे रखा है और लिमिट १५ हजार कर रखी है और वसूलयाबी में परिपूर्णानन्द जी ने रिफर किया था कि जो टैक्सेज वसूल होते हैं, उनमें जो केसेज आते हैं उनमें से कितने ही केसेज में छूट दे देनी होती है इस तरीके से जो रिलीफ दी जा सकती है, जो ऐक्ट में प्रोवाइडेड है, उनका हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, यह इससे मालूम हो सकता है कि हम ठीक तौर पर कर रहे हैं।

अब सेल्स टैक्स के मुताल्लिक मेरे नजदीक यह हुआ कि कोई खास बात हो तो कह दी जाय बाकी और ज्यादा कहने का मुझे मौका नहीं था। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गयीं जो परिपूर्णानन्द जी ने अपनी तरफ से कह दी हैं उनको ही मेरा जवाब समझ लिया जाय और वह गवर्नमेंट के मेम्बर भी हैं उनको दोहराने की अब जरूरत रहती नहीं है।

एक सदस्य—कुछ उल्टी बातें भी कही गयी हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जब मेरी समझ उल्टी है तो मेरी समझ में उल्टी बात ही आती है। मेरी मजबूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनुदान को हाउस पास करेगा।

श्री मलखान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य बलवन्त सिंह जी ने मेरी हर एक बात की ताईद की और जहां तक माननीय मंत्री जी के भाषण को मैं समझ सका उन्होंने भी शब्दों में इस बात का इजहार किया है कि वह घरेलू उद्योग धंधों पर टैक्स में कमी करने या उसको कतई माफ करने जा रहे हैं।

एक बात मेरी समझ में नहीं आयी कि एक मर्तबा पूरे हाउस से कोई टैक्स लगवा लें और उसकी घोषणा न करके पीछे से अर्जियां लगवायें और लोगों से सिर रगड़वायें और बाद को कहें कि तुम्हारा टैक्स माफ कर दिया गया। इस चीज से गवर्नमेंट का कोई अच्छा प्रभाव जनता पर पड़ता हो ऐसी मेरी राय नहीं है। अभी मेरे साथी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि मलखान सिंह जी ने आर्थिक संकट की बात नहीं कही। मैं समझता हूं कि उन्हें समझना चाहिये था कि जितना समय मिला था उसमें मैंने कहा और मेरे बाद श्री राज नारायण जी ने जो कुछ मैंने छोड़ दिया था उसको पूरा किया। ऐसा कोई भी भाई सदन में या सदन के बाहर नहीं है जो यह न जानता हो कि लोगों की माली हालत में कमी

[श्री मलखान सिंह]

हुई है या आर्थिक ढांचा गिर गया है। यह बात सर्वथा मान्य है कि हर एक शख्स जो बुद्धि रखता है इस बात को मानता है कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है लोगों की आर्थिक अवस्था बढ़ी है यह बात आप कह कर केवल अपने मुंह से अपनी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन यह बात मानने के काबिल नहीं है। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर जो मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको वापस लेना नहीं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १३---अन्य कर और शुल्क) के अन्तर्गत २७,७३,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११---लेखा शीर्षक १८---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११---लेखा शीर्षक १८---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १४,००,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह तो मेम्बरान जानते हैं कि रुड़की कालिज जो यहां था इस स्टेट के अन्दर, वह नवम्बर, १९४९ में यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक उसमें इस बात की कोशिश की गयी है कि इंजीनियरिंग की तालीम और ज्यादा बेहतर हो जाय और जितनी ज्यादा शाखें वहां पर तालीम की कायम हो सकें वह और ज्यादा कायम की जायं। चुनांचे वहां जो कोर्सेज पढ़ाये जाते थे, यानी एलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा के कोर्सेज को कंसोलिडेट किया गया और पहले से बेहतर बनाया गया। अभी हाल में वहां के लिए कुछ दिन हुए इस हाउस में सप्लीमेंट एस्टीमेट भी आया था और यह इन्तजाम किया गया कि जो लड़के ग्रेजुएट हो जाते हैं, वह ग्रेजुएट हो जाने के बाद वहां किसी स्पेशल सब्जेक्ट की रिसर्च का काम साल भर तक करें और पोस्ट-ग्रेजुएट स्टडी के जरिये से अपने आप को स्पेशलिस्ट बनायें किसी मजमून के, इसका इन्तजाम भी वहां किया गया। चुनांचे इस साल में वहां दो तीन सब्जेक्ट्स के अन्दर लड़के इस काम के लिए लिये गये और इरादा यह है कि एक, दो तीन इस किस्म के मजमून हर साल वहां सिखलाये जाया करें और उनमें रिसर्च की जाया करे और इसके अलावा वहां एक तरीका यह भी जारी किया गया है कि वह तो एक साल भर का कोर्स है, उस से कम टाइम के लिए भी किसी खास सब्जेक्ट की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिये जो भी लड़के आयें और सीखें उतने दिनों तक और उसके बाद सर्टिफिकेट पाकर निकल सकें। चुनांचे बहुत से लड़के वहां जाते हैं और वहां से निकल रहे हैं।

इसके अलावा यह भी है कि लड़के जो वहां पढ़ते हैं वह कुछ तो इंजीनियरिंग वर्क्स रुड़की में हैं और उन कामों को वह देखते रहते हैं और उनसे प्रैक्टिकल तजुर्बा हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनको बाहर भी भेजते हैं और जगहों पर और इंजीनियरिंग वर्क्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को देखने के लिए, और उनको देखने से जो तजुर्बा और इल्म हासिल होना चाहिये उसको हासिल करें, इस किस्म की तालीम वहां जारी है, जिसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि रोज बरोज एक किस्म की तरक्की हो रही है। लेकिन मैंने एक दिन यहां पर अपने दौर बहस के सिलसिले में यह कहा था कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेरे नजदीक भी अभी उस हद तक तरक्की हुयी नहीं जितनी कि उसमें हो जाती, इसलिए कि जो हिस्ट्री वहां की थी और वाइस-चांसलर का जो किस्सा था जो पहले इस ऐवान के सामने दोहराया गया, उन वजूह से इस किस्म की रुकावटें रहीं जिससे पूरा मकसद हासिल नहीं हो सका। मगर फिर भी जहां तक कि काम का ताल्लुक है एक लाभदायक काम वहां इस रुपये के जरिये से जो है, उस पर खर्च करते हैं, बराबर हो रहा है। वहां के लड़कों के कोर्स में, सेसन जो है वहां का, उसमें उनको ५० घंटे श्रमदान का काम भी करना पड़ता है। बहुत खुशी से तमाम लड़के उसमें शरीक होते हैं। इसके अलावा नेशनल कैडेट कोर भी वहां है। उसमें भी ६० लड़के थे। अब आगे वह ९० कर दिये जायेंगे। दो एक आफिसर्स भी रहते हैं। तो इस किस्म से यह सभी काम वहां इस गरज से हो रहे हैं कि वहां लड़कों को कुछ आसानी भी रहे।

मेम्बरान के इल्म में यह बात आयी होगी कि पहले जो वाइस-चांसलर इस यूनिवर्सिटी के थे, जिनके चले जाने का तज्किरा बहुत कुछ यहां हो चुका है, उनके चले जाने के बाद फिर नया सेलेक्शन हुआ। सेलेक्शन कमेटी बनी, उसने नया सेलेक्शन किया और वाइस-चांसलर के लिए मिस्टर घोष, जो हमारे मुल्क के एक एमिनेंट इंजीनियर हैं, उनकी तजवीज की कि उनको रखा गया। चुनांचे गवर्नमेंट ने उनको रखा जाना मंजूर किया और उनको इत्तिला भी दी गयी। उन्होंने भी इसको मंजूर किया कि वह यूनिवर्सिटी के चार्ज में बहैसियत वाइस-चांसलर के रहें लेकिन वह उस वक्त अमेरिका गवर्नमेंट आफ इंडिया के कार्य से गये हुए थे और वह अभी तक वहीं हैं। गालिबन अप्रैल, मई या जून तक वह वहां से वापस होने वाले हैं और उसके बाद वह आकर उसका चार्ज लेंगे। तो कितनी ही बातें ऐसी भी हैं इस वक्त जो कि इस वजह से रुकी हुयी हैं कि वाइस-चांसलर कोई मुस्तकिल होकर के अपना काम शुरू करे तो उसके बाद वह काम भी शुरू कराये जायं। इन अल्फाज के साथ मैं तवक्को करता हूं कि १४ लाख रुपये की यह रकम है, यह ऐवान इसे मंजूर करेगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समस्त अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का हमारे प्रदेश की शिक्षा एवं प्रगति व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण से और पंचवर्षीय योजना के महत्व को देखते हुए उसके कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता को देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अनुदान में सरकार ने इस साल भारी कमी कर दी है और पिछले साल के मुकाबिले में १ लाख ८६ हजार रुपये की कमी इस यूनिवर्सिटी के अनुदान में की गयी है। श्रीमन्, किसी भी प्रदेश के लिए जो इस बात का दावा करता हो कि वह पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य के अनुसार पूरा कर रहा है और जो यह भी महसूस करता हो कि उसके पास शिक्षित कार्यकर्ताओं की, इंजीनियरों की, ओवरसियरों की कमी है, वह प्रदेश अपने यहां इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के खर्चे में कमी करे, कार्यकर्त्ताओं को अधिक शिक्षित करने की और नये नये विकास विभागों में कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए खर्चा बढ़ाने के बजाय इस प्रकार कमी करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि और भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

संसार में कहीं हैं और ऐसे पिछड़े हुए मुल्कों में भी हैं, इंडोनेशिया है, बर्मा है कहीं भी वह हमें बतलावें कि १४ लाख रुपये का बजट किस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का किस प्रदेश में है। माननीय मंत्री जी अगर इसकी मिसाल कहीं दें तो मैं बड़ा अनुग्रहीत होऊंगा। इसके अलावा जो कुछ थोड़ा बहुत बजट है, उसमें जो योजना बनायी जाती है वह बिलकुल एक प्रकार से बिना निरीक्षण किये हुए बनायी जाती है। इसकी तीन मिसालें (गलत योजना बनाने की) इस बजट में मौजूद हैं। पहली मिसाल तो रुड़की इंजीनियरिंग युनिवर्सिटी लाइब्रेरी की है। सन् १९४९-५०, ५०-५१५,१-५२ तीन साल लगातार बजट में १ लाख ७० हजार रुपये की रकम सरकार ने मंजूर की कि वहाँ पर लाइब्रेरी बनायी जाय। वह रकम पी०डब्लू० डी० के सिपुर्द कर दी गयी लेकिन आज तक वह लाइब्रेरी बनने को है और तीन साल बाद वह रुपया अब दूसरी मद में खर्च किया जा रहा है किसी दूसरी लेबोरेटरी के बनाने में तो इस तरह से वह लाइब्रेरी नहीं बन पायी।

दूसरी स्कीम लीजिये। पिछले साल ऐडवांस सर्वेइंग ऐंड फोटोग्रैमेटरी कोर्स के खोलने के लिए सदन से मंजूरी ली गयी थी। हार्ट साहब चले गये और अब दूसरे साहब आने वाले हैं। यह कोर्स लेकिन नहीं खोला गया। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी इसमें देखें कि ९५ हजार रुपया माँगा गया है कि जो मशीनरी खरीद ली गयी है उसके ट्रांस्पोर्ट और इरेक्शन के लिए। कई महीनों से यह मशीनरी ट्रांस्पोर्ट के बगैर बंदरगाह पर पड़ी हुई है लेकिन इस ज़रूरी चीज़ के लिये कंटिजेंसी फंड से रुपया नहीं लिया गया। मामूली चीजों के लिये कंटिजेंसी फंड से रुपया लिया जाता है लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ के लिये कंटिजेंसी फंड से रुपया नहीं लिया जाता। आज माननीय मंत्री जी बतलायें कि कितने महीनों से वह मशीनरी बंदरगाह पर पड़ी-पड़ी बर्बाद हो रही है।

इसके साथ ही साथ तीसरी मिसाल आप के सामने प्रस्तुत करता हूं। जो नये आइटम बजट में रखे गये हैं उसके लिये १३ आइटम हैं। इन १३ आइटम्स में १० आइटम्स टोकेन हैं। इन टोकेन आइटेम्स पर जो पूरा खर्चा होगा उसकी रकम दो लाख ५३ हजार है। वह कहाँ से आयेगी? वह सेविंग्स में से खर्च की जायगी। और वह सेविंग्ज वहाँ कहाँ से आयेंगी? वह उन्हीं पुरानी मदों से आयेंगी जो सदन ने मंजूर की हैं। उनमें पूरा खर्चा नहीं होता। उन मदों के इस्टीमेट्स ठीक से नहीं लगाये जाते। यह नहीं देखा जाता कि यह योजना मजबूत है या नहीं। बिना योजना की मजबूती को देखे हुए रुपया मंजूरी के लिये रख दिया जाता है। रुपया मंजूर हो जाता है लेकिन यूनिवर्सिटी का विकास नहीं होता। और इस प्रकार २ लाख ५३ हजार रुपया मंजूर किया हुआ पड़ा रहा। यह तीन मिसालें मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में दीं।

दूसरी बात मैं वाइस-चांसलर के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुझे मालूम है कि ५ हजार की सब से अधिक तनख्वाह रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की है। जब मैं यह कहता हूं तो उनकी योग्यता या विद्वत्ता पर शक नहीं करता लेकिन इस प्रदेश में इलाहाबाद और दूसरी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। अब पुराने हार्ट साहब भी नहीं हैं जिनके साथ आप का कोई ऐग्रीमेंट था। अब उनकी तनख्वाह में कमी होनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ जितनी लेबोरेटरीज की आवश्यकता है उनके लिये रुपया दिया जाना चाहिये जैसे हाई वोल्टेज लेबोरेटरी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह बतलायें कि किस प्रकार रुड़की यूनिवर्सिटी के लड़के बिना इस महत्वपूर्ण लेबोरेटरी के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाई पावर लेबोरेटरी जो इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है उसके लिये रुपया नहीं दिया जाता है और बाकी आइटम्स के लिये रुपया मंजूर किया जाता है। कई सालों से स्कीम पड़ी हुई है और केवल २ लाख ८० हजार रुपये की आवश्यकता है। अगर यह रुपया कटौती न किया जाता तो हाई वोल्टेज लैबोरेटरी बन जाती।

माननीय मंत्री जी ने ५०हजार रुपया लखनऊ के हेवेट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल को दिया है। यह अच्छा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह दोनों स्कूल जो लखनऊ में स्थित हैं इनको और अधिक मदद दी जाय। यह हेवेट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ की पुरानी संस्थायें हैं और बहुत समय से काम कर रही हैं। उनके लिये मालमंत्री ने पाँच साल पहले एक कमेटी बनायी थी। उसकी रिपोर्ट चाहे मंत्री जी के पास आयी हो, लेकिन और किसी को तो मालूम नहीं। आखिर ओवरसियरों की आवश्यकता हर जगह होती है। तो पी० डब्लू० डी० इंजिनियरिंग, इरीगेशन हर जगह ओवरसियरों की आवश्यकता है और पिछले साल रुपये की कमी की वजह से केवल ३०, ४० ओवरसियर से ज्यादा नहीं पढ़ा पाये। तो उनको रेकरिंग ग्रान्ट देनी चाहिये ताकि यह दोनों स्कूल मुल्क की अधिक सेवा कर सकें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय त्रिपाठी जी ने यह नहीं कहा कि यह धनिकों का बजट है। उन्होंने तसलीम किया कि यह गरीबों का बजट है और हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटीज में पैसा कम दिया। यह बात उन्होंने महसूस की मकानों के लिये कि वे कम बन रहे हैं। सरकार के पास बिजली का बटन तो है नहीं कि बटन दबा दिया और मकान तैयार हो गया। श्री अध्यक्ष के पास जिस प्रकार से बटन है कि दबा दिया और बत्ती लाल हो गई वैसी कोई मशीनरी सरकार के पास नहीं है। जवाब में कहा गया कि सरकार मकान बनवा रही है तो डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के लिये। पंचवर्षीय योजना के अनुसार आज हमको बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और विद्वानों की जरूरत है और इसलिये विदेशों में बाज बाज लोगों को ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है। कहा गया कि वाइस-चांसलर को ५ हजार रुपया दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम अच्छा दान नहीं देंगे तो हमें योग्य आदमी नहीं मिल सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि हाई कोर्ट के एक वकील ठाकुर प्रसाद हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के पद को त्याग दिया इसलिये कि वकालत से उनकी आमदनी दस हजार रुपया की थी। और हम अच्छी तनख्वाह नहीं देते तो योग्य आदमी हमको नहीं मिल सकते। वे पोलिटिकल आदमी तो नहीं हैं। अगर हम उनको संतुष्ट नहीं करते, अच्छा वेतन नहीं देते तो हमारा काम नहीं चल सकता। हमारा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है जिसके लिये अच्छे डाक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो अनुदान रक्खी गयी है वह कम है। त्रिपाठी जी ने भी कहा कि जैसा कम रक्खा गया है। ऐसी इंस्टीट्यूशंस के लिये अधिक पैसा सरकार को देना चाहिये और जगहों से काट कर ताकि देश तरक्की कर सके।

मैं गोरखपुर की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहाँ पर इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। सरकार को वहाँ भी अधिक सुविधायें प्रदान करनी चाहिये जैसे रहने का सुभीता होना चाहिये, कुछ छात्रवृत्तियाँ मिलनी चाहिये जिससे काफी दिल लगा कर विद्यार्थी पढ़ें। रुड़की इंजीनियरिंग में भी कुछ हरिजन विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिये ताकि उनको भी तरक्की करने का अवसर मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

***श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो अनुदान रुड़की और लखनऊ इंजीनियरिंग कालेज के लिये दी हुई है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। इंजीनियरिंग कालेज से जो विद्यार्थी शिक्षा पाकर निकलते हैं उनकी पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारे देश को बहुत आवश्यकता रहती है जिससे कि हमारा प्लान कार्यान्वित हो सके और विकास योजनायें उन्नति कर सकें। अब तक इंजीनियरिंग कालेजेज में दाखिले की जो परिपाटी रही है ऐसा देखने में आया है कि उसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदास आर्य]

वर्ग के लोग शिक्षा में आगे रहे जो शहरों में रहते हैं और किसान मजदूरों के बच्चों को दाखिले का मौक़ा कम मिला जब कि इंजीनियरिंग का बहुत काफी संबंध ग्रामीण जनता से ही रहता है। लिहाजा किसान मजदूरों के बच्चों के लिये इन कालेजेज में दाखिले के लिये काफी गुंजाइश रहनी चाहिये और काफी सुविधा और मौका मिलना चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रामीण भाइयों से मिलें और उनसे मिल कर हम पंच वर्षीय लान को ऊंचा उठायें। विद्यार्थियों के रहने के लिये अधिक सुविधा मिलनी चाहिये क्योंकि जो रुपया उनको खर्च करना पड़ता है उसका बर्दाश्त करना उनको दूभर हो रहा है। उस खर्च को कम करना चाहिये। हरिजन बच्चों के लिये आज वहाँ पर जिनको कपड़ा और रोटी की दिक्कत है ऐसे कालेज में शिक्षा पाना बड़ा कठिन है। मैं कहता हूं कि कठिनाई ही नहीं है बल्कि उनके लिये नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे लड़कों के लिये वहाँ पर सुविधा होनी चाहिये। जैसा कि मैंने कहा कि किसान और मजदूर बच्चों के लिये काफी मौक़ा दाखिले का मिलना चाहिये। इसके लिये हरिजन बच्चों के लिये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये जिससे वह वहाँ पर शिक्षा पा सकें। यहाँ पर लखनऊ में जो सिविल और हेवेट कालेज शिक्षा के लिये खोले गये हैं वहाँ पर भी उन बच्चों को सुविधा दी जाय। मुझे इस बात का काफी अनुभव है कि जो लोग वहाँ से शिक्षा पा कर जाते हैं उनका कार्य कागज पर ही रहता है। वे गाँव में जा कर उन मुसीबतों का सामना करने में अपने को बहुत पीछे पाते हैं जो कि अक्सर गाँव वालों के सामने आती रहती हैं। वह इन मुसीबतों से निकल कर इस प्लान को जो आज हमारे देश के सामने है उन्नति कर सकते हैं। इन सब बातों को सामने रखते हुये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह ग्रामीण जनता जिनका सम्बन्ध किसानों और मजदूरों से है उनको दाखिल करने का पूरा मौका देंगे और उनको सहूलियत देंगे ताकि उनकी रहन सहन और अन्य प्रकार की कठिनाइयां दूर हो कर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और सुविधा प्राप्त हो और वह शिक्षा प्राप्त कर सकें।

नहरों के सम्बन्ध में जो इंजीनियरों की हालत देखने में आयी है वह अजीबोगरीब है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसमें बहुत कमी है। हमारे इंजीनियरों की दशा यह है कि वह लोग कागज पर ही शिक्षा पाते हैं प्रैक्टिकल शिक्षा से वह बहुत दूर हैं। उनकी थ्योरी कागज पर ही रह जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे जनाब वाला इस बात की खुशी है कि हमारे दोस्तों को इस बात का दुख हुआ कि यूनिवर्सिटी के लिये रुपया कम रखा गया। यह बात सही है लेकिन इस वक्त यह जो रुपया है इसमें कमी दो बातों के साथ देखना चाहिये। एक तो यह है कि हम चन्द लाख रुपया सप्लीमेंटरी के जरिये से अभी थोड़े दिन हुये दे चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो रुपया पहले युनिवर्सिटी को मिला था उसमें से कुछ रुपया जो पहले वाइस-चांसलर थे उन्होंने खर्च नहीं किया था उसका तजकिरा मैं कर चुका हूं। पहला वह रुपया है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वह इस वजह से रुका रहा कि वहाँ पर वाइस-चांसलर ऐसा कोई नहीं था जो जिम्मेदारी के साथ उसको खर्च करते। तो इस वक्त जो अगले साल के लिये रुपया उनको दिया जा रहा है इस बजट के जरिये से उसमें इस बात का लिहाज किया गया है कि जो रुपया पहले का है वह रुपया भी युनिवर्सिटी खर्च कर सके। वहाँ का रुपया लैप्स नहीं होता है। हम तो उनको एक ग्रांट देते हैं यूनिवर्सिटी को उस ग्रांट को खर्च करने का अख्तियार उनको है चाहे वह इसको खर्च करें या न करें। इसका उनको पूरा अख्तियार रहता है। तो जितना रुपया उसमें खर्च नहीं हुआ था उसका लिहाज कर के इस साल रुपया दिया गया है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि खांसला साहब जिनका चुनाव सेलेक्शन कमेटी ने वाइस-चांसलर शिप के लिये किया है वह इस वक्त बाहर हैं और वे जून तक आने वाले हैं। इस सिलसिले में मैंने एक बात सुनी थी कि पहले वाइस चांसलर की तनख्वाह ५००० रुपया थी वही तनख्वाह अब भी रखी गयी है या नहीं? यह एक सवाल था। पहले वाइस चांसलर साहब एक बाहर के रहने वाले थे, उनके लिये ५००० रु० रक्खा गया था लेकिन अब खांसला साहब के लिये वह तनख्वाह नहीं रक्खी गयी है बल्कि ३७०० या ३७५० रुपया रक्खी गयी है।

एक बात यह सुनी गयी कि रुड़की युनिवर्सिटी में गांव के आदमियों को पढ़ने के लिये कुछ फेसिलिटीज होनी चाहिये। जहाँ तक युनिवर्सिटी में दाखिले का सवाल है, वह मुकाबले के इम्तहान से होता है। उसमें जो लोग पास हो जाते हैं उनमें से उतनी तादाद में रख लिये जाते हैं जितनी तादाद की उनको जरूरत होती है। वह मुकाबला सब के लिये खुला हुआ है। हर शख्स के लिये चाहे वह गांव का हो, या शहर का रहने वाला हो, वह खुला हुआ है। जितने मजमून रुड़की युनिवर्सिटी में पढ़ने के लिये जानने चाहिये, जितनी तैयारी होनी चाहिये वह हर एक के लिये है और वह गालिबन जरूर रहेगी। फिर भी यह इस किस्म की बात है कि गवर्नमेंट इसको अपने लेविल के ऊपर कर नहीं सकती क्योंकि और यूनिवर्सिटीज की तरह यह यूनिवर्सिटी भी एक आटोनोमस बाडी है और दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह उसको फैसले लेने के अख्तियारात हैं। यह हो सकता है कि वे भी इस मामले को कंसीडर करें।

एक बात यह भी कही गयी कि जो तालिबइल्म वहाँ पढ़ते हैं उनका खर्चा बहुत होता है। यह बात सही है। पहले एक मर्तबा इसका जिक्र इस ऐवान में आया था। मैंने यह बतलाया था कि उस खर्च को घटाने का ख्वाहिशमन्द मैं भी हूं। ताकि वहां कम हैसियत वाले लोग भी खर्चा बरदाश्त कर के तालीम पा सकें। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि उसकी अच्छी तरह से जाँच की जाय कि किन किन खर्चों को कम किया जा सकता है। इसके लिये एक कमेटी तजवीज की गयी थी लेकिन वह कमेटी सिर्फ इसलिये इस वक्त तक कायम नहीं हो सकी कि यूनिवर्सिटी के इंतजाम करने वाले साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि किसी आदमी के घर की दुरुस्ती को जाने वाली हो, और उसके बगैर बुलाये या आये, हम उसको करना चाहें। तो इसलिये उसको मुल्तवी कर रखा गया कि इस बात पर जब नये वाइस चांसलर साहब तशरीफ ले आवेंगे तो उनके सामने उस तरीके पर जो तरीका कि तजवीज होगा, इस सवाल पर भी गौर किया जायगा कि वहां पर रहने के खर्च को किस हद्द तक और किस तरह से घटाया जा सकता है। और कोई बात तो मेरी याद में ऐसी नहीं है जिसका कि मुझे खास तौर पर जवाब देना हो। इसलिये मैं अपनी गुजारिश इन अल्फाज के साथ खत्म करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने जो दो एक बातों का स्पष्टीकरण दिया उससे मुझे कुछ संतोष भी हुआ लेकिन जहां तक मेरे बुनियादी एतराज का प्रश्न है वहां तक माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण नहीं दे पाये। क्योंकि मेरा जो एतराज है उसके आधार में एक और पृष्ठभूमि है और वह यह है कि रुड़की युनिवर्सिटी के लिये अलग अनुदान बनाने की कोई आवश्यकता मेरी समझ में तो नहीं आयी। होना तो यह चाहिये था कि यह या तो जो एजूकेशन का बजट है उसका एक हिस्सा होता या जितने टेक्निकल या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इस प्रान्त में हैं, उन सबका एक अनुदान होता, उसकी एक योजना होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो बजट है वह शक्ति मंत्री और वित्त मंत्री के हाथों में दे दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है और बाक़ी यहां के जितने टेक्निकल और इंजिनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मातहत उसके बजट में शामिल हैं। इसलिये रुड़की यूनिवर्सिटी का अनुदान इस प्रकार की व्यवस्था में अनिश्चित सा होना स्वाभाविक है। जहां तक कि स्कीम के लिये खर्च करने की बात है माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि चूंकि वहां वाइस-चांसलर नहीं थे और जो नया एप्वायन्टमेंट हुआ है वे भी नहीं आ सके इसलिये रुपया खर्च नहीं किया जा सका। हार्ट साहब जो पुराने वाइस-चांसलर थे वे ठीक से रुपया खर्च नहीं कर सके। तो मेरी तो यह बहुत पहले से मांग है और पिछले साल भी मैंने मांग की थी कि हार्ट साहब के जमाने में जो रुड़की यूनिवर्सिटी में गड़बड़ घोटाला व गोलमाल हुआ उसकी रिपोर्ट वे हमारे सामने पेश करें कि आया जो कुछ भी रुपया तीन साल के अन्दर ग्रांट के रूप में दिया गया उसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, यह बात जानने का अधिकार इस सदन को है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो ग़लती हार्ट साहब के जमाने में हुई वह कहां तक ठीक की गयी। जो अफसर हार्ट साहब के जमाने में इस्तीफा दे कर चले गये, क्या उनको फिर वापस आने के लिये कहा गया है? क्योंकि यह बात जाहिर है कि बहुत से प्रोफेसर इस लिये इस्तीफा दे कर चले गये थे क्योंकि उनकी वहां इज्जत नहीं थी। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी को आटोनामस बाडी होना चाहिये और आटोनामस बाडी है लेकिन जो वहां की हालत है उसको देखते हुये मैं कहूंगा कि अगले वर्ष से या तो रुड़की यूनिवर्सिटी का अनुदान शिक्षा के बजट में मिला दिया जाय या इस स्टेट में जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी का एक बजट बने और उसकी एक स्कीम बने तो उसका ज्यादा सदुपयोग हो सकता है।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने तो अब एक बिलकुल ही नयी बात सुनी। अब से पहले तो इसका कोई जिक्र नहीं था। अनुदान यूनिवर्सिटीज का एक है और इस स्टेट का हाल सब को मालूम है कि कोई भी टेक्निकल क़िस्म का एजूकेशन शिक्षा विभाग के पास नहीं है। यह तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजूकेशन है और शिक्षा विभाग से अलग है। एक वक्त तो शिक्षा विभाग को दिया भी गया था और फिर शिक्षा विभाग ने उसको लौटाया और तब से सन १९४६ से यह एक अलग ही डिपार्टमेंट के पास आया। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी जैसी कोई इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूशन भी हैं नहीं जिसको मिलाया जाता। लखनऊ में जो दो कालेज सिविल और हीवेट इंजीनियरिंग के हैं वे सरकारी कालेजेज नहीं हैं। उनसे हमारा वास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उसके लड़के हमारे यहां ओवरसियर्स के इम्तहान में शामिल हो जाते हैं और जो उनमें से पास कर लेते हैं उनको प्राइवेट कंडीडेट्स का डिप्लोमा दे दिया जाता है। जो उनको इम्दाद की जरूरत होती है वह दे दी जाती है और आगे भी दी जायगी लेकिन वह दूसरी चीज है। इसलिये इनको मिलाने का सवाल उठता नहीं है। इसको अलग विभाग इसलिये रखा गया कि चूंकि यह स्टेट की है और खालिस स्टेट का रुपया इस यूनिवर्सिटी पर खर्च होता है किसी दूसरे का नहीं। इसलिये इस ऐवान को मौक़ा रहे कि उनकी आंखों से बची हुई कोई चीज है नहीं बल्कि चीज प्रामिनेंटली सामने आये और लोग उसको देख कर यह मौका पायें कि उसके मुताल्लिक जो कुछ भी राय जाहिर करना चाहें करें। लाइब्रेरी का सवाल पहले भी उठाया जा चुका था और उन्हीं साहब ने उठाया था जिन्होंने आज उठाया है। उसका जवाब दिया जा चुका है और इसलिये मैंने इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं समझी कि वह लाइब्रेरी क्यों नहीं बनी। लाइब्रेरी अब भी नहीं बनी। जहां तक लैबोरेट्री का सवाल है वह बन रही है। जिसका जिक्र भी हाउस के सामने आ चुका था। सप्लीमेंट्री बजट के जमाने में जिसका जिक्र आया था, एतराज किये गये थे और जवाब भी दिया जा चुका था। जहां तक इन बातों का ताल्लुक़ है उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका जवाब बाक़ी हो। सिर्फ एक बात वाइस-चांसलर के मुताल्लिक़ रिपोर्ट की थी। मैंने पहले भी जब यह रिपोर्ट तलब की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी थी जवाब दिया था कि कोई गड़बड़ी जिसको गड़बड़ी कहा जाय उनके जमाने में नहीं हुई। वह और बात थी जिसका तजकिरा इस सदन में थोड़ा सा हो चुका था। जो रुपया उस वक्त युनिवर्सिटी को दिया गया उस रुपये को उन्होंने पूरा खर्च नहीं किया था इसलिये हमने इस साल रुपया कम दिया ताकि वह बाक़ी रुपये में से खर्च करें। एक टोकेन ग्रांट सी शिड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स में इसलिये रखी गयी थी ताकि रुपया मंजूर हो जाये जिससे उनको खर्च करने का हक रहे लेकिन खर्च उसमें से किया जाय जो उनके पास है। अगर उस रुपये से वह ज्यादा खर्च करेंगे तो उसकी नोटिस हम लें लेंगे। यह बातें सब ऐसी हैं जिन पर जवाब हो चुका है और अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---हार्ट साहब क्यों हटाये गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह सब बयान किया जा चुका है और आप के रूबरू बयान किया जा चुका है और अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---लेखा शीर्षक १८---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १४,००,३०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४---लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख---विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं तथा अनुदान संख्या २५---लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१-क---विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

***श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने निश्चित किया था कि शेष ये दोनों अनुदान बाक़ी के आधे समय में लिये जायेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि अभी २ घंटा २० मिनट हैं, १ घंटा १० मिनट प्रत्येक के लिये रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---दोनों एक साथ ही ले लिये जायेंगे।

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**---जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४-लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९ ख-विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,०१,१३,५०० रुपया स्वीकार किये जायं तथा जनाब वाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५---लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१-क-विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय, के अन्तर्गत ८६,६०,१०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

नम्बर २४ की मांग जो मैंने पेश की है उसमें जो रुपया मांगा गया है वह पावर हाउसेज ट्रान्समिशन लाइन्स और और चीजों के लिये है जो कि इस विभाग के पास हैं और उसको मेनटेन करने में जो सालाना खर्चा होता है उसी के लिये रुपया इसमें मांगा गया है। करेन्ट फाइनेन्शल ईयर के लिये जो रुपया रक्खा गया था मेन्टिनेन्स और खर्चे के लिये उसके मुकाबिले में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इसमें २२लाख ९२ हजार रुपया ज्यादा रक्खा गया है। उसका कारण यह है कि इस साल के अन्दर जो कि अब खत्म हो रहा है जितने पावर हाउसेज और ट्रान्समिशन लाइन्स और बन गई हैं उनके मेन्टिनेन्स के लिये और रुपये की जरूरत होगी। उसी रुपये को बढ़ा कर इसमें रक्खा गया है। उसकी तफसील मैं इसलिये सुनाये देता हूं क्योंकि उससे यह भी अन्दाजा हो जायगा कि इस साल के अन्दर कौन-कौन से बिजली के काम तैयार हो गये हैं और इस काबिल हो गये हैं आगे उनके लिये मेन्टिनेंस की जरूरत हो। लेकिन इससे पहले इतना और बतलाना चाहता हूं कि लखनऊ में जो पावर स्टेशन है मार्टिन कम्पनी का उससे गवर्नमेंट ने बिजली खरीदी है क्योंकि यहां से सीतापुर, खीरी और शाहजहांपुर बिसवां वग़ैरह को नयी ट्रान्समिशन लाइन बिछी है और उसके जरिये से इन मुकामात पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इनके अलावा रूरल लाइन्स भी बिछी हैं जहां पर कि ट्यूबवेल्स बने हैं, उनको चलाने के वास्ते। इन सब जगहों पर असल में जो बिजली की जरूरत थी वह इस साल के आखिर में जब शारदा पावर हाउस तैयार हो जायगा उससे आगे चल कर पूरी की जायगी और यह एरिया उसी का है। उस लाइन के ऊपर बिजली वहां की चलेगी और उस इंट्रीम पीरियड के लिये हमने यहां के पावर हाउस से बिजली खरीद ली है ताकि वहां पहले से काम शुरू हो जाय और आबपाशी वग़ैरा की जो जरूरतें हैं वह पूरी होने लगें। उसके लिये रुपया इसमें है।

पीलीभीत का जो टाउन है वहां पर जो एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बिजली देती थी उसका प्लांट जो था वह बिलकुल खराब हो गया था और वह बिजली नहीं देता था, इससे वहां की जनता को बहुत तकलीफ थी। उसके लिए यह इन्तजाम किया गया है कि बरेली में मार्टिन कम्पनी का पावर हाउस है, उससे बिजली गवर्नमेंट ने खरीदी है और लाइन बिछाई गयी है और पीलीभीत को उससे कनेक्ट किया गया है और अब बरेली के पावर हाउस से पीलीभीत को बिजली मिलनी शुरू हो गई है। वह क़ीमत भी इसके अन्दर शामिल है जो अदा की जायगी। रामनगर टाउन अभी एलेक्ट्रीफाई हुआ है और उसके लिये काशीपुर में पावर हाउस है जो इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है। वहां से बिजली लग रही है। रामनगर को एलेक्ट्रीफाई करने के लिये और उसकी बिजली वहां मौजूद है। बलरामपुर राज्य का एक पावर स्टेशन है बलरामपुर में, वहां से गोंडा जिले में जो सरकारी ट्यूब वेल्स बनाये गये हैं उनको एलेक्ट्रीफाई करने के लिये बिजली खरीदी गयी है और वह ट्यूबवेल्स वहां उसके जरिये से चल रहे हैं। अब उसके बाद वह एरिया आता है जिसको इन बजट की किताबों में 'ईस्टर्न एरिया प्रोजेक्ट' के नाम से लिखा गया है। उसकी तफसील यह है कि मसलन गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, फैजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद यह मुकामात जो हैं इनमें सरकारी ट्यूब वेल्स बन रहे हैं और उनके एलेक्ट्रिफिकेशन के लिये बिजली की जरूरत थी, चुनांचे उसके लिये इंतजाम यह किया गया कि वहां बिजली इन ट्यूबवेल्स को मिले। तो उसमें मऊ के ऊपर देवरिया में गोसाईंगंज में, नौकरोरी में, सोहवल में पावर स्टेशन बने हैं, जिनमें बहुत से मेम्बरान को मालूम होगा कि मऊ का पावर स्टेशन चालू हो गया है। देवरिया का पावर स्टेशन चलतू हो गया है, नौकरोरी का पावर स्टेशन अगले महीने में चलने वाला है और इनके मेंटिनेंस के लिये रुपया इसके अन्दर रखा गया है। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन उसके साथ बनी है उसका जिक्र मैं नहीं करता हूं इसलिये कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्मिशन लाइन बनने की जरूरत है और वह तैयार हुई है और उसका मजमूआ मैं यह बतला सकता हूं कि वह ढाई सौ मील लम्बी बन चुकी है। तो इन चीजों के लिये ढ़ाई सौ मील लम्बी ट्रांसमिशन लाइन तैयार हुई है और छोटे-छोटे सब-टेशन्स के अलावा दस सब-स्टेशन इन कामों के सिलसिले में तैयार हुये हैं। शाहजहांपुर का पावर हाउस बन गया है और इसी साल के अन्दर उसका भी मैंटिनेंस शुरू होने वाला है। वह १८ सौ किलोवाट का है। इस सिलसिले में जो ट्रांसमिशन लाइन है और जो गंगा ग्रिड का पथरी पावर स्टेशन है उसके सिलसिले में जो सारी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है उसमें से बहुत सी बन गयी है, उसके मेंटिनेंस के लिये इसमें रुपया है। एक और यह चीज है

कि ये नये कनेक्शन्स मुहम्मदपुर पावर स्टेशन से बिजली के दिये जा रहे हैं उनकी जो लाइन बनानी पड़ती है और सामान लेना पड़ता है उसके खर्चा के लिये रुपया रखा गया है । इसके अलावा कानपुर में जो केसा है उसमें इस रुपये में से जो रुपया रखा गया है उसकी दो वजह हैं । एक तो यह कि वहां पर जो एक्सटेंशन हो रहा है पावर हाउस का और जो एक्सटेंशन हो गया है उसकी मेंटीनेंस के एक्सटेंशन लिये और जो बिजली ज्यादा पैदा हो कर बिकी और लोगों ने खरीदी है और जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है उसमें रुपया खर्च हुआ है । इनके अलावा जो डिप्रीसियेशन फंड है उसमें पहले कम रुपया रखा गया था अब एरियर्स को पूरा करने के लिये ज्यादा रक़म रखी गयी है । इसलिये इन सब के टोटल से वह रक़म आती है जो पिछले साल के और इस साल के प्राक्कलन में फर्क है । इसलिये माननीय सदस्य इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो काम इस साल तैयार हो गया है उसके मेंटीनेंस की जरूरत है । इसलिये इस रुपये की जरूरत है जो इसमें रखा गया है ।

दूसरा अनुदान जो मैंने पेश किया है वह स्टाफ के लिये है । उसमें स्टाफ की तनख्वाह है, इंक्रीमेंट्स हैं और अलाउन्सेज वगैरा यह सब चीजें शामिल हैं और इस बात का अन्दाजा करना हर एक दिमाग़ के लिये आसान है कि जितना हमारा काम बढ़ता जायगा और काम बनता जायगा उतनी ही उनके मेन्टीनेन्स स्टाफ की ज्यादा जरूरत होती जायगी । इसलिये ज्यादा स्टाफ की जरूरत हुई है । इसलिये इसके अन्दर बढ़ोतरी हुई है । इसलिये इसके मुताल्लिक़ मुझे कुछ और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । इसलिये कि इसके अन्दर सिर्फ इस्टेब्लिशमेन्ट की बात है ।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत दोनों अनुदानों में एक-एक रुपये की कटौती कर दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसके सम्बन्ध में बतलाया कि ट्रांसमिशन लाइन्स बनाई जा रही हैं और उनकी पुस्तिका में भी दिखलाया गया है । लेकिन बिजली का देश के लिये कितना बड़ा भारी स्थान है वह सदन व तमाम विश्व जानता है और प्रत्येक देश का पर कैपीटा कंजम्पशन होता है उससे दो चीजों का अनुमान लगता है। एक तो यह कि देश का स्टैंडर्ड आफ लिविंग और दूसरे परचेजिंग कैपिसिटी किस प्रकार की है । लेकिन जब हम देखते हैं कि बिजली सन् १९०३ से यानी जब से यहां प्रारम्भ हुई है, तब से और अंग्रेजी राज्य तक जितनी किलोवाट बिजली तैयार की गयी है वह १,५८,३९२ किलोवाट है और उसके बाद से आज तक जैसा कि आपकी पुस्तिका में लिखा है जिसके मुताबिक माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है, उसके अनुसार ६१,६८१ किलोवाट बिजली तैयार हुई है । अभी बहुत सी योजनायें हैं, इसका क्या फल होगा, किस तरह से हमारे सामने आयेगा ? इसमें बाद में विश्लेषण होगा जब हाउस में चीज आयेगी । लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इन छः वर्षों के भीतर जब से माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस गद्दी पर सुशोभित हैं तब से देखते हैं कि कितनी तरक्क़ी हुई है उससे कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं मालूम होती है ।

मैं कटौती के प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और मुझे दुख है और प्रसन्नता भी हो सकती है क्योंकि मैं उस जिले का रहने वाला हूं जिसमें बिजली एक किनारे से दूसरे किनारे तक माननीय वित्त मंत्री महोदय की कृपा से एक खम्भा भी मेरे जिले में खड़ा नहीं किया गया है, इसलिये नहीं कि मेरे जिले में नहीं किया गया बल्कि आज जो एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है, उसको देखते हुये हमारे हृदय में बड़ी वेदना होती है । अगर कोई भी व्यक्ति जो इस देश को, उत्तर प्रदेश के राज्य की उन्नति चाहता है और उसके यहां माननीय वित्त मन्त्री महोदय के बावजूद इतनी डिसक्रीपेंसीज और दिक्क़तें दिखाई गई हैं फिर भी वित्त मन्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

महोदय कहते हैं कि इतनी हमने ट्रांसमिशन लाइन्स बनाई हैं और उसके द्वारा खर्चा बढ़ा है, बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूं कि जिस देश के अन्दर या जिस राज्य के अन्दर इस प्रकार की बातें सहन हो सकती हैं शायद देश या राज्य पनप नहीं सकता और इसका भविष्य में बहुत बुरा असर होगा। वास्तव में किसी देश में ऐसा नहीं होता होगा जहां एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट इस प्रकार से आती हों और सदन के वित्त मंत्री कहते हैं बड़े साहस से कि हमने बहुत काम किया। यह शोभाजनक नहीं मालूम होता।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में अगर विदेशों के आंकड़े लेते हैं तो हमें यह मालूम होगा कि इंडिया के अन्दर जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वह १४, १४ किलोवाट पर ईयर है और उसके साथ जब हमारा कल्याणकारी राज्य है और हमारे परिपूर्णानन्द जी बहुत से आंकड़े बतायेंगे तो मैं भी दो चार आंकड़े दूंगा कि यू० के० में पर ईयर १,१०० किलोवाट कंजम्शन पर कैपिटा है और यू० एस० ए० में २,२०७ पर कैपिटा है। कैनाडा में ३,९०५ पर कैपिटा। लेकिन उत्तर प्रदेश में, इंडिया के अन्दर ही देखते हैं कि वह जितनी बिजली जेनरेट करता है अगर उसकी फिगर्स पर पर कैपिटा बतायेंगे तो हमारे लिये बहुत शोभाजनक नहीं होगा और माननीय वित्त मंत्री के लिये जो बिजली के मंत्री नये नहीं हैं, पूर्वकाल से चले आते हैं बहुत शोभाजनक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर ८.०७३ पर कैपिटा जेनरेशन होता है। और अगर हम उससे आगे देहली के अन्दर देखते हैं तो वहां १७.१२७ पर कैपिटा है। सौराष्ट्र के अन्दर जो छोटी सी स्टेट है और यू० पी० के दो तीन जिलों के बराबर है उसमें ८.६८० है। ट्रावनकोर कोचीन में १५.८९९ है। मैसूर के अन्दर ४८.८८९ पर कैपिटा है। बम्बई के अन्दर ४४.८५१, वेस्ट बंगाल में जिसका आधा हिस्सा कट कर पाकिस्तान में भी चला गया है उसमें ४२.८३० है। और उसी पंजाब में जिसका विभाजन हुआ और बड़ी दिक्कतें हुई होंगी वहां पर १४.०९३ है। उसके बाद मद्रास में देखते हैं तो वहां ११.३०३ होता है और हमारे प्रदेश के अन्दर जिसमें कि बिजली के अन्दर प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च होता है, यहां की हालत देखें तो हमें सह्य नहीं होगा और न इस देश के लोगों को सह्य होना चाहिये, चाहे इस विशाल बहुमत में जिस के बल पर आप कुर्सी पर विराजमान हैं, आप चलते चले जावें, लेकिन यह देश के लिये खतरा है और प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रोटेस्ट करे कि यह कैसे हुआ और कैसे होता जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि समय कम है, बहुत से आंकड़े मैंने इकट्ठे किये हैं, मैं उनको प्रस्तुत करना चाहता था लेकिन सब से बड़ी डिस्क्रिपेंसी जो इस विभाग के अन्दर है वह इसलिये है कि जिसको आयंगर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि कैनाल और बिजली को अलग-अलग कर दिया गया है। जब कि पानी से बिजली बनती है और जब बिजली बन जाती है तो वह ट्यूबवेल्स और 'ग्रो मोर फूड' के काम में आती है अगर उसका जैसा कि एस्टीमेंट्स कमेटी में भी कहा गया है, सदन में पूर्णरूप से समर्थन भी इसका होगा कि अगर दोनों विभाग एक कर दिये जायं और एक मंत्री के पास रहें और उसके पास काई दूसरा काम न हो तो यह जरूर अच्छी तरह से काम सम्पन्न होगा और उस विभाग के अन्दर जितने कर्मचारी रखे जायेंगे उन पर अवश्य नियन्त्रण हो सकेगा और वह ज्यादा अच्छे तरीके से कैनाल और बिजली का एकीकरण कर के काम कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम स्टाफ के अन्दर देखते हैं तो तीन हजार स्टाफ इस विभाग के अन्दर है लेकिन इस तीन हजार स्टाफ में हम देखते हैं कि १५,८८ सिर्फ परमानेंट स्टाफ है और १४,३२ टेम्पोरेरी हैं। वास्तव में अगर परमानेंट और टेम्पोरेरी का एक रेश्यो देख लिया जाय तो हम देखेंगे कि ४८ परसेंट टेम्पोरेरी स्टाफ रखा जाता है। एक ओर तो वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी योजनायें बढ़ती जा रही हैं, बहुत सी ट्रांसमीशन लाइन बढ़ती जा रही हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप रहेंगे और इस विभाग का संचालन आप के द्वारा होता जायगा तो १०० वर्ष के अन्दर भी यह काम पूरा नहीं होगा, बढ़ता ही जायगा। हमारी समझ में नहीं आता कि विभाग के लोग क्यों नहीं परमानेंट कर दिये जाते हैं जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी

समझें और वह यह समझें कि उनको इस विभाग में रहना है। एस्टीमेंट्स कमेटी ने भी इसके लिये अपनी रिपोर्ट में कहा है और इस सदन की भी यह राय है कि इन्हें परमानेंट कर देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के अन्दर जो खर्चा हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आनुमानिक जो खर्चा होता है, जो खर्चे का अन्दाज कर दिया जाता है और जो वास्तविक खर्चा होता है, उसके भी दो चार आंकड़े मैं आपके विचार के लिये पेश करना चाहता हूं। १९४८–४९ में वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से ५० लाख रु० अधिक हुआ, १९४९–५० में १६ लाख अधिक व्यय हुआ, ५०–५१ में ११ लाख और ५१–५२ में ५ लाख अधिक व्यय हुआ। तो यह क्या बात है? आप के पास एक्सपर्ट्स हैं और आपके वित्त मंत्री होते हुये भी क्यों उसके एस्टीमेंट्स ठीक नहीं बनते हैं और बजट में जो रखा जाता है उससे अधिक व्यय कैसे हो जाता है, यह हमारे लिये शोचनीय बात है। अब इसी एस्टीमेंट्स कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि बहुत सा स्टाफ अनक्वालिफाइड स्टाफ है और आज जब कि अधिक अच्छा स्टाफ मिल सकता है तब भी अनक्वालिफाइड स्टाफ क्यों रखा गया है, यह कुछ समझ में नहीं आता। अगर क्वालीफाइड स्टाफ रखा जाय और स्टाफ के लोग परमानेंट कर दिये जायं तो मैं समझता हूं काफी उन्नति हो सकती है। अभी जैसा कि आपने बताया कि बिजली कर को इसलिये बढ़ाया गया कि इसके खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता थी और बहुत सी ट्रांसमीशन लाइंस बढ़ाई गईं। लेकिन रामपुर में एक रजा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कंसेशन रेट पर बिजली दी जा रही है पर वहीं पर ग़रीब लोगों को बिजली का उपभोग करने से इसलिये वंचित किया जाता है कि रेट्स बढ़ा दिये जाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने यह भी देखा कि जो बड़े-बड़े उपभोक्ता हैं यह सबलेट करते हैं बिजली को और उससे प्राफिट उठाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया इस पर। सरकार द्वारा जो योजनायें बनाई जाती हैं जैसा कि पिछले साल मेरे जिले के ही सदस्य जो उसी बेंच पर बैठते हैं माननीय चन्द्रसिंह जी ने कहा था कि गढ़वाल जिले के लिये २२ लाख रुपया रखा गया है लेकिन एक भी काम वहां पर नहीं हुआ। कहते हैं कि वहां पर योजनायें सफल नहीं हो सकतीं। गढ़वाल सर्वे डिवीजन में आठ योजनायें दी हैं–रामगंगा रिजर्व प्रोजेक्ट, मलान रिजर्व प्राजेक्ट, खो रिजर्व प्राजेक्ट, भागीरथी रिजर्व प्राजेक्ट, नायर रिजर्व प्रोजेक्ट, पिंडर रिजर्व प्रोजेक्ट, जेठी छर्रा और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट। लेकिन आज तक कोई काम वहां नहीं हुआ। एक भी प्रोजेक्ट वहां नहीं तैयार हुआ। गढ़वाल एक हिली जिला है। क्यों नहीं वहां इसका इंतजाम किया जाता है? वहां केदारनाथ वेली के अन्दर एक ही प्रोजेक्ट से सारे जिले में बहुत सस्ती बिजली सप्लाई की जा सकती है और भी बहुत से ऐसे स्थान वहां हैं। लेकिन यह सब क्यों वहां नहीं किया जाता है? माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

(इस समय २ बज कर ५५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचन राम गुप्त पीठासीन हुये।)

*श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो अनुदान उपस्थित किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यह बधाई मैं उसी प्रकार दे रहा हूं जैसा कि सदन का रवैया चला आता है। उसका कारण मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बजट को देखा आज का ही नहीं बल्कि जब से यह सरकार गद्दीनशीन हुई है, तब से लेकर आज तक का बजट देखा। मुझे खेद होता है और महान दुख होता है इस प्रकार की कार्यवाही पर—आया सोचा नहीं जाता या सोच और समझ के हम लोगों को मजबूर किया जाता है, इसके लिए कि हम इस सरकार की टीका-टिप्पणी करें। मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि सरकार की क्या पालिसी है। हिमालय के जल प्रपातों से जितनी बिजली पैदा की जा सकती है, गजेटियर्स में ५० साल पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

फारेन कन्ट्रीज के एक्सपर्टस् ने बताया था कि उस से सारे यू० पी० ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए हिमालय से विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है, जिससे सारे भारतवर्ष को बिजली से जगमगाया जा सकता है। लेकिन महान् दुख है कि विद्युत मन्त्री महोदय का डिपार्टमेंट कहता है कि इस हिमालय से बिजली नहीं पैदा की जा सकती है। हमने यह प्रार्थना की थी कि आप कम से कम हेडक्वार्टर को एलेक्ट्रिफाई कर दीजिये। वहां से नौ मील की दूरी पर एक जल प्रपात है। उससे बिजली पैदा की जा सकती है। मैंने मसूरी, नैनीताल के बिजली प्रोजेक्ट्स को देखा है। क्या आप समझते हैं कि आप का डिपार्टमेंट और आपके स्पेशलिस्ट इतनी साइंस पढ़े हैं जो कामनसेंस को भी डेफाई कर दें। जब बिजली की पावर वहां पैदा हो सकती है, तो आप वहां पर बिजली क्यों नहीं पैदा करते? आप साफ कह दीजिये कि हम बिजली देना नहीं चाहते। लेकिन इस तरह से चालें चलना और वहां के लोगों को बिजली से महरूम करना सही नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे इन भाषणों का कोई असर नहीं होता, अगर वहां की जनता के दुखों और तकलीफों को इस सदन में कह कर इस सरकार पर कोई असर नहीं होता तो मैं समझता हूं कि बेहतर यह होगा कि इस सदन में चन्द्र सिंह रावत, एम० एल० ए० के बजाय एक ग्रामोफोन रेकार्ड रख दिया जाय जो गवर्नमेंट की तारीफ किया करे। मैं समझता हूं कि यह सदन इस लिए नहीं है। और विद्युत मन्त्री इस सदन को अच्छी तरह से समझाएं कि क्या वह अपने कर्त्तव्य को सम्हाल रहे हैं, क्या वह जनता पर न्याय कर रहे हैं? मैं साफ कह देना चाहता हूं कि यह बजट जो कि हमारे मन्त्री जी ने बनाया है यह मुल्क के एक हिस्से को खत्म कर देता है। कहीं मूसलाधार बारिश हुई है और कहीं एक बूंद पानी नहीं बरसा है। महान् दुख की बात है। मैं समझता हूं कि जो लोग अपना कर्त्तव्य नहीं समझते, वह यह नहीं समझते कि उनकी क्या ड्यूटी है, उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। नहीं करते तो भाई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि जिस जनता ने आप को यहां चुन कर भेजा है, और वित्त मन्त्री हमारे प्रतिनिधि हैं---कितने दुख की बात है कि वित्त मन्त्री जी अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं। क्या हमारा हक यह कहने का नहीं है? क्या हम इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं? क्यों समझ लिया गया कि चूंकि सिर्फ पांच एम० एल० ए० हैं इसलिए उनका कोई असर नहीं हो सकता? क्या इसीलिए हम को खत्म किया जाता है? अधिष्ठाता महोदय, इसका मुझे महान दुख है। मुझे इस सदन में वही तजुरबा हुआ, जिस प्रकार जेलों में जब हम जाते थे तो जो जेलर होशियार होता था वह हमारे साथ रोजाना एक न एक चीज लाकर एक नया झगड़ा तैयार कर देता था ताकि हम किसी भी मसले को तय न कर पायें। यह बड़े सख्त अफसोस की बात है कि उस इलाके को खेती के मामले में खत्म कर दिया जाता है, गूलों के मामलों में खत्म कर दिया जाता है, शिक्षा और कालेज के मामले में हमको खत्म कर दिया जाता है। हमारा जितना विकास का कार्य है सब चौपट कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है? यह सरकार को जवाब देना है। यह जम्हूरियत है या आटोक्रेसी है, या क्या चीज है? कांस्टीटयूशन के मुताबिक आपको जवाब देना चाहिए। वित्त मन्त्री से मैं कहता हूं कि वह इस तरह की चालों को भूल जायं। उन्होंने हमारे गढ़वाल के नायार डेम को खत्म कर दिया, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब को खत्म कर दिया। हमारे जिले को इस तरह से खत्म किया है। क्या यह बजट जो है आप ही लोगों के लिए है? आप बटवारा कर लीजिये। मैं कहता हूं कि दाखिल खारिज करा लीजिये। कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दीजिये। खतौनी और जो दूसरे कागजात हैं, उन सब में नाम दर्ज करवा लीजिये, हम फिर आपसे कभी गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से इन्सानियत के नाते चाहता हूं कि हमको कम से कम मनुष्यता और इन्सानियत के नाते न भूलिये, क्योंकि आप की कांस्टिटयूयेंसी के जो लोग हैं, वह यह कहेंगे कि क्या इसी तरह प्रतिनिधियों का काम है कि हमको भूल जायं---कि उनको भूलजाय? इस तरह से हमको नजरन्दाज किया जाता है और कहा जाता है कि वहां जंगल हैं।

मैं माननीय मन्त्री को निमन्त्रण देता हूं कि अगर वह वहां लकड़ी का एक तिनका भी दिखला दें। कहा जाता है कि बड़ा भारी जंगल है और मोटर नहीं चल सकती। इस तरह की गलत बातों को मैं बरदाश्त नहीं कर सकता। यह बड़े दुख की बात है। इस तरह की बातों से आज माननीय मन्त्री महोदय पर सात लाख गढ़वालियों का विश्वास नहीं रहा और मेरा भी विश्वास नहीं रहा।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, क्या हमारे माननीय रावत जी मन्त्री जी के खिलाफ नो कान्फिडेंस मोशन रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहें, तो मैं उनके साथ हूं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)——श्रीमन्, मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत दोनों अनुदानों का समर्थन करता हूं। मेरे से पहले सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा है, उनको वैसा ही अनुभव हुआ होगा लेकिन मेरा ख्याल यह है कि हिमालय पहाड़ कच्ची चट्टानों का बना है और इसलिए २२ लाख रुपये खर्च करने के बाद भी यदि नैयर डैम पर बांध नहीं बन सका और वहां बिजली नहीं बन सकी, तो उसके लिए हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्मोड़े और नैनीताल में वैसे ही सब कुछ बनता रहता है। मेरा ख्याल यह है कि नैयर डैम जैसे बड़े बांध न बना कर अगर हिमालय में छोटे-छोटे बांध बनाये जायं और छोटे बिजली घर बनाये जा सकें, तो बिजली वहां उपलब्ध हो सकती है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि गंगा नहर से स्थान-स्थान पर बिजली घर बना कर बिजली देने की व्यवस्था की गयी है। मेरे जिले में भी ऐसे दो बिजली घर हैं। उन बिजलीघरों में एक बिजलीघर बहादुराबाद और दूसरा मुहम्मदपुर का है। बहादुराबाद का बिजलीघर छोटा है। इसकी वजह से पथरी का बिजलीघर बनाया जा रहा है, जो बहादुराबाद से तीनगुनी बिजली अधिक देगा। मैं यह समझता हूं कि पथरी का बिजलीघर इस साल बन जायगा और इस साल के आखिर में वह सहारनपुर जिले और आसपास के दूसरे शहरों में बिजली दे सकेगा। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बहादुराबाद के बिजलीघर से वहां के नलकूपों को बिजली नहीं मिल सकती लेकिन पथरी का बिजलीघर जो उस से बड़ा है, उससे रुड़की और ज्वालापुर परगनों के नलकूपों को बिजली मिलनी चाहिए। अगर ये परगने भी लाभ न उठा सकें तो उस बिजलीघर से आसपास की जनता को क्या लाभ होगा?

मेरा दूसरा सुझाव तो यह है कि छोटे-छोटे बिजलीघर बनने से अधिक लाभ होता है। बड़े बिजलीघरों की अपेक्षा। और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यमुना की पूर्वी नहर से कई बिजलीघर बनाये जा सकते हैं। उसमें कई झाल हैं और तीसरे चौथे झाल को मिला कर एक बिजलीघर बनाया जा सकता है, जिस से पश्चिमी यू० पी० की बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। डाकपत्थर को बनाने की जो व्यवस्था थी उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। वह रेहन्द के बिजली-घर की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी होता और ज्यादा सस्ती बिजली दे सकता। जब हम बिजली की व्यवस्था करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि बजट में जो रकमें रक्खी जाती हैं उनका हम पूरा इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या वे लैप्स हो जाती हैं। हरद्वार और ऋषिकेष से नरेन्द्रनगर तक बिजलीघर बनाने के लिए ५० हजार रुपया स्वीकृत किया गया, लेकिन वहां बिजली का एक खम्भा तक नहीं लग पाया और न बिजली ही पहुंचायी गयी। हो सकता है कि वह रकम यों ही समाप्त हो जाय। लिहाजा जब व्यवस्था की जाती है तो बिजली जरूर लगनी चाहिए।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब बिजली मांगी जाती है तो उसके लिए काफी अड़चनें भी होती हैं। अभी पिछले दिनों एक महीना पहले ज्वालापुर के एक सज्जन ने अपने घर की बिजली की तक्सीम के लिए दरख्वास्त दी। मैंने जांच की तो मुझे

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

यह मालूम हुआ कि उसका जवाब दिया जा चुका है कि यह तकसीम नहीं हो सकती। लेकिन कल जब मैं ज्वालापुर से यहां आया तो मुझे पता लगा कि उसमें तीन आदमियों ने दरख्वास्त दी कि उनको बिजली बांटकर मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें से एक आदमी को बिजली की इजाजत दे दी गयी है और बाकी दो को नहीं दी गयी है और उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। जब तीन आदमियों ने दरख्वास्त दी तो उन तीनों के मामले पर साथ ही विचार होना चाहिए। न कि एक पर फैसला कर लिया जाय और दो पर नहीं। जब बिजली की दरख्वास्त यहां पर आती थी तो चाहे कितनी ही बिजली की इफरात हो बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन एक साल के लिए वह काम रुड़की परिवर्तित कर दिया गया तो फिर बिजली का सुभीता हो सका और रुड़की से लोगों को बिजली मिल सकी, लेकिन फिर उस काम को लखनऊ में रखने से फिर असुविधा हो रही है। मैं यह समझता हूं कि यहां पर लखनऊ में उस काम के लिए आना लोगों को ज्यादा असुविधा पैदा करता है, और ग्राहकों को दिक्कत पैदा करता है। तो इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

मुझे श्रीमन्, यह भी कहने की इजाजत होनी चाहिए कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान को बिजली शिफ्ट करने की दरख्वास्त दी जाती है तो उसमें भी कठिनाई होती है। जब पहले एक आदमी को बिजली मिली हुई है, केवल उसका शिफ्ट किया जाना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यह भी कहा जाता है कि इस विभाग में बहुत सी खराबियां हैं और होंगी लेकिन हमको यह देखना चाहिए कि बिजली विभाग जनता की सेवा के लिए क्या करता है और आगे क्या करना चाहता है। अगर इस दृष्टि से इस विभाग को देखेंगे तो बिजली विभाग में काफी काम होगा और आगे जो हमारी योजनायें होंगी वह कामयाब होंगी और हमारा प्रान्त बिजली की दृष्टि से अन्य प्रान्तों से पीछे नहीं रहेगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनके समय में विद्युत विभाग ने हमारे प्रान्त में बिजली का काफी प्रसार किया है और काफी उन्नति की है। विरोधी दल की तरफ से विभाग की कुछ त्रुटियां बतलायी गयीं जो कि अपनी जगह पर अधिकांश मात्रा में हैं और ठीक ही हैं। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी उन त्रुटियों की तरफ ध्यान दें और कोशिश करें कि वह त्रुटियां दूर की जायं।

एक बात यह कही गयी कि इस विभाग को इरिगेशन विभाग के अन्दर मिला देना चाहिए। मैं अपने उन मित्रों से यह कहूंगा कि यह विभाग सन् १९५० में आयंगर कमेटी रिपोर्ट के अन्तर्गत सिंचाई विभाग से अलग किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस भावना को लेकर और जिन बातों को लेकर यह उस विभाग से अलग किया गया था और जो यह ख्याल किया गया था कि इस से फायदा होगा, वह फायदा आज तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आज हम इस बात को मानते हैं और हम जानते हैं कि यह विभाग बहुत आगे बढ़ गया है और बढ़ेगा और इसका बहुत प्रसार होगा तो फिर अब यह सुझाव देना कि इसको पुनः उसमें मिला दिया जाय, ज्यादा उचित नहीं मालूम होता है। हां, यह बात मैं जरूर देखता हूं कि कोआर्डिनेशन जो कैनाल और हाइडल विभाग में होना चाहिए वह नहीं है। हम यह देखते हैं कि ट्यूबवेल्स बन जाते हैं मगर उनके अन्दर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं पहुंच पाती हैं और वह इनरजाइज नहीं हो पाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि आबपाशी का काम तेजी से नहीं हो पाता है। इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद मुझे दूसरी बात यह कहना है कि जब हम इस विभाग को और इस विभाग के खर्चे को देखते हैं, तो उसको देखने से हमारा कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि इस विभाग में जो स्टाफ है, वह काम को देखते हुए बहुत ज्यादा है और उस स्टाफ को देखते हुए भी खर्चा कहीं ज्यादा है। इस सिलसिले में मैं आपकी आज्ञा से इस्टीमेंट कमेटी रिपोर्ट से एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि : The table above shows an increase in

establishment expenditure exertue which is not even propertionl to the increase in men employed ;

इस पर इस्टीमेट कमेटी ने अपना पूरा-पूरा ध्यान दिया है। आशा है माननीय मन्त्री जी भी इस ओर ध्यान देंगे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आयंगर कमेटी ने कुछ सिफारिशें चीफ इन्जीनियर की नियुक्ति के बारे में की थीं। उन्होंने उसके लिए कुछ योग्यता निर्धारित की थी कि इस स्टैन्डर्ड की योग्यताओं का चीफ इन्जीनियर होना चाहिए। वह इस बात को भी जानती थी कि इस योग्यता का चीफ इन्जीनियर हमारी स्टेट में नहीं है, तो फिर उन्होंने यह कहा कि जो सीनियर मोस्ट इन्जीनियर हो उसको ही स्थायी चांस दिया जाय, मगर आज चार साल बीत जाने पर भी वही अस्थायी प्रबन्ध अब भी चल रहा है।

इतनी ही बात नहीं है, और भी बड़े-बड़े इन्जीनियर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, उनके पास विद्युत सम्बन्धी क्वालिफिकेशन नहीं है। जिनके पास विद्युत सम्बन्धी क्वालिफिकेशन नहीं है, सुपरिन्टेंडेंट पावर हाउस को ही देखिए। इनका ग्रेड २०० रु० से ४७५ रु० तक का है। माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि उनके स्थानों पर बे पढ़े लिखे सिफारिशी लोग रख लिये गये हैं। आपके यहां २४ पावर स्टेशन्स हैं, जिनमें केवल ५–६ सुपरिन्टेंडेंट क्वालिफाइड होंगे बाकी मैट्रीक्युलेट भी नहीं हैं और अफसोस तो यह है कि टेक्निकल इन्स्टीटयूट के विद्यार्थी सर्विसेज की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे। दूसरा सुझाव मेरा एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने का है। जब आपके इतने एलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इस एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम पड़ता है कि बिजली के यूनिट्स हमारे बढ़ते जाते हैं। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाता है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में रेवेन्यू बढ़ना चाहिए उस प्रोपोर्शन में वह नहीं बढ़ रहा है। यह अजीब अनेमलीसी मालूम होती है। मान लीजिये कि एक करोड़ बिजली की यूनिट की आमदनी ४० लाख रुपया होती है, लेकिन उसके बाद ४ करोड़ यूनिट की अगर हम आमदनी देखते हैं, तो वह केवल ४५ लाख ही होती है। यानी केवल ४–५ प्रतिशत ही बढ़ती है। इसकी ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस विभाग को कार्मशियल लाइन्स पर ही चलना चाहिए।

एक बात यह भी कही गयी है कि टेम्पोरेरी स्टाफ बहुत ज्यादा है। ४८ प्रतिशत लोग टेम्पोरेरी हैं। यह ठीक है। मेरा भी ख्याल है कि टेम्पोरेरी स्टाफ जितना भी कम हो सके, वह किया जाय, क्योंकि जो टेम्पोरेरी होता है, जिसकी सर्विस की सिक्योरिटी कम होती है, उसकी काम करने की दिलचस्पी भी उतनी ही कम होती है। और उनमें भ्रष्टाचार फैलने की सम्भावना भी अधिक होती है, क्योंकि वह समझते हैं कि जो भी कमा लें, वही अपना है, न जाने कब अलग कर दिये जायं।

इसके बाद अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से एक बात कहूंगा वह यह कि आजादी के बाद सब विभागों में मोटर खरीदने की एक लहर सी आ गयी है। हर विभाग में किसी न किसी बहाने से मोटर खरीद ली जाती है। जीप से लेकर युटिलिटी कार तक खरीदते हैं। इनका जितना मिसयूज होता है, वह किसी से छिपा नहीं है। मेरा सुझाव इसके लिए यह है कि आजकल जब कि ट्रांस्पोर्टेशन के साधन बहुत ही सस्ते हैं, और ज्यादा हैं, सारा ट्रांस्पोर्ट पब्लिक कैरियर्स द्वारा ही होना चाहिए, और जितने टुक्स विभाग के पास हैं, वह सब तथा अन्य वह सब जीपें, कार्स तथा पिकप्स आदि जो कि व्यक्तिगत रूप में इन्जीनियर साहबान के पास हैं, वह सब

[श्री नवल किशोर]

वापस ले ली जायें। जिनको खरीदना हो, वह अपनी-अपनी गाड़ी खरीदें, और यदि सरकार चाहे तब उनको एवडांस के रूप में सहायता दे दे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे माननीय चन्द्र सिंह जी रावत के भाषण को सुनकर इस बात का उत्साह हुआ कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, वह इसलिए कि माननीय चन्द्र सिंह जी रावत ने केवल ७ लाख आदमियों की बात कही, मुझे दुख है कि वह ७ लाख नहीं बल्कि २२ लाख हैं, जिनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना है।

माननीय दीन दयालु शास्त्री जी ने कहा कि नैनीताल और अल्मोड़े में तो कुछ न कुछ हुआ करता ही है। मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया। मैं उनकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। वे समझते हैं कि नैनीताल और अल्मोड़े के तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं इसलिये वहां कुछ न कुछ हुआ ही करता है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वहां जो हाइडिल लगी हुई है वह चन्द लोगों के लिये अंग्रेजों ने लगवाई थी। वहां की आबादी ३ हजार है। अल्मोड़े में जो बिजली है वह डीजल से मिलती है। वह १२ हजार की आबादी को मिलती है। इस प्रकार से २२ लाख की आबादी में से सिर्फ १५ हजार की आबादी को बिजली मिल पाती है। इससे माननीय दीनदयालु जी को यह अनुमान हो सकता है कि माननीय पंत जी के नाम पर वहां कुछ भी नहीं हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार का दिवालियापन यह है कि उसने हमें अभी तक यह नहीं बताया कि इस सूबे में हमें कितनी बिजली की आवश्यकता है, ऐग्रीकल्चर के लिये कितनी इंडस्ट्रीज के लिये कितनी और हैवी इंडस्ट्रीज के लिये कितनी व लोकल कंजम्पशन के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता है। ऐसे आंकड़े सरकार की ओर से हमें नहीं मिल पाये हैं। पहले तो यहां कोई योजना ही नहीं होती है। उसके बाद अधिष्ठाता महोदय, जहां तक बिजली के वितरण का सवाल है या तो माननीय मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट की ओर ही ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पारसाल भी कहा था और इस साल भी बजट के मौके पर कहा कि बिजली के वितरण की कोई शिकायत हमारे यहां नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि जो जो इंडस्ट्रीज उन्होंने बैन कर रखी है उन इंडस्ट्रीज के लिये भी आज लोगों को बिजली दी गयी है क्योंकि वे सरकार के लोगों के आदमी हैं, और क्योंकि उन्होंने कुछ रुपया खर्च किया है। अगर माननीय मंत्री जी विश्वास दिलावें कि वे इस पर कार्यवाही करेंगे तो मैं उनको सारी लिस्ट की लिस्ट दे सकता हूं। मैं यहां इस वक्त उनका नाम नहीं बतलाना चाहता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी बिजली मिली है जिनकी इंडस्ट्रीज के लिये कोई जरूरत नहीं थी और उनकी अर्जी देर में पहुंची बमुकाबिले उनके जिन्होंने पहले अर्जी दी थी लेकिन तरजीह देर वाले को ही दी गयी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री जी के विश्वास दिलाने के बावजूद भी इस प्रांत में जहां तक बिजली के वितरण का सवाल है वह बिलकुल गलत होता है जिनका ज्यादा असर पड़ता है उन्हीं को बिजली दी जाती है। अगर आप नाम कहेंगे तो मैं बतलाने के लिये तैयार हूं।

एक सदस्य--कुछ नाम बतला दीजिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अगर मैं नाम बतलाने लगूं तो उसमें काफी समय लग जायगा। अगर मुझे समय मिले तो मैं सारी लिस्ट पढ़ कर सुना सकता हूं। यह कहा गया है कि बिजली की दर बढ़ती जाती है, अगर मैं कुछ कहता हूं तो माननीय मंत्री जी यही कहेंगे यह बिजली तो रानीखेत जायगी, अल्मोड़ा जायगी। लेकिन मैं जानता हूं कि शहरों में जो डिजेल इंजन लगा हुआ है वह हाइडल में टर्न हो जायगा, इसके सिवा और कोई फर्क नहीं होने वाला है। जो गरीब जनता है जिसे पानी की बड़ी तकलीफ है, जिसके यहां पानी नहीं पहुंच सकता है, जहां बिजली की ज्यादा आवश्यकता है, वहां बिजली नहीं दी जा रही है। पारसाल भी माननीय मंत्री

जी ने कहा था कि पहाड़ों के लिये बिजली के लिये कुछ सर्वे आदि करते समय कुछ लोग मर गये इसलिये पहाड़ों के अन्दर बिजली की बात नहीं की जायगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आपकी स्पीच से पढ़ कर मैं बतला दूंगा कि आपने ऐसा कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बिलकुल गलत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अगर आप गलत कहते हैं तो मैं कल आपके उस भाषण को पेश कर दूंगा जिसमें आपने कहा था कि कुछ आदमी पहाड़ों पर मर गये। हमारे यहां के लिये अंग्रेजों ने इर्रीगेशन के लिये स्कीम बनायी थी कि किस तरह से वहां सस्ती बिजली पैदा हो सकती है लेकिन वह फाइल माननीय मंत्री जी के यहां ही पड़ी हुई है। अधिष्ठाता महोदय, हम बराबर कहते आये हैं कि हमारे यहां सस्ती बिजली पैदा हो सकती है। अब तो मोटर रोड भी वहां तक बन गया है जहां तक न जानने की आपकी शिकायत थी। मिस्टर विलियम स्टाम्प चीफ इंजीनियर ने एक चिट्ठी भी इस संबंध में लिखी थी कि हिमालय रेंज में इतनी सस्ती बिजली पैदा हो सकती है जो सात प्रांत को बिजली दे सकती है। इस सारे इलाके का काम अच्छी तरह से चल सकता है। अगर वह चिट्ठी माननीय मंत्री जी के फाइल में न हो, कहीं भूल भाल गई हो तो उसकी कापी मैं उनको दे सकता हूं। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्री जी अल्मोड़ा व रानीखेत शहर में कोई बिजली का प्रोजक्ट कायम करने के लिये तैयार नहीं हैं। जहां जहां पर मोटर रोडस् तैयार हैं वहां तक तो डिपार्टमेंट के आफिसर लोग जाने के लिये तैयार बैठे रहते हैं लेकिन जहां सस्ती बिजली पैदा हो सकती है और जहां पर जाने के लिये कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है वहां पर जाने के लिये कोई भी आफिसर तैयार नहीं होता है। मैं बहुत ज्यादा न कह कर केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बुजुर्ग माननीय मंत्री जी जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, उनके विभाग का यह हाल है कि उनके विभाग में जो बिजली की योजना बनती है वह गरीबों के लिये नहीं होती है बल्कि वह बिजली रईसों के लिये होती है। जो हमारे प्रान्त के गरीब किसान हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है बल्कि उनको मिलती है जो बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं। अगर मैं गरीबों के लिये रियायत करने की बात कहता हूं, शहरों के अन्दर जो गरीब कंजप्शन करते हैं उनके ऊपर जो एलेक्ट्रिसिटी चारजेज बढ़ाये गये हैं, उनको कम करने के लिये कहता हूं तो अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी उसके लिये तैयार नहीं होते हैं। तो क्यों न हो, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि नदियां भी हमारे पहाड़ों से ही निकलती हैं। अगर माननीय मंत्री जी पहाड़ वालों को बिजली नहीं देते हैं तो हम भी गंगा को उधर लौटा देंगे जिससे आपकी सारी स्कीम ही ठप्प हो जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हुआ उनका ध्यान बुलन्दशहर जिले के उस भाग की तरफ खींचना चाहता हूं जो दिल्ली गुड़गांव (पंजाब) की सीमाओं से मिलता है। देहली और पंजाब में मेरी सीमाओं के वह इलाके जो खाकी और खुश्क हैं वहां आज बिजली घरों से बिजली की लाइनें गांव-गांव तक पहुंच गई हैं जिससे लोगों को बड़ी सांत्वना और धैर्य मिला है मगर मेरे क्षेत्र में कोई बिजली का प्रबन्ध नहीं है। एक दो वर्ष तक तो हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के आश्वासन पर रहे जो उन्होंने एक रोज प्रश्नकाल में भाखरा डेम से पश्चिमी जिले के लोगों के लिये दिये थे। लेकिन बाद में पता चला कि वह

[श्री रामचन्द्र विकल]

बातचीत स्थगित करना चाहते हैं। वहां के लोगों के धैर्य अब छूट चुके हैं। पिछली जून में दो तीन बिजली विभाग के कर्मचारी वहां गये हुये थे और साल भर तक उनके वहां घूमने से लोगों को आश्वासन रहा और धैर्य उनका बंधा रहा लेकिन जब मैं ट्यूबवेल के इंजीनियर महोदय से मिला तो उनसे मालूम हुआ कि सरकार ने उस इलाके के सर्वे कराने के लिये रुपया तक मंजूर नहीं किया है तब फिर जाकर लोगों में निराशा का संचार हुआ। मैं उस इलाके के लोगों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां की जनता काफी परेशान है। वहां की जनता सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को कभी जानती तक भी नहीं है, हां, टैक्सों की शक्ल में तो वह सरकार को जानती है। तो मैं उनसे कहूंगा कि जो मेरा क्षेत्र है वह शहर से बहुत दूर है जहां बिजली की आवश्यकता है जहां पर बिजली के मिलने से वहां के किसान बहुत बड़ी पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर माननीय मंत्री जी ऐसे क्षेत्रों की तरफ ध्यान दें तो बहुत बड़ा कल्याण इस प्रदेश का हो सकता है। सरकार की बहुत सी योजनायें तो वहां पहुंचती ही नहीं "नपूती रोवें पूतों को और सपूती रोवें टूकों को" की सी हालत है। जहां बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं वहां तो कर्मचारियों की शिकायत का मौका मिलता है लेकिन हम किस कर्मचारी की शिकायत करें? इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहां कोई योजना नहीं है और अगर माननीय वित्त मंत्री जी उस तरफ बुलन्दशहर के उस पश्चिमी भाग की तरफ ध्यान दें तो बहुत बड़ी सफलता उनको मिल सकती है। हमारे यहां के हिंडन कट एक नहर निकलती है। वह गाजियाबाद से जाकर यमुना में पानी देती है। अगर उस पानी से, यमुना में जाकर मिलता है वहां एक बिजली घर की योजना बने तो उससे हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और काफी उपयोगी हो सकेगा। इतना कह कर मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं.....

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर पूछ रहे हैं या प्वाइंट आफ इन्फारमेशन पर?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो प्वाइन्ट आफ इन्फारमेशन पर कुछ पूछ रहा हूं और यों तो पूछने वाले साहब को बतला देना चाहता हूं कि यह इस हाउस का पुराना तरीका है कि कोई शख्स जब तकरीर कर चुके और उसकी तकरीर से कोई जवाबतलब बात पैदा होती हो तो पूछने वाले को इजाजत मिलती है। वह तकरीर कर चुके हैं और कोई भी उनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसलिये मैं उनसे कुछ समझने के लिये पूछना चाहता हूं।

श्री राज नारायण---लेकिन हम लोगों को तो ऐसा मौका नहीं मिलता।

अधिष्ठाता---मैं राजनारायण जी को ऐसा विश्वास दिला सकता हूं कि आपको जब जरूरत पड़े तो आप भी प्वाइन्ट आफ इंफारमेशन पर पूछ सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी जगह है जिनके बारे में वह अभी फर्मा रहे थे।

श्री रामचन्द्र विकल---वह क्षेत्र गुरगांवां जिले से मिलता है और दिल्ली सूबे से मिलता है उसके उत्तर में मेरठ जिला है। यह उसकी तीन तरफ की सीमायें हैं। तहसील सिकन्दराबाद है। वह बुलन्दशहर के पश्चिमी हिस्से का इलाका है जो गाजियाबाद से मिलकर जेवर तक है। वहां उनके लिये प्रोग्राम भी रखने के लिये तैयार हूं और काफी माननीय मंत्रियों को वहां ले जा भी चुका हूं और ले जाना चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---श्री अधिष्ठाता महोदय, आजका युग एक वैज्ञानिक युग है। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो इस विभाग का कार्यभार सम्हाल रक्खा है उससे हमें प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में हम बड़ी उन्नति कर सकेंगे। आज सब जगहों पर बिजली

से कार्य करने की चेष्टा हो रही है और आज का युग भी ऐसा है कि जिसमें और आगे बिना बिजली के कोई कार्य सम्पन्न होने वाला प्रतीत नहीं होता है। परन्तु हमारे मंत्री महोदय कितनी ही चेष्टा करते रहें मगर जब तक अधिकारी वर्ग इस संबंध में पूरा प्रयत्न नहीं करेंगे सच्चाई के साथ तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम आज देख रहे हैं कि जितने भी पावर हाउसेज बनाये जा रहे हैं उनमें त्रुटियां हैं। आरम्भ में तो तखमीना दो तीन करोड़ का होता है लेकिन बनते बनते उनका तखमीना दुगुना तिगुना हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके साथ ही साथ जो व्यय हो रहा और जिसको हमारे किसान भाइयों को कर के रूप में या और किसी रूप देना पड़ रहा है वह उन्हीं के वास्ते उनके लाभ के लिये लगाना चाहिये। हम देख रहे हैं कि जितनी भी दरख्वास्तें कृषि संबंधी बिजली लेने के लिये या पानी लेने के लिये दी जा रही हैं वह किसी और वर्ग की नहीं हैं परन्तु उनको पानी लेने के लिये बिजली नहीं मिल रही है। इस संबंध में मैं आपके सामने एक उदाहरण रख दूं कि श्री केशव देव नहला जोकि बुलन्दशहर के रहने वाले हैं उनके पास एक छोटा सा फार्म है वह ६, ७ सालों से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उनको पानी के लिये बिजली नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से जितने भी कृषक हैं उनको बिजली मुहइया नहीं हो रही है। यह बातें शायद मंत्री जी को ज्ञात नहीं मगर यह अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि सबसे पहले किसानों को बिजली दी जाय। साथ ही साथ उनको यह भी देखना है कि कहीं पैसा तो व्यर्थ में व्यय नहीं हो रहा है। गत वर्ष और उससे पहले वर्ष में भी मैं ने कुछ सुझाव बचत के दिये थे और बजट से जो आंकड़े तैयार किये गये थे उनके संबंध में मैंने कहा था कि फजूल खर्ची कम कर देना चाहिये और मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार भी किया था कि इस वर्ष २॥ करोड़ रुपया कम कर दिया जायगा।

इस समय अब हमारी स्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और मैं उस कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने सुन्दर सुझाव पेश किये बजट में तीन मदें हैं उसमें से एक का जिक्र उसमें किया गया है। आकस्मिक व्यय (कंटिनजेंसी) में अगर ५ प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत रख दिया जाय तो ५ लाख रुपये अनुदान २४ से ही बच जाते हैं। वैसे तो यह ५ लाख रुपये हमारे व्यय हो ही जाते हैं। सन् ४७ से लेकर आजतक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जबकि कटिनजेंसी में से कुछ भी रुपया बच गया हो। यह रुपया ऐश-आराम और रिश्व में उड़ जाता है। इसलिये हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिये और यह रुपया इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिये। माननीय मंत्री जी अप्रैल से एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस रुपये को बन्द कर देंगे जिससे कि ५ लाख रुपया बच जायगा। इसके साथ दो बातें पिछले साल मैंने कही थीं। पहली बात यह थी कि शिड्यूल्ड रेट्स जो कि नहरों में और दूसरे विभागों में हैं उनमें और हमारे बिजली के मुहकमों में जो रेट्स हैं उनमें बड़ा अन्तर है। मैंने यह देखा कि हमारे एस्टीमेट्स कमेटी के माननीय सदस्यों ने अपनी जानकारी के लिये कुछ बातें मालूम करने की कोशिश की लेकिन मुझे अफसोस के साथ कह देना पड़ता है कि इतना होते हुये भी उनके पास सूचनायें नहीं भेजी गयीं। इसलिये हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को यह करना चाहिये कि एस्टिमेट्स कमेटी की जानकारी के लिये जो आवश्यक बातें हों उनको उन्हें फौरन ही एस्टिमेट्स कमेटी के पास भेज देना चाहिये। इस टाल मटोल से काम नहीं चलेगा अन्यथा वही बात होगी कि जो मेरे मित्र चन्द्र सिंह रावत जी ने कही है कि अब हमारा देश सजग हो गया है और वह इस चीज को भूल नहीं सकता है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से सविनय आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने देश की हालत पर ध्यान दें और अधिकारीगण भी इस ओर अपना ध्यान करें कि वे इस रुपये को इस प्रकार बर्बाद न होने दें।

जो बात मैंने शिडयूल्ड रेट्स के बारे में बतलाई थी उसमें ९ लाख रुपया बचाया जा सकता है और वह ठेकेदारों के रेट्स कम करने की। ठेकेदारों के लिये सरकार ने २५ प्रतिशत रखा है। उनके लिये १५ प्रतिशत काफी है। इस प्रकार यदि १० प्रतिशत कम कर दिया जाय तो ८ लाख रुपया बच जायगा।

[श्री श्रीचन्द]

एक दूसरी बात मैं और आप के सामने रख देना चाहता हूं और वह है डिजाइन्स की। डिजाइन्स हमारे इंजीनियर्स बहुत ऊंचे पैमाने की बनाते हैं। १८ लाख रुपया इसमें बच सकता है। आपके सामने एक उदाहरण मौजूद है। सुबह एक प्रश्न के संबंध में मालूम हुआ कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के बंगलों का बहुत ऊंचे पैमाने का डिजाइन ३३-३४ हजार रुपये का बनाया गया था। लेकिन फिर किसी एक जानकार इंजीनियर ने बड़ी तत्परता से, मैं समझता हूं कि आधी कीमत पर उन बंगलों को बनाया। इसी प्रकार यदि हमारे इंजीनियर भी डिजाइन की ओर ध्यान दें तो २० प्रतिशत रुपया इस संबंध में कम किया जा सकता है और बहुत रुपया बचाया जा सकता है। केवल इस एक ही अनुदान से बड़ी सरलता से ३२ लाख रुपया कम किया जा सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से सदन में होने वाले भाषणों को सुना और मुझे ऐसा अन्दाज प्रारम्भ में होता था कि संभवतः यह अनुदान केवल पहाड़ों के लिये तो नहीं हो गया है और कुछ इधर उधर के पश्चिमी जिलों की बातें आयीं। लेकिन आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ग शे की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इलाहाबाद, कानपुर और फैजाबाद के बीच में बसा हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या मैं यह मंत्री जी से नहीं पूछ सकता हूं और जानने के अधिकारी इस क्षेत्र के लोग नहीं हैं कि सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ ने क्या कुसूर किया है? चारों तरफ जब आज आपके मंत्रित्व काल में बिजली का जाल फैल रहा है और सिंचाई के लिये, घरेलू उद्योग-धंधों के लिये और बड़े-बड़े कारखानों के लिये बिजली मिल रही है, तो आपके द्वारा अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी नीति अपनाई है कि बिजली किस ढंगसे लगाई जाय। इन तीन जिलों का जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया है इनके हैडक्वार्टर्स तक पर बिजली नहीं है जबकि अन्य जिलों में हम यह देखते हैं कि उनके हैडक्वार्टर्स पर तो बिजली है ही, जिले के जो और छोटे-छोटे कस्बे हैं उनमें बिजली का प्रचार हो गया है। यद्यपि प्रतापगढ़ में आज से डेढ़ दो वर्ष पहले माननीय मुख्य मंत्री के करकमलों द्वारा वहां शिलान्यास किया गया था वहां बिजली लगाने का, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, अगर आज उसको आप जाकर दो वर्ष बाद ढूंढें तो वह जगह भी बदल गई है, उस पत्थर का भी शायद पता नहीं है और वह योजना कहां है उसका कहीं ठिकाना भी नहीं मिलता है। मैं आपके द्वारा जहां माननीय मंत्री जी को उनके इन तमाम कामों के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रांत भर में बहुत सी बिजली फैला दी है, सिंचाई के कुओं के लिये काफी बिजली का वितरण किया है, बड़े-बड़े कारखानों में भी बिजली पहुंचाई है और उन भाग्यशाली जिलों में, महज हैडक्वार्टर्स पर ही नहीं बल्कि उनके टाउन्स पर और छोटे छोटे टाउन एरियाज में बिजली दी है, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इन बदकिस्मत जिलों पर आपका ध्यान जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करूंगा कि बिजली के वितरण के संबंध में जहां तक व्यक्तियों का संबंध है, उसके लिये कुछ नियमों का होना जरूरी होता है। केवल आफिसर्स की खुशी पर और उनकी प्रसन्नता पर उसको न छोड़ दें। मुझे एक आध बात मालूम है। पिछले नवम्बर में जब मैं पश्चिम में गया था तो अलीगढ़ में मैंने एक जगह ऐसा देखा कि एक सज्जन का छोटा सा ट्यूबवेल तैयार था और एक उनका गार्डन भी है। बहुत दिनों से वह कुआं बिजली न मिलने के कारण बेकार पड़ा हुआ है। मेरे उनसे पूछने पर उन्होंने मुझ से कहा कि क्या करूं, बीस मर्तबा दौड़ चुका हूं और दरख्वास्त भी दे चुका हूं लेकिन बिजली के देवता प्रसन्न ही नहीं होते। तो आज मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस दिशा में भी एक नीति निर्धारित करें और मैं तो व्यक्तिगत रूप से सही समझता हूं कि बड़े-बड़े कारखानों में बिजली देने के बजाय यदि कोई व्यक्ति जो छोटी पूंजी का है, अपने खेत के लिये, अपनी बागबानी के लिये या छोटे उद्योग-धंधे के लिये बिजली चाहता है, तो उसको सब से पहले बिजली मिलनी चाहिये।

और इस प्रकार से मैं इस नीति का भी प्रतिपादन करता हूं कि जबकि आज आप बड़े शहरों में बिजली बढ़ाने की व्यवस्था बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यह भी उचित होगा कि उपेक्षित जिलों में भी बिजली लगाने की बात करें। मेरे जिले को यह जवाब मिलने पर संतोष नहीं होता है कि वहां बिजली की खपत कम है, यहां कोई कम्पनी लेने के लिये तैयार नहीं होती है, कोई कम्पनी तैयार भी होती है तो उससे शरायत ऐसी होती हैं कि जब रेहेंड बांध की बिजली आ जायगी तो तुम्हें हटना पड़ेगा, तब कौन कम्पनी वहां काम करने के लिये तैयार होगी ? जब प्रतापगढ़ के स्टेशन पर केन्द्रीय सरकार बिजली लगा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि प्रांतीय सरकार उस शहर में बिजली नहीं लगा सकती है। इसलिये आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जब बिजली के कर में बढ़ोत्तरी हुई है, हमारे जिले में वैसे ही नहर के कर में बढ़ोत्तरी हुई है, यद्यपि हमारे यहां नहर काफी हैं। अगर उस बढ़ोत्तरी से दूसरे जिलों में नहरें खोदी जा सकती हैं तो दूसरे जिलों के बिजली के कर से जो आमदनी होती हो, उसके द्वारा जिन छोटे जिलों में सरकार को बिला किसी कम्पनी का इन्तजार किये हुये बिजली लगाने की व्यवस्था करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली से संबंधित इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय मैठाणी जी ने प्रस्तुत किया उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हूं। मुझे याद आता है अधिष्ठाता महोदय वह भाषण जो विद्युत मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुये सदन के सम्मुख रखा था और उसके अंतिम पृष्ठ पर था कि आओ हम सब मिलजुल कर देश के उत्थान में एक साथ हो कर काम करें और यदि हम इस में चूक गये तो आने वाली संतान हम पर हंसेगी कि हमने, जब देश की तरक्की करने का वक्त था, तो मिलजुल कर काम नहीं किया, कंधे से कंधा मिला कर काम नहीं किया। यह भाषण विद्युत मंत्री जी का था। विद्युत मंत्री जी को विरोधी पार्टी की तरफ से निमंत्रित करना चाहता हूं कि आइये हम मिलजुल कर एक साथ होकर विद्युत के इस कार्य में जिससे देश का कल्याण हो सकता है, एक साथ काम करें। माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो विद्युत के संबंध में अपना तखमीना सदन के सम्मुख उपस्थित किया है उसे बहुत हद तक पढ़ने का अवसर मुझे मिला। उस में बहुत सी चीजों पर विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने जिले, पहाड़ी, फैजाबाद और कानपुर, इलाहाबाद के इलाकों का जिक्र किया इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं भी विद्युत मंत्री जी का ध्यान देवरिया की तरफ ले जाना चहूंगा। देवरिया में ५० ट्यूबवेल बन रहे हैं। अभी केवल ३–४ ट्यूबवेल पर बिजली पहुंच पायी है और खम्भे भी बन चुके हैं लेकिन बिजली नहीं पहुंच पायी है। देवरिया में एक इंटरनेशनल ख्याति का स्थान "कसया" है जहां भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। वहां बिजली का इन्तजाम नहीं है। चाहिये तो यह था कि जहां विदेशों से आने वाले लोग हर समय आ जाया करते हैं वहां विद्युत का प्रबन्ध होना चाहिये था, लेकिन कोई इन्तजाम नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा कसया की तरफ आकर्षित करूं।

देवरिया में बिजली का छोटा-मोटा प्रबन्ध है, लेकिन वह सेठों और साहूकारों के लिये है और उन्हीं लोगों को बिजली ज्यादा मिल जाया करती है जो चाटुकार और चापलूसी की नीति अपनाते हैं, या पैसों और रुपयों से उनकी सेवा किया करते हैं। मुझे मालूम है कि एक आटा चक्की चलाने के लिये तथा बिजली के लैम्प के लिये मंजूरी लेने के लिये लखनऊ के दो-तीन आदमियों ने जितना हो सका प्रयत्न किया जो कि जनता के साथी थे, लेकिन यह मुझे अच्छी तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

से मालूम है कि किस तरह से एक दूसरे आदमी को जिसने भी प्रयत्न किया था उसे बिजली मिल गयी और आटा चक्की लगा करके काम चालू किये हुये है। आज विद्युत मंत्री जी का ध्यान माल मंत्री जी के वक्तव्य की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। इसी सदन में ३-४ रोज पहले यह कबूल किया गया कि देवरिया जिला अन्य जिलों से ज्यादा गरीब है। वहां खेती बाड़ी की बहुत कमी है तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आपके द्वारा उधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देवरिया की गरीबी को दूर किया जाय। बाढ़ पीड़ितों की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय और विद्युत का प्रबन्ध अन्य जिलों की अपेक्षा वहां ज्यादा किया जाय ताकि वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिल सके। कम्बल बनाने का उद्योग वहां खत्म होता जा रहा है। अगर साइंटिफिक ढंग से कम्बल बनाये जायं तो यह उद्योग काफी तरक्की कर सकता है और काफी अच्छे कम्बल तैयार हो सकते हैं। इसके लिये बिजली की आवश्यकता है। अगर छोटे छोटे पैमाने पर बिजली देकर घरेलू उद्योग धंधों को वहां तरजीह दी जाय तो पूर्वी जिलों में बड़ी उन्नति हो सकती है। जिस तरह से यहां पर चीनी का उद्योग बहुत तरक्की पा रहा है उसी तरह से वहां पर भेड़ों के ऊन से कम्बल के उद्योग की काफी तरक्की की जा सकती है जिससे वहां के किसानों की हालत काफी सुधर सकती है और पूंजीपतियों के चंगुल से उनकी रक्षा की जा सकती है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देवरिया जिले की गरीबी को देखते हुये अन्य जिलों की अपेक्षा वहां पर बिजली का ज्यादा प्रबंध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस अनुदान के अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और बधाई केवल इस सदन की प्रथा के अनुसार ही नहीं बल्कि इसलिए बधाई देता हूं कि मेरा ऐसा ख्याल है कि बिजली और पानी की योजनाओं पर हमारी सरकार काफी व्यय कर रही है। आज किसी भी देश की उन्नति के लिए बिजली की योजनाओं का प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए हम जितना भी धन व्यय कर सकें वह किसी भी तरह से अपव्यय नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को उनके इस अनुदान के अवसर पर बधाई देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि वह अपनी योजनाओं को अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। साथ ही माननीय मन्त्री जी से मुझे कुछ निवेदन करने हैं। एक निवेदन तो उनसे यह करना है कि योजनाओं के लिये जो समय निर्धारित किया जाता है उस समय में वह योजनायें पूरी नहीं की जाती हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो योजनाएं आज से कई वर्ष पूर्व समाप्त की जानी चाहिए थीं, जिनका निर्धारित समय आज से कई वर्ष पूर्व था, मुझे खेद है कि वह कई योजनायें अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं और कहा नहीं जा सकता कि वह आगे कितना और समय लेंगी। उदाहरण के स्वरूप मैं दो एक योजनाओं का जिक्र उनके सामने करना चाहता हूं कि मुहम्मदपुर पावर हाउस की योजना १९४४ में शुरू हुई और १९४७ में खत्म होने को थी लेकिन वह कहीं मुश्किल से जाकर १९५२ में खत्म हुई। सारदा की योजना १९४५ में स्वीकृत हुई, वह १९४८ में समाप्त हो जाना चाहिए थी लेकिन अभी तक अधूरी है और कोई यह नहीं कह सकता कि वह कब तक पूरी होगी। इसी तरह पथरी की योजना १९४८ में प्रारम्भ हुई और अभी तक अधूरी है, अभी इसमें कितना समय लगेगा यह भी कोई नहीं कह सकता। साथ ही एक चीज और है जिसकी ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं के लिए जो बजट एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं वह प्रायः बहुत ही अधूरे होते हैं। उनके लिए स्वीकृत धन को यदि हम देखें कि कितना धन उस योजना के लिये स्वीकृत हुआ और अन्त में उसके लिए कितना रुपया हमको खर्च करना पड़ा तो इन योजनाओं का उल्लेख हम करें तो हमको एक बहुत बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है और हमें यह महसूस होता है कि अनेक योजनायें आज धन के अभाव के कारण अभी अधूरी पड़ी है या उनमें जो विलम्ब होता है उसमें ये हमारे इन्कम्प्लीएस्टीमेट्स या इनएफिशियेंट जो हमारे एस्टीमेट्स बनते हैं, वह भी एक कारण हैं। मैं आपका समय चाहता था कि मैं उल्लेख

करता कि एक एक योजना पर कितना धन मंजूर हुआ और उस पर कितना खर्च किया गया और उनमें अभी कितनी आवश्यकता हैं । परन्तु समय थोड़ा है । इसलिये मैं उन अंकों को यहां उल्लेख नहीं करना चाहता । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं कि शेडयूल्ड टाइम पर अगर कोई योजना पूरी न हो अथवा जो एस्टीमेट बनाया जाय उससे दुगना या ढाई गुना एस्टीमेट हो जाय तो उस पर माननीय मंत्री जी का जो संबंधित विभाग है, उससे उसके लिए जरूर जवाब तलब करना चाहिये ।

अनेक माननीय मित्रों ने अपने अपने जिले की बात की है । मैं इस अवसर पर अपने जिले की बात नहीं कहना चाहता हूं । परन्तु आज मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि आगरा को तो उन योजनाओं में कोई स्थान ही नहीं है । चाहे जल की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे ट्यूबवेल की योजना हो किसी में आगरे के लिए कोई स्थान नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह आगरे के गांवों को कहां से बिजली देना चाहते हैं ? एक बात मुझे उनसे और निवेदन करनी है । बिजली का प्रयोग केवल पंखों और रोशनी के लिए बड़े बड़े मकानों के लिए नहीं होना चाहिए । हमें बिजली की सबसे बड़ी आवश्यकता है छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए कि हम गांव गांव छोटी छोटी मशीनें चलाएं और उसके लिए सस्ती बिजली का उपयोग कर सकें । इसकी हमें अत्यन्त आवश्यकता है । तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वह इस बात की सुविधाएं पैदा करें कि गांव गांव में कम रेट पर बिजली दी जाय और छोटी छोटी मशीनों का वहां पर उपयोग कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज जो यह अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस प्रस्तुत अनुदान पर जो भाषण किये गये उनको मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा। विरोधी पक्ष की तरफ से जो आलोचनाएं की गयीं और इस तरफ से जो आलोचनाएं की गयीं उन सबको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। मैं माननीय चन्द्रसिंह जी रावत का भी भाषण सुना जिनको बड़ी शिकायत है कि पहाड़ की तरफ माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया है। उसी के साथ उपाध्याय जी ने २२ लाख पहाड़ी जनता की बात कही और कहा कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के लिए जो प्रबन्ध माननीय मंत्री महोदय ने किया है उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। हम देखते हैं कि चारों तरफ बिजली के पैदा करने में पावर हाउस में ज्यादा शक्ति पैदा करने में सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है और उसमें सफलता भी हुई है। मिसाल के तौर पर कानपुर बिजली घर को ही ले लीजिये। उसको सरकार ने १९४७ में अपने हाथ में लिया था और उस समय उसमें १४ करोड़ ४० लाख यूनिट बिजली पैदा होती थी और अब २० करोड़ यूनिट बिजली पैदा होती है। क्या यह यह साबित करता है कि हमारे इंजीनियर्स का काम अच्छा नहीं है ? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि उनका काम प्रशंसनीय है। इसके साथ ही चन्द खराबियों के तरफ भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैंने एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट जो हम लोगों को दी गई है उसे देखा है उसमें कई ऐसी आलोचनायें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि पावर हाउसेज के जो एस्टिमेट्स तैयार होते हैं वे बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन पर खर्चा अधिक दिखलाया जाता है। इसके लिये कई सुझाव दिये गये हैं। मुझे आशा है कि रिपोर्ट के अनुसार कार्य किया जायगा। साथ ही मैं अपने जिले आजमगढ़ की तरफ भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

हूं। बिजलीघर मऊ में बन रहा है जहां ६०० किलोवाट बिजली तैयार होने की संभावना है लेकिन जिस गति से टचूबवेल्स तैयार हो रहे हैं वह बहुत धीमी है जिसका नतीजा यह होगा कि बिजलीघर तो तैयार हो जायगा लेकिन टचूबवेल तैयार न हो सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि टचूबवेल्स भी तेजी से बनते रहें, उनकी धीमी गति में तीव्रता लाई जाय।

पावर हाउस, आजमगढ़, जिसके सम्बन्ध में पहले सवालात भी किये गये थे कि वहां बिजली नहीं मिलती, दिन में भी बिजली नहीं मिलती न रात में ही, मुझे प्रसन्नता है कि वह खराबी अब दूर हो गई है और मऊ का पावर हाउस जिस वक्त बन जायगा उस वक्त वहां की सब दिक्कतें दूर हो जायंगी।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान बड़ी स्कीम, रेहन्द डेम की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। उस तरफ माननीय मंत्री को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उसके जरिये से पूर्वी जिलों को बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और देवरिया वगैरह को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सकेगी।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह आजमगढ़ की ओर विशेष ध्यान देंगे।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—अभी हमारे पूर्ववक्ता पंडित व्रज विहारी मिश्र ने रेहन्द बांध की चर्चा की। अपने भाषण में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री के सम्मुख रेहन्द बांध की चर्चा फिर से करना चाहता हूं। यह एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा है—"At Rihand even the civil works which should have preceded all electrical works have not yet commenced in full speed."

मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के पूर्वी भाग की चर्चा इस बजट में भी बार बार आई है जिसकी ओर इस सरकार का ध्यान है और उसके विकास की बात भी वह करती है। तमाम पूर्वी जिले रेहन्द बांध से प्रभावित होने वाले हैं, उनका ध्यान रेहन्द बांध की तरफ लगा हुआ है। माननीय मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि उन इलाकों की जमीन खेती के लायक नहीं है। वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये एलेक्ट्रिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। उन इलाकों में जहां हैंडलोम का काम होता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वे रेहन्द बाँध से खूब चल सकेंगी और ज्यादा उत्पादन हो सकेगा तब ये लोग जो भूखे नंगे रहते हैं, जो बेहाल हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो रात दिन खेतों में काम करते हैं लेकिन दोनों पहर पेट भर खाने को नहीं जुटा पाते और ८, १० महीने बेकार रहते हैं, अपनी गुजर बसर कर सकेंगे। जिनके पास शक्ति है, बुद्धि है लेकिन जिनका उपयोग वह नहीं कर सकते हैं वे लोग इस रिहन्ड डैम की स्कीम के आने पर लाभान्वित हो सकते हैं और इससे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है और मुझे ही नहीं बल्कि प्रदेश के उस भाग के रहने वाले सब यह महसूस करते हैं कि रिहन्ड बांध की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है बल्कि वह स्कीम इस प्रकार से कुछ चलायी जा रही है कि जो लोगों की डिमांड है उसके लिये उनको उत्तर दे दिया जाय और वे लोग सन्तुष्ट हो जायं कि उस स्कीम पर काम हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है। न तो उस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये कोई ठोस योजना ही है और न उस तेज प्रगति से काम ही उस पर हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि रिहन्ड बांध की तरफ वास्तविक रूप से ध्यान दिया जाय और वास्तविक योजना तैयार की जाय जिससे वह काम पूरा हो सके और उस योजना के पूरा होने पर पूर्वी जिलों का बहुत काम हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और जिसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि घाघरा नदी हमारे प्रदेश के लिये नेचर की एक देन है जो नैपाल के पास हिमालय पहाड़ से निकलती है। उस पर कर्नाली पावर हाउस बनाने के लिये सन् १९४८ ई० में सर्वे हुआ था और एक स्कीम तैयार हुई थी लेकिन वह स्कीम केवल कागज पर ही रह गयी है। मैंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से इस विषय में बातचीत की थी। मालूम हुआ कि जब यह कर्नाली पावर हाउस बन कर तैयार हो जायगा तो इससे इतनी ज्यादा बिजली पैदा होगी और सस्ती पैदा होगी कि जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन, एलेक्ट्रिफिकेशन, ट्यूबवेल वगैरह के कामों में बहुत सहूलियत पैदा होगी। लेकिन मालूम नहीं कि सरकार ने क्यों इस योजना को ठप कर दिया है। विभाग ने न तो इस पर कोई ध्यान दिया है और न इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है। मैं इस विषय में चर्चा करके माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कर्नाली पावर हाउस जो घाघरा नदी से सम्बन्धित है वह न केवल हमारे प्रदेश के लिये बिजली ही पैदा कर सकता है बल्कि कर्नाली पावर हाउस कई प्रकार से हमारे प्रदेश की मदद कर सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह उस ओर अपना ध्यान दें। इसमें सन्देह नहीं है कि इस योजना पर ज्यादा खर्चा होता है लेकिन लोगों की वहां पर यह भावना है कि वह अपना सब कुछ बेचकर सरकार की इस काम के लिये सहायता करने के लिये तैयार हैं क्योंकि उस कर्नाली पावर हाउस के बनने पर दूसरा लाभ यह होगा कि घाघरा नदी में जो हर साल बाढ़ आया करती है उसका प्रश्न भी हल हो सकेगा। पूर्वी जिलों में बहुत काफी बाढ़ आया करती है और बलिया, आजमगढ़ और देवरिया गोरखपुर के जिले ४ महीने तक लगातार पानी में डूबे रहते हैं। तो इस बाढ़ के पानी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कर्नाली पावर हाउस बनाने के लिये केवल उस पर ध्यान ही न दें बल्कि सक्रिय रूप से उस पर कार्य आरम्भ करें।

आजमगढ़ में जो काम हो रहा है उस पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां पर जो काम हो रहा है वह बिजली की गति से नहीं हो रहा है वह तो बैलगाड़ी की गति से हो रहा है और कुछ छीछालेदर सी वहां पर हो रही है। पावर हाउस बन रहा है कुछ काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इस एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस्टीमेट के जरिये से खर्चा एक्सीड कर जाता है और जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनमें कम खर्च होता है। यह अजीब हालत है। इस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। इस कारण माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सख्ती करने की जरूरत है। इस प्रकार से काम किया जाय कि जिससे काम तेजी से हो और बैलगाड़ी की गति से न हो। अगर हम बैलगाड़ी की गति से चलते रहे तो इस प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन तो दूर रहा हम किसी दशा में भी तरक्की नहीं कर सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विद्युत के अनुदान पर जो भाषण हुये हैं उनको मैंने बड़े गौर से सुना और विशेषकर उपाध्याय जी की तकरीर को। यों तो उपाध्याय जी की पुरमजाक तकरीर को सुनने के हम इस सदन में आदी से हो गये हैं मगर उनकी आज की तकरीर में उनके गुस्से का वह आलम और उनकी धमकियों का वह जोम एक नयी चीज थी। उन्होंने कहा कि अगर्चे हिमालय की तराई में बसे हुये नैनीताल और गढ़वाल तथा दूसरे जिलों को बिजली से न जगमगा दिया गया तो वह गंगा का रुख पलट देंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे माननीय सदस्य को 'बीसवीं सदी के भागीरथ' की उपाधि प्रदान करें।

जहां तक विद्युत प्रसार योजनाओं का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इस पिछले साल में विद्युत प्रसार का काफी कार्य हुआ है, उसके लिये वास्तव में वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जहां तक नई ट्रान्समिशन लाइन्स का सवाल है माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष यह आश्वासन दिया था कि मार्टिन कम्पनी से बिजली खरीद कर सीतापुर, लखीमपुर और बिसवां शहरों को दी जायगी। वह हुआ है और मैं समझता हूं कि उसके लिये वे जरूर प्रशंसा के पात्र हैं। पिछले साल और उससे पहले भी मैंने सीतापुर की बिजली के सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं और वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया था कि मार्टिन कंपनी से बिजली खरीद कर वहां देने की कोशिश वे करेंगे। ट्रान्समिशन लाइन वहां खिंच गयी और वहां पर बिजली दे दी गयी, यह सही है। छोटा सा पावर स्टेशन भी सीतापुर के समीप बन गया तथा लखीमपुर और बिसवां को बिजली दी जा रही है। उसके द्वारा ४७–४८ राजकीय ट्यूबवेल्स भी चलाये जा रहे हैं और उनके कारण परगना चेडरा के भूड़ के इलाकों में खेती भी हो रही है। इन सब बातों के लिये माननीय वित्त मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्त में दूसरे स्थानों पर जो बिजली के काम हुए हैं उनके लिये भी माननीय मंत्री जी प्रशंसा के योग्य हैं। परन्तु एक बात है जिसका जिक्र मैं यहां कर देना चाहता हूं और जिसका मुझे बहुत ही खेद है। मैं चाहता हूं कि इसको केवल सुनकर ही माननीय मंत्री जी चुप नहीं बैठेंगे बल्कि वे देखें कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनके कारण उनका विभाग या विभागीय कर्मचारीगण उनके सीतापुर शहर सम्बन्धी वादों को पूरा नहीं कर पाते। सीतापुर शहर में सेन एण्ड सान्याल का पावर हाउस है। वे सरकार की तरफ से एजेंट हैं। यह एक ऐसा पावर हाउस है जो हर महीने में दो चार दिन बन्द रहता है और उसके एंजन के लिये यह कहना ही ठीक होगा कि वह एक स्क्रेप आफ आइरन है। न तो वह ठीक तरीके से चलता ही है और न ठीक प्रकार से लोड ही दे पाता है। आज से नहीं पिछले ८–१० सालों से उसकी यही हालत है और सीतापुर में जो पावर स्टेशन बना है वह इसलिये नहीं कि सीतापुर की जनता को उससे बिजली दी जाती बल्कि नाम मात्र के लिये एक शख्श को उसके द्वारा बिजली दी गयी है। म्यूनिसिपल एरिया में बिजली नहीं दी गयी है। मार्टिन कंपनी से जो बिजली गयी है वह सीतापुर के कलेक्टर साहब को एक टेन्शन वायर खींच कर कर दी गयी है। अगर वहां बिजली नहीं पहुंचती तो यह तो आश्वासन जनता को रहता कि बिजली मिलेगी लेकिन जिस वक्त कलेक्टर को बिजली दे दी गयी और बाकी जनता को नहीं दी गयी तो जनता के गुस्से और क्षोभ का क्या हाल होगा यह आप सब जान सकते हैं। इन चीजों की वजह से हम लोगों को लानतमलामत सहनी पड़ती है। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न को सही तरीके से देखें। एक बात और है। सीतापुर में बिजली की दर १० आना है। जब इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगायी गयी थी तो यह निश्चित किया गया था कि जहां पर इसकी दर ८

आना से ज्यादा है वहां पर यह कर न लगेगा। लेकिन सीतापुर में बावजूद इसके कि इलेक्ट्रिसिटी दर १० आना है यह कर लगा दिया गया है। फरवरी के महीने का जो बिल आया है उसमें भी वह डिचूटी लगी हुई है। इसके बारे में सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भी आया लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर गौर करें और मुनासिब फैसला इसका करें।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो अनुदानों पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिये उनको सुनने से पहले मैं यह समझता था कि पिछले साल बिजली के उत्पादन की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था, कितनी बिजली बढ़ गई आदि बातों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये थे उनकी ओर माननीय मंत्री जी कुछ प्रकाश डालेंगे मगर माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद और इस सदन में जो सम्मानित सदस्य बोले उन सबको सुनने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की जो यह बिजली उत्पादन की योजना है इससे इस सदन के बहुत ही कम लोग संतुष्ट हैं और ट्रेजरी बेंच के लोग भी श्रीमन् रिवाज के लिये दो एक आदमियों ने उसके लिये धन्यवाद तो जरूर दिया, लेकिन धन्यवाद देने के बाद उन्होंने जिन जजबात का इजहार किया उनसे यही प्रकट हुआ कि माननीय वित्त मंत्री जी का यह डिपार्टमेंट का बिलकुल टोटल फेल्योर (पूर्ण असफलता) रहा है। श्रीमन्, एक सदस्य माननीय रावत जी ने तो स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहा कि उनका माननीय मंत्री जी की इस योजना में कतई विश्वास नहीं है और मैं उनके जजबात के पूरा पूरा साथ हूं। मैं स्वतः माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इस सदन को जरा अवगत करावें या माननीय मंत्री जी के भावों को अच्छे तरीके से व्यक्त करने वाले जो भी लोग हों वे सदन को अवगत करावें। जब मैं संयत भाषा के प्रयोग करने की बात कहता हूं तो उसमें साधु भाव भी सम्मिलित रहता है। जो संयत भाषा साधु भाव को नहीं रखती है वह अर्थहीन है। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सच्चे भावों का प्रदर्शन संयत भाषा में हो। निरी कोरी संयत भाषा ही रहे और उसमें उल्टा भाव हो तो यह ऐसे आंकड़े का प्रदर्शन है जिसका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। बार बार असत्य बातों को संयत भाषा में रखकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना यह किसी भी विद्वान की विद्वता के लिये शोभा की बात नहीं है। श्रीमन्, जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली पैदा होती है और अपने देश के अन्दर जितने सूबे हैं, जैसे ट्रावनकोर कोचीन है, देहली है, बम्बई है, वहां का जो अनुपात है उससे उत्तर प्रदेश का अनुपात निकाला जाय और देखा जाय कि यहां का स्तर कितना नीचा है। हमारे माननीय मैठाणी जी ने सारे आंकड़े प्रस्तुत करके यह साबित कर दिया है और उसके साथ साथ श्रीमन्, अगर गैरमुल्कों को देखा जाय और उत्तर प्रदेश को देखा जाय तो उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। मैं दूर न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अनुदान में अगर देखा जाय तो ५४–५५ में खेती के लिये जिसकी काफी चर्चा है, एक जगह लिखा है कि वहाँ राजकीय नलकूप चलाने के लिये बिजली उधार ली जायगी और फलां जिले से फलां जिले में बिजली लेकर काम चलाया जायगा। आज उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय नलकूप लग चुके हैं, उनसे कितनी जमीन की सिंचाई होगी, उससे खेती के उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी होगी, इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए क्या माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर साबित कर सकते हैं कि आज जितने राजकीय नलकूप चल रहे हैं वे सब बिजली की व्यवस्था से चल पायेंगे। श्रीमन् एक आधार पर जो बिल्कुल सही बात है सबकी सहूलियत के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आंकड़े राजकीय नलकूपों के दिये गये हैं कि पहले कुछ जिलों में बिजली दी जायगी, उसके ऊपर वे अच्छी तरह से सोचें। एक तरफ मुल्क के लिये ट्यूबवेल्स लगाकर अपने देश के अन्दर उत्पादन

[श्री राजनारायण]

बढ़ाने की कल्पना करने वाले हमारे माननीय सदस्य ज़रा इसको ध्यानपूर्वक सोचें। हमारा देश गरीब है और सभी सम्मानित सदस्य कहते हैं कि इस देश के लिये बिजली की आवश्यकता है और बिजली पैदा होनी चाहिये और काफी मात्रा में पैदा होनी चाहिये। पैदा होनी चाहिये तो उसका खर्च भी कैसे हो उसके लिये सब लोग कहते हैं कि ऐग्रीकल्चर में खर्च हो। इंडस्ट्रीज में खर्च हो, या छोटे छोटे उद्योग धंधे में खर्च हो। मगर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कह सकता हूं कि नलकूप इस साल ही नहीं पारसाल भी और आगे भी आने वाले साल में भी क्या बिजली से चल सकेंगे? और अगर ये बिजली से नहीं चलेंगे तो फिर जो रुपया लगाया जा रहा है उनसे साधारण किसानों को कोई लाभ हो सकता है? उन किसानों को जो दो एकड़ की खेती करते हैं और जिनकी संख्या हमारे प्रदेश में ७३ फीसदी है और जिनके परिवार में छः सात दस आदमी हैं, जो कर्मठ हैं और जो एक सुविधा प्राप्त स्थान में रह कर आर्थिक ढांचे की अच्छी कल्पना ही नहीं करते बल्कि दरिद्रता में पिसते जा रहे हैं, जिनकी श्रम-शक्ति बेकार है उनके लिये कोई लाभ हो सकता है? कई बार इस सदन में कहा गया है कि केवल उत्तर प्रदेश का अनुमान लगाय जाय तो कई लाख रुपये का श्रम बर्बाद जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। उनके श्रम का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक बुनियादी सवाल है। इधर उधर के आंकड़ों को रख देने से ही सवाल का हल होने वाला नहीं है वस्तुस्थिति सम्हलने वाली नहीं है। अकेले मिर्जापुर जिले में ही चाहे कितनी ही ताकत सरकार लगा रही है उसका पुलिस डिपार्टमेंट लगा रही है और एक नोटिस भी श्रीमन् वहां घुमा दी गई है कि जो कोई भी सिंचाई के बढ़े हुये दर का विरोध करेगा उसको ६ महीने की सजा और ढाई सौ रुपये जुर्माने की सजा मिलेगी, बावजूद इसके हजारों की संख्या में मैं दावे के साथ कहता हूं कि हजारों की संख्या में लोग महीने भर में जेलों को भरने के लिये तैयार हैं। और इसकी क्या वजह है? श्रीमन्, जितनी भी सरकारी योजनायें हैं वह सब खोखली हैं बेबुनियाद हैं सब सर के बल खड़ी हुई हैं, उनसे साधारण जनता का हित नहीं होता है, यह हो सकता है कि चन्द लोगों के भले के लिये हो लेकिन जो योजनायें चन्द लोगों के भले को लेकर चलाई जायगी उनसे जन कल्याण नहीं होगा, वह (बहुजनहिताय) नहीं होगा भले ही वह थोड़े से लोगों को बहुत सी सुख-सुविधा सम्पन्न करे लेकिन आम जनता का उससे भला होने वाला नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मैं माननीय मंत्री जी को कामयाब समझूंगा अगर माननीय वित्त मंत्री जी सारे उत्तर प्रदेश में जितने राजकीय नलकूप लगे हुये हैं सिंचाई के लिये, उन सब को बिजली के जरिये से चलाने की स्कीम पूरी कर दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से साधुता के नाम की दुहाई देने वालों से साधुता के रूप में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आशा है कि वे ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बुरा लगता हो लेकिन मैं निवेदन करता हूं उन लोगों से जो लोग उत्तर प्रदेश को बहुत गिरा हुआ समझते हैं कि सभी प्रदेशों की प्रगति को देख लें उनकी रिपोर्टों को देख लें और तब उन्हें प्रतीत होगा कि इस प्रदेश को ही यह गौरव है कि जब समूचे देश में दामोदर वैली जैसी योजनायें अधूरी पड़ी हुई हैं तब यह हमारे उत्तर प्रदेश को ही गौरव है जहां उसकी अधिकांश स्कीमें सफल और पूरी हो चुकी हैं। यह हमारे लिये अभिमान की बात है। जो लोग कहते हैं कि हमारे प्रदेश में बिजली की उत्पत्ति में प्रगति नहीं है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सन् १९४६ और सन् १९५३ के बीच में केवल ९ पावर स्टेशन्स में ही ४२ हजार ३९० किलोवाट अधिक बिजली तैयार हुई है। जो लोग इन आंकड़ों को ग़लत कहा करते हैं मैं

उनको चुनौती देता हूं अपने फिगर्स पर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां बिजली की खपत औद्योगिक कामों में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश ऐसे औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये प्रदेश से आप किसी बड़े औद्योगिक देश की तुलना नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिये। उत्तर प्रदेश नहीं, सारे भारतवर्ष में २४ लाख इंडस्ट्रियल लेबर हैं उसकी तुलना आप कैसे इंगलैण्ड या दूसरे अन्य स्थानों से, जो इंडस्ट्रियल हैं, उनसे किस प्रकार मैठाणी जी और राजनारायण जी तुलना करते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। हमारी औद्योगिक हालत तो यह है कि गोरखपुर में १० पावर कनेक्शन्स सैंक्शन हुए साल भर में लेकिन एक भी कनेक्शन नहीं लिया गया। मान्यवर, हमारे गढ़वाल के प्रदेश के लोगों को बहुत क्रोध आया है। मैं पूर्वी जिलों का रहने वाला हूं। श्रीमन्, मुझे बड़ा सन्तोष है पूर्वी जिलों वालों के धीरज पर। लेकिन २२ लाख और २० लाख के जिले वाले लोगों को क्रोध आया जब कि २६ लाख और २४ लाख के जिले वाले जैसे रामकुमार जी शास्त्री हैं उनको अधिकार है बस्ती जिले पर। आजमगढ़, गोरखपुर वालों को क्रोध करने का अधिकार है उनको असंतोष हो तो ठीक है लेकिन उन्होंने संतोष और धैर्य से काम लिया, किन्तु गढ़वाल के विषय में लोगों को बहुत क्रोध आया। उनको क्रोध आ सकता है। रावत जी को बड़ा क्रोध है। इनकी गेंतो-चौरा की स्कीम स्वीकार नहीं हुई। क्योंकि श्रीमन्, उनकी एक स्कीम अनप्राडक्टिव थी और उसमें कठिनाई थी तो श्रीमन् सरकार के काम में उनके लिये खराबियों का होना तो स्वाभाविक हो सकता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गरुड़ कहां है और बागेश्वर गढ़वाल अल्मोड़ा के किस क्षितिज पर हैं और अगस्त ५४ से बागेश्वर में बिजली शुरू होने वाली है उसका श्रेय किसको मिलेगा? नरेन्द्रनगर पावर हाउस के ऋषिकेश के मार्ग से नजीबाबाद बिजली ले जाने की चेष्टा की जा रही है उससे लाभ किसको होगा? मैं जानना चाहता हूं कि कोटद्वारा के लिये जो स्ट्रीट लाइटिंग का प्रबन्ध हो रहा है या और बहुत सी ऐसी चीजें जो हो रही हैं उनसे क्या सरकार धन्यवाद के लिये पात्र नहीं हो सकती है?

एलेक्ट्रिसिटी चार्जेज के संबंध में शिकायत सिर्फ आजमगढ़ जिले की है। उसके सम्बन्ध में श्रीमन्, एक बात स्पष्ट है कि वहां पर वार सरचार्ज लिया जा रहा था और अब गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि वह रिफंड कर दिया जायगा। जहां तक बिजली की दरों का सम्बन्ध है ४, ५ जिले तो ऐसे हैं जैसे मिर्जापुर, सीतापुर, गाजीपुर और बाराबंकी जहां पर कि एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाती। इसके अलावा कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और एक जिला और है जहां पर कि २५ परसेंट ड्यूटी ली जाती है और बाकी जिलों में १४ जिले ऐसे हैं जहां पर कि १२.५ फीसदी से ज्यादा नहीं लिया जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता कि मैठाणी जी ने कौन सी रिपोर्ट पढ़ ली। लेकिन अगर जो रिपोर्ट छपी है उसे भी वे पढ़ लिये होते तो उनकी शंकायें निर्मूल हो जातीं।

बहरहाल, मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर बिजली नहीं दी जा सकती लेकिन जैसे कानपुर है, एक बहुत बड़ा जिला है, एक बहुत बड़ा शहर है और वहां एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, क्या कोई माननीय सदस्य ऐसा कह सकते हैं कि एक भी एप्लीकेशन वहां पर पेंडिंग है जिसको बिजली न दी गई हो लेकिन बहुत सी जगहों पर कठिनाइयां होती हैं। कुछ लोगों को शिकायत इस बात की है कि पावर तो होगी लेकिन ट्यूबवेल्स अभी पूरे नहीं बन पाये। आजमगढ़ के सेक्टर

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

के लिये ९९५ ट्यूबवेल्स बनने वाले हैं, उसके लिये अलग डिवीजन भी बन गया है। और बहुत सी ग़लत बातें कही जाती हैं। उपाध्याय जी ने रज़ा टेक्सटाइल के बारे में कहा कि उनको ६ पाई पर यूनिट बिजली दी जाती है, यह बिल्कुल ग़लत है और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उसे १५.३८ पर बिजली दी जाती है। शायद उन्होंने किसी किताब से ग़लत आंकड़े पढ़ लिये। मेरे पास भी किताबें मौजूद हैं और अगर वह मेरे पास आयें तो मैं उन्हें पूरे आंकड़े दे सकता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, जो बहस यहां हुई उसमें कुछ बातें इस्टीमेट कमेटी की बिना पर कही गईं। यह रिपोर्ट मुझे कल मिली। मैं यह महसूस करता हूं कि इस हाउस की एक कमेटी जो कि हमारे लिये बहुत ही काबिले इज्जत चीज है उसकी रिपोर्ट में जो बातें हों उनके ऊपर मैं कोई राय किसी जगह पर फौरन दे दूं, मुनासिब नहीं है। तरीका यह है कि रिपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट उसका जवाब देगी, मेम्बर साहबान उसको देखेंगे और जब तस्वीर के दोनों रुख किसी के सामने हों उस वक्त वह उसके ऊपर बहस करेगा और किसी को कायल करेगा कि ऐसा है। मैं पहले यह अर्ज करूंगा कि कम से कम मेरी राय में इस वक्त इन चीजों का तज़किरा, जो एस्टिमेट्स कमेटी में हों, मुनासिब नहीं था, और मुझको मजबूर करना है कि मैं कुछ न कुछ कहूं। दुनिया के सामने पहले से एक रुख पहुंचा दूं और उसका दूसरा रुख जो है उसको एक अर्से तक जाने मत दूं। यह बात फेयर नहीं है, अच्छी नहीं है। मैं मुद्दई नहीं हूं मैं कुसूरवार नहीं हूं। मैं काम करता हूं। मेरे कन्धों पर जिम्मेदारी है, मैं कभी यह तवक्को नहीं कर सकता हूं कि मेरा कुसूर नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा, मेरी कमी भी निकलेगी, गलती भी निकलेगी, कमजोरी भी निकलेगी और मैं उसके ऊपर फख्र करूंगा, मैं उससे डरूंगा नहीं, और डराने वाले की धमकियों की वजह से भाग नहीं जाऊंगा, जो खिदमत करता हूं उसको अंजाम दूंगा और हिम्मत से दूंगा, जब मुझको गलती मालूम देगी, अपने आपको सही करने की कोशिश करूंगा। एस्टिमेट्स कमेटी की रेकमेंडेशन्स आयीं, जो कुछ मैंने उनमें पढ़ा है, आज इतना वक्त नहीं है कि जो जो बातें उनमें से कही गयी हैं...

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जहां तक एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने अपना एक फैसला दे दिया है कि एस्टिमेट्स कमेटी की जो सिफारशें होंगी, उनके बारे में दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो सरकार अपोजीशन से मिल करके कोई दिन मुकर्रर करे और उस रोज पूरी कमेटी की रिपोर्ट पर बहस हो जाय, या ऐसा एक रोज तय हो कि जिस रोज गवर्नमेंट उसकी सिफारिशों के ऊपर क्या अमल करना चाहती है अपने कुछ फैसले कर ले और उन फैसलों को यहां सदन में पेश करे और फिर उसके ऊपर बहस हो जाय। यही तरीका उसके लिये ठीक है। वह रिपोर्ट पेश हो गयी है। मैं किसी को लाचार नहीं कर सकता कि उसका जिक्र भाषण में बिल्कुल न आये, लेकिन यह न हो कि रिपोर्ट के ऊपर ही सब बहस चल पड़े। एक आध दफा यों चलते हुये भाषण में अगर कोई जिक्र आ जाय तो उसके ऊपर जवाब देने की कोई आवश्यकता वित्त मंत्री जी के लिये नहीं है। वित्त मंत्री जी इतना ही कह सकते हैं कि कोई रोज मुकर्रर हो जायगा और उस दिन वह जवाब दे देंगे। इसी तरह से मैं और लोगों से कहूंगा कि यह उचित नहीं है कि कल ही रिपोर्ट यहां पर पेश हो और उसी पर सब बहस चल पड़े। एक आध दफा अगर जिक्र आ जाय तो आ सकता है, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन इतनी ही उसकी वकत समझी जाय कि कल जो रिपोर्ट आयी है उसमें से सदन की नजर में आने के लिये किसी बात का जिक्र कर दिया न कि उसका जवाब देने की जरुरत माननीय

वित्त मंत्री जी को है। इसलिये इसकी जरूरत मैं नहीं महसूस करता हूं कि आप उन चीजों का जवाब इसी वक्त दें, बल्कि जब आप अपना फैसला कर लें और मामला यहां पर पेश हो, उसी वक्त बहस होना ठीक है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--श्रीमान्, मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के उधर से खड़े हो करके बोलने से हमें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मेरे इधर या उधर खड़े होने से कोई फायदा नहीं है इसलिये कि जिनकी समझ में नहीं आता है उनकी समझ में आने को नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। बहुत से ऐसे अनुदान हैं कि जिनके बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने सुझाव दिया है कि इनको बचत में शामिल किया जाय और बजट में शामिल न किया जाय। लेकिन बजट में वह शामिल है। इसलिये इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दे सकता हूं। इस पर फैसला गवर्नमेंट का होगा और वही व्यवस्था देगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं उसके सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--उस वक्त जवाब दे दिया जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाबवाला कोई जवाब देना नहीं चाहता था मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करने वाला था कि मैं इस रिपोर्ट की निस्बत जो बातें उसमें लिखी हैं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सही मालूमात सही नहीं पहुंची अगर पहुंची होती तो यकीनन एस्टीमेट्स कमेटी उन नतीजों पर न पहुंचती। मुझे उन पर गौर करना है। अगर कोई बात ऐसी निकलेगी जो मुझे मंजूर भी नहीं होगी लेकिन मैं तब भी उसकी जाँच जरूर कराऊंगा। जो-जो बातें कही गई हैं और जिसके खिलाफ कोई शिकायत की गई है मैं उसकी जाँच जरूर कराऊंगा और जो कुछ उसके मुताल्लिक होना चाहिये वह जरूर कराऊंगा। लेकिन इस वक्त जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि अगर उसको इत्तिला सही मिली होती तो शायद एस्टीमेट कमेटी इन नतीजों पर न पहुंचती।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जिम्मेदारी किसकी है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसके बारे में मैं.....

श्री राजनारायण--आन दी प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, जब आपने व्यवस्था दे दी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी मालूमात सही है या गलत इस बात के कहने की उनको क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--इसकी मैरिट्स पर वह नहीं जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, केवल जनरल तरीके से जिसमें वह गलती समझें गलत कहें जिसे सही समझें उसे सही कहें।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मैंने आप से कहा कि मैं फैसला दे चुका हूं कि सरसरी तौर पर जिक्र आ जाय। अगर और लोगों ने जिक्र किया है तो माननीय मंत्री जी भी कर सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह बात मैं नहीं मानता हूं। (अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मुताल्लिक नहीं कह रहा हूं) कि यहाँ पर इसका सरसरी तौर पर जिक्र हुआ है। यहाँ पर मेम्बर्स भी हैं और जिनका वजूद समझा नहीं जाता है, सुनने वाले भी मौजूद हैं। यहाँ पर उसका काफी तजकिरे के साथ जिक्र किया गया है और उसमें से इबारत को पढ़कर सुनाया गया है और बहुत कुछ कहा गया है। सिर्फ उसका सरसरी तौर पर जिक्र किया गया हो तो यह बात नहीं है।

मैं बातों में नहीं आता हूं। मुझसे यह मजाक भी न किया जाय। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं और न मैं इस किस्म के मजाक को बरदाश्त ही करता हूं। खैर, दूसरी बात मैं यह अर्ज करने वाला था कि कितनी ही बातों के मुताल्लिक या मुकामी शिकायतों के मुताल्लिक ऐसा कहा गया। अभी जो साहब फरमा रहे थे आज तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। उनका कोई खत मैं कहता हूं कि मेरे पास नहीं आया, उनकी तरफ से मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तकरीर में मैंने आज ही सुना है। वितरण के मुताल्लिक मुझसे यह कहा गया और वह फरमाते हैं कि फलाँ बात यों थी फलां यों था। लेकिन वह बातें आज तक मुझतक नहीं पहुंचीं। बहुत से लोग इस ख्याल में हैं कि उन्होंने अपनी बातें वित्त मंत्री कम्बख्त तक पहुंचा दी हैं जिन पर उन्होंने तवज्जुह नहीं की है। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें कही गईं लेकिन वह मुझ तक पहुंची नहीं।

मेरे दोस्त रामनरेश जी शुक्ल अलीगढ़ का किस्सा फरमा रहे थे। मालूम नहीं वह कब अलीगढ़ गये थे और कब उन्होंने उसको देखा था। मैंने तो आज उनसे सुना है। मैं इस वक्त दावत देता हूं कि जिन जिन कैसेज को लोग गलत समझते हैं वह लायें मेरे पास जिनमें वह समझते हैं कि बिजली मिल जानी चाहिये थी और नहीं मिली है तो वह मेरे पास आयें। या तो मैं उनको समझाऊंगा कि बिजली नहीं मिलनी चाहिये थी या दिलाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता।

जहाँ तक वितरण का ताल्लुक है, वितरण की निस्बत एक मेरे दोस्त कह रहे थे और बड़ी सही बात कह रहे थे। वह शायद इस वक्त तशरीफ नहीं रखते हैं, उन्होंने कहा था कि लखनऊ आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। वह बात सही है और मैं मशगूल इस कोशिश में रहा हूं कि लखनऊ तक जो इसका हिस्सा पहुंचा हुआ है वह न रहे, वह उधर ही उधर कहीं खत्म हो जाया करे। चुनांचे उसके बहुत से हिस्से को मैंने खत्म कर दिया और लखनऊ आना बन्द कर दिया और आगे को भी कर दूंगा।

एक दोस्त ने फरमाया कि फलाँ पावर स्टेशन जो था अब नहीं रहा। तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने मुहम्मदपुर पावर हाउस के किस्से को इस हाउस के सामने मुफस्सिल बयान किया। सारदा पावर हाउस के मुताल्लिक मैंने बयान किया कि क्या क्या यहाँ हुआ और उन दो पावर स्टेशनों के सिवाय कोई और पावर स्टेशन मुझे बताइये जहां बनने में देरी हुई, वह कौन सी स्कीम है? मैं दावा करता हूं इस बात का कि हमने स्कीम वही शुरू की है जिसको हम खत्म कर सकते हैं और हमने वक्त से पहले खत्म की है और इसी साल शुरू करके खत्म की है। उनके वक्तों से पहले दो-दो स्कीमें थीं। कैसे उनको चलाते थे, अखबारों में छपवा चुके थे, तकरीरों में दोहरा चुके थे और मैं क्या दोहराऊं आज भी कोई नयी बात नहीं है, क्योंकि दोबारा मैं उन्हीं बातों को सुनूंगा जिनको कि मैं तजवीज कर चुका हूं।

गढ़वाल का किस्सा बयान किया गया। गढ़वाल की निस्बत मैं क्या कहूं? मैं अब तक गढ़वाल का मेम्बर था। कई दफा अर्ज कर चुका कि मैंने जगह जगह तलाश करायी। मेरे दोस्त ने शिकायतें तो कीं, धमकियां तो दीं, उनकी तरफ से पैगाम तो आ गया कि वह मेरे ऊपर 'नो कान्फीडेंस' का मोशन लावें, इस किस्म की बातें तो फरमायीं, लेकिन मेरे दोस्त (श्री परिपूर्णानन्द वर्मा) ने जो जगहें गिनायीं उनका किसी तकरीर में जिक्र सुन नहीं सका कि नरेन्द्रनगर के लिए क्या हो रहा है? टेहरी के लिये क्या हो रहा है? कोटद्वार के लिये क्या हो रहा है? बागेश्वर के लिये क्या हो रहा है? एक जगह और थी, गरुड़ शायद, उसके लिए क्या हो रहा है? तो यहां न किये हुए की सजा मिलती है, किये हुए का जिक्र तक नहीं होता। नाकरदा गुनाहों की सजा भी मिलती है।

एक दोस्त सीतापुर के हैं वकील साहब, उन्होंने भी मुझको सजा दे दी और मेरे ख्याल में अपने कांशेंस में सोचते होंगे कि क्या कहता हूं और किस से कह रहा हूं और किसके सामने कह रहा हूं। मैं वह आदमी था कि जिसने सीतापुर को उस हद तक पहुंचाया जिस हद तक कि वह जिक्र कर रहे थे। सुन लिया अपने कानों से कि बिजली मैंने पहुंचा दी दूसरी। पावर हाउस बन गया दूसरा और उसके जरिये से वहां के एक हिस्से को बिजली मिल गयी और एक शख्स कानून की रू से उस जगह के ऊपर जो पहले पावर हाउस था ग्रांड, उसके ऊपर काबिज हुआ गवर्नमेंट के एजेंट की हैसियत से जिससे कानूनी कंट्रेक्ट था सन् ४२ में। उस वक्त से उसके पास वह चीज चली आ रही है और उसका एक मुकदमा चला, हाईकोर्ट में गया और अब आकर के उसका फैसला हुआ और अब मैंने यह तय किया कि उस पावर हाउस को बन्द करके वह बिजली जो उस पावर हाउस से खर्च होती है उसको भी उसी से कनेक्ट कर दिया जाय और बिजली दे दी जाय। मेरे दोस्त को मालूम है यह सब किस्सा, लेकिन फिर भी यह शिकायत कि कलेक्टर को बिजली दे दी और औरों को नहीं दी तो औरों का भी तो इन्तजाम हो रहा है। जब मेरे पास एक ही आदमी को देने भर के लिये है तो चूंकि दूसरों को नहीं दे सकता इसलिए क्या उस एक को भी न दूं? जब और मेरे पास हो जायगा तो दूसरों को भी दूंगा। कलेक्टर को बिजली दी। ठीक है। वहां आई हास्पिटल है, वहां के मरीजों को तकलीफ होती थी और अस्पताल में दिक्कतें थीं, तो मैंने सबसे पहले उस हास्पिटल को कनेक्ट कराया और फिर कलेक्टर को भी उसके एक हिस्से से बिजली दे दी। अब और दूसरे लोगों को देने के लिए जब तक मेरे पास पूरा नहीं है तब तक कहां से दे दूं? और इसके लिए वह जानते हैं मैं बराबर कोशिश करता रहा हूं, मैंने खुद इसको किया है, कम्बख्त अधिकारियों के ऊपर इस काम को नहीं छोड़ा है, अपने सेक्रेटेरियेट के ऊपर भी इसको नहीं छोड़ा है, मैंने खुद इस काम को किया है, पर इस पर भी यह कहा जाता है...

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी जरा इधर मुंह करके बोलने की कृपा करेंगे? जिससे इधर भी कुछ सुनाई पड़े।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह सब सुनना सुनाना बेकार है।

तो जो मुझ पर गुजरती है वह तो सब गुजरती ही है। मैं यकीन करता हूं कि थोड़े दिनों में मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा और वहां बिजली वगैरह का सब मामला ठीक हो जायगा। कहा गया कि जनता को शिकायत है। जनता को तो शिकायत है ही

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

वह शिकायत मेरे सर आंखों पर है। खुशकिस्मत है वह आदमी जिससे शिकायत हो। इससे यह साबित होता है कि वह कुछ करता है। अगर न कुछ न करे तो फिर किस बात में एब निकले और किस बात की शिकायत हो? अगर मैंने इस सूबे में बिजली दी है तो जिनको नहीं मिली है वह जरूर शिकायत करेंगे गो वैसे सभी जानते हैं कि मेरी कूवत से या किसी की कूवत से बाहर यह बात है कि यू० पी० के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सारे शहर, देहात और जंगलों को एकदम से एलेक्ट्रिफाइड कर दे। इस बात को सभी जानते हैं मगर फिर भी जिसके शहर में बिजली नहीं पहुंचेगी वह तो शिकायत करेगा ही और मैं तो हुजूर इसको अपनी बड़ी खुशकिस्मती समझता हूं, मुझे इससे कोई मायूसी नहीं है और अगर वह मेरे दोस्त यह समझते हैं कि मैं डर कर भाग जाऊंगा अपनी कुर्सी से तो यह नहीं होने वाला है। मैं जरूर डटा रहूंगा और इसी किस्म से काम करता रहूंगा और इस बात की तवक्को रक्खूंगा कि मैं काम करता रहूं और आप मेरी गल्तियां और मेरे ऐब मुझे बतलाते रहें।

श्री गंगाधर मैठाणी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने चूंकि इधर मुंह करके बोलना उचित नहीं समझा इससे हम कुछ सुन नहीं सके लेकिन एक बात सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माननीय परिपूर्णानन्द जी महोदय ने कहा कि अमेरिका और इंगलैण्ड और कनेडा की बातें हिन्दुस्तान में लागू नहीं होतीं और उनका वह जिक्र नहीं करना चाहते। उनसे यह बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुछ आँकड़े दिये हैं और मैंने भी कुछ आँकड़े दिये हैं। मेरे आँकड़े बिल्कुल सही हैं और मैं उसके लिये चैलेन्ज देने के लिये तैयार हूं। लेकिन आपने जो गढ़वाल में बताया कि नरेन्द्रनगर है गढ़वाल में और उसके बाद बागेश्वर अल्मोड़े में तो जब हिन्दुस्तान के और यू० पी० के जिलों में कौन शहर कहाँ है, माननीय परिपूर्णानन्द महोदय को यही नहीं मालूम है तो अध्यक्ष महोदय, इंगलैण्ड, अमेरिका और कनाडा की बातें जो वह कहते हैं उनको हम क्या समझें। (श्री परिपूर्णानन्द खड़े हुये) न तो नरेन्द्रनगर गढ़वाल में हैं और न बागेश्वर जहाँ उन्होंने बताया वहाँ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस हाउस में कहने का अधिकार है। जब आप अपनी बारी में कह चुके तो मैं भी अपनी बारी में कह सकता हूं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई माननीय परिपूर्णानन्द से यह सुनकर...

(श्री रामनरेश शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री रामनरेश शुक्ल—इतने नजदीक से बोल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह तो सही है।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का गुस्सा बिल्कुल नहीं है जैसा उधर के लोगों को हुआ कि उनके जिले में बिजली नहीं है। लेकिन हमें इस बात का गुस्सा जरूर है कि इस गरीब देश का २२ लाख रुपया गढ़वाल में एक्सपेरीमेंट करने में बर्बाद किया गया और बिजली का एक पोल भी वहाँ खड़ा नहीं किया गया। इस बात का दुःख है। हम जानते हैं कि वहाँ के वह प्रतिनिधि भी रहे हैं, पिछले वर्ष भी जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था और आज भी कहा कि उनके प्रति

आपकी सहानुभूति है और हम इसके लिए बार बार बधाई देंगे कि वहाँ पर एक भी बिजली का खम्भा नहीं खड़ा किया गया लाइट की तो अलग बात है।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। जो बातें हमने कही हैं उनको आप भूल जाइये। लेकिन आप के ही पक्ष की तरफ से जो भावनायें जाहिर की गई हैं कि आपके विभाग में क्या हो रहा है अगर उन्हीं पर आप अमल करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस देश का कल्याण होगा। जैसा मैंने आरम्भ में कहा बिजली द्वारा ही हम किसी देश के विकास को समुन्नत कर सकते हैं जैसा कि इस पक्ष के बैठने वाले लोगों ने कहा। लेकिन जहाँ तक पहाड़ी जिलों का मसला है बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ सफल नहीं होंगी लेकिन जैसा कि मैंने कहा एक करोड़ रुपया भी अगर पहाड़ी जिलों के लिए, गढ़वाल के लिए नहीं तो अल्मोड़ा के लिए, टेहरी के लिए सही, रख कर एक्सपेरीमेंट करें तो छोटे छोटे डैम्स द्वारा बिजली पैदा की जा सकती है। अगर आपका विभाग यह समझे कि वह स्कीमें ठीक नहीं चल सकतीं तो हम बहुत से इंजीनियर बताएंगे जो कि बिजली के एस्टीमेट बना कर आपके सामने रख देंगे।

इन बातों के साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान फिर उन बातो की तरफ दिलाऊंगा जो बातें इस पक्ष की तरफ से नहीं बल्कि उसी पक्ष की तरफ से कही गयी हैं। अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो देश का, इस प्रदेश का, और राष्ट्र का बड़ा कल्याण होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख के अन्तर्गत २,०१,१३,५०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१-क के अन्तर्गत ८६,६०,१०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ मार्च, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९ पर)

पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी यूनियन द्वारा की गई मांगें और उन पर की गई कार्यवाही की तालिका।

मांगें	कार्यवाही का विवरण
१—दैनिक वेतन तथा वर्कचार्ज इस्टैबलिशमेंट पर नियुक्त कर्मचारियों को रेगुलर इस्टैबलिशमेंट पर नियुक्त किया जाय।	दैनिक वेतन तथा वर्कचार्ज इस्टैबलिशमेंट के कर्मचारियों की संख्या वैभागिक कार्यों के आधार पर बढ़ती घटती रहती है। इसलिये ऐसे कर्मचारियों का एक रेगुलर कैडर बनाना सम्भव नहीं है।
२—वेतन में वृद्धि की जाय।	इन कर्मचारियों को बाजार के भाव के अनुसार मजदूरी दी जाती है। इसलिये इनकी मजदूरी के बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।
३—महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाय।	महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।
४—यात्रा व्यय तथा गाड़ी का भत्ता दिया जाय।	प्रायः इन कर्मचारियों को बाहर जाना नहीं पड़ता, जब भी उनको सरकारी काम पर यात्रा करनी पड़ती है तब सरकार इनको खर्च दे देती है।
५—अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति छुट्टियाँ स्वीकृत की जायं।	इन कर्मचारियों को अब इतवार तथा बड़े-बड़े त्यौहारों की साल में दस दिन तक की छुट्टी दी जा रही है।
६—कर्मचारियों के लिये हर दस मील पर गैंग हट तथा निवास स्थान बनाये जायं।	हर एक दस मील के अन्दर गैंग हट बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है। जहां कहीं भी आवश्यकता है गैंग हट बने हुए हैं। जहां कर्मचारियों के रहने के लिये प्रबन्ध नहीं है उनको छोलदारी दी जाती है।
७—पदोन्नति	सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकती (जैसा कि पहली माँग के बारे में कहा गया है।)
८—पेंशन तथा प्रावीडेंट फंड व्यवस्था। ९—जीवन बीमा की व्यवस्था।	पेंशन तथा प्रावीडेंड फंड तथा जीवन बीमा की सुविधायें केवल स्थायी कर्मचारियों को दी जाती हैं।
१०—निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय।	इसका प्रबन्ध सरकारी तथा जिला अस्पतालों में पहले ही से है और कर्मचारी उनसे लाभ उठा सकते हैं।
११—समय पर वेतन वितरण।	इन कर्मचारियों के मस्टर रोल की जांच के कारण हर मास की पन्द्रह तारीख से पहले वेतन देना सम्भव नहीं है। अथवा १५ तथा २० तारीख के बीच के समय में वेतन वितरण करने का प्रबन्ध किया गया है।

मांगें	कार्यवाही का विवरण
१२—ओवर टाइम एलाउंस।	सरकार विचार करेगी अगर यूनियन इस बात को मानने के लिये तैयार है कि कम समय काम करने पर कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाय।
१३—छाते तथा वर्दियों का प्रबन्ध।	मेट तथा सुपरवाइजर जो सरकारी कागजात ले जाते हैं उनको छाता दिये जाने के बारे में आज्ञा दे दी गई है। सरकार वर्दियों का व्यय उचित नहीं समझती।
१४—समय पर प्रमाणीकरण	सरकार इस माँग को स्वीकार नहीं कर सकती। (जैसा कि पहली माँग के बारे में कहा गया है।)
१५—जाँच समिति की नियुक्ति।	सरकार के विचार में जांच समिति की नियुक्ति से कोई विशेष लाभ न होगा।
१६—हिल तथा तराई भत्ते का प्रबन्ध	क्योंकि इन कर्मचारियों की मजदूरी बाजार भाव के अनुसार दी जाती है, इसलिये ऐसा भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
१७—विभाग के डिवीजनों का पुनर्गठन तथा प्रत्येक डिवीजन में सलाहकार समितियों की नियुक्ति।	कर्मचारी अपनी शिकायतें अपने अधिकारियों से कर सकते हैं। इसलिये डिवीजनों में सलाहकार समितियों की आवश्यकता नहीं है।
१८—लाइजन तथा श्रमिक अधिकारी की नियुक्ति।	कर्मचारी अपनी शिकायतें अपने अधिकारियों से कर सकते हैं इसलिये श्रमिक अधिकारी (labour officer) की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।
१९—सुपरवाइजरों को सब-ओवरसियर की उपाधि दी जाय।	इस विभाग में सब-ओवरसियर अब नहीं रक्खे जाते हैं।
२०—अनावश्यक छटनी बन्द हो।	केवल उतने ही कर्मचारी विभाग में रक्खे जा सकते हैं जितने विभाग के कार्यों के लिये आवश्यक हों।
२१—विभाग का पुनर्संगठन किया जाय।	सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती।
२२—सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के दो प्रतिनिधि प्रान्तीय असेम्बली में लिये जायं।	भारत के संविधान के अन्तर्गत कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं किये जा सकते हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६९ एल० ए०—१९५४